खण्ड-263, अंक-7
गुरूवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(24 फरवरी, 1966 ई0)

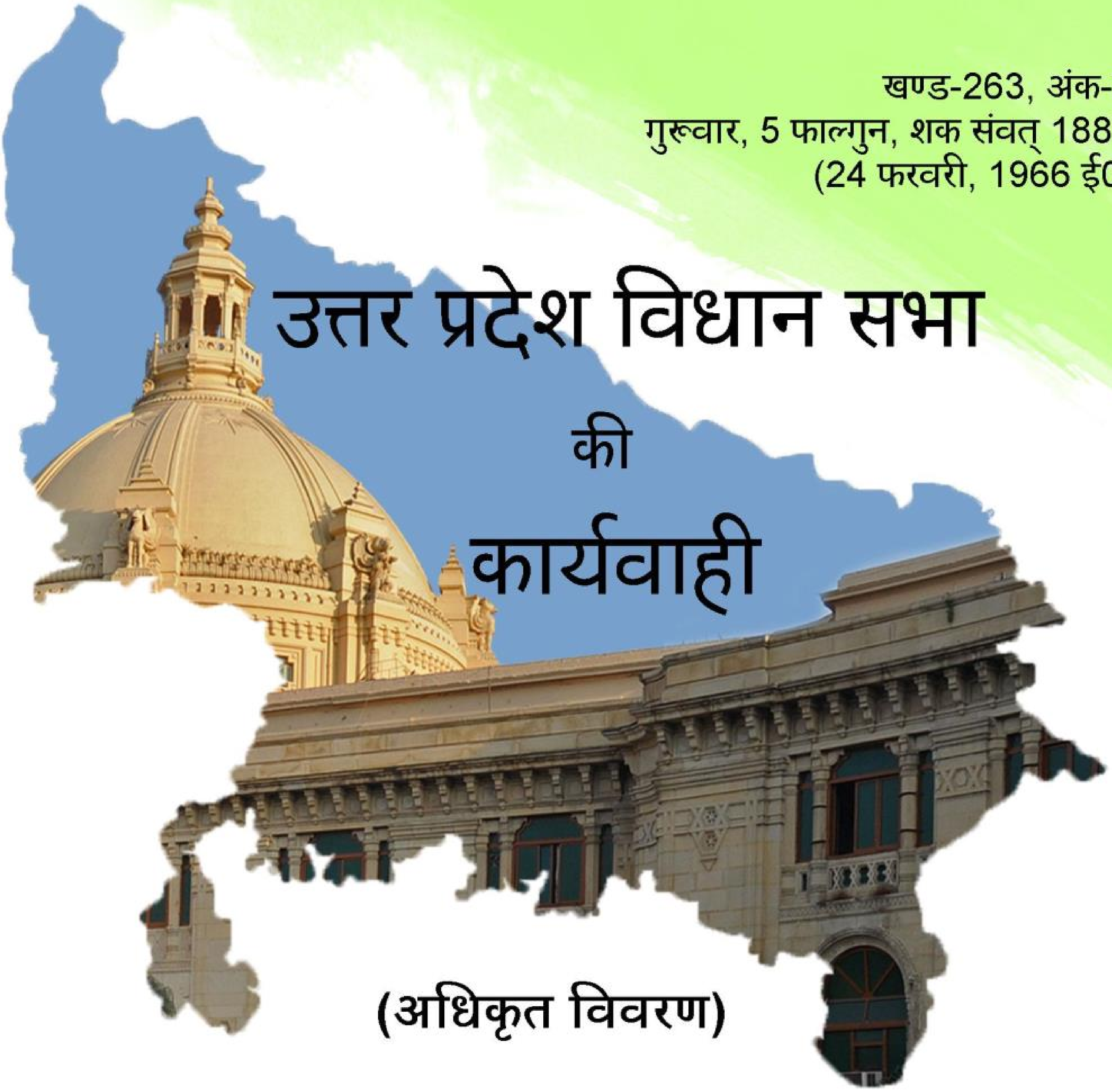

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३१३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुश हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० बी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
पंचम दास, श्री
पशुपतिनाथशरन सिंह, श्री
पितई राम, श्री
पुरुषोतमलाल बधवार, श्री (राजा जी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम सिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
बंकटा सिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृज भूषण शरण, श्री

बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरर म, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजा राम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर श्री
विजयशंकर, सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखपाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ फरवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाण्डसारी के निर्यात पर प्रतिबंध

**१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खांडसारी शक्कर तथा गुड़ को प्रान्त के बाहर भेजने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हटा रही है ? यदि हां, तो कब से और क्या इस सम्बन्ध में व्यापारियों को बाहर ले जाने के लिये कोई परमिट सिस्टम जारी करने का इरादा है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

गुड़ को प्रदेश के बाहर भेजने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। हां, खांडसारी शक्कर के प्रदेश के निर्यात पर केन्द्रीय सरकार ने प्रतिबन्ध अवश्य लगा रखा है। इस प्रतिबन्ध को लगाये रखना या हटाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस समय प्रदेश से बाहर खांडसारी केवल परमिट पर ही भेजी जा सकती है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की गयी है कि प्रान्त के बाहर जो प्रतिबन्ध खांडसारी पर लगा है वह हटा दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, कुछ पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो परमिट दिये जाते हैं उनको देने वाला कौन उच्च अधिकारी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसके लिये केन्द्रीय सरकार कोटे निर्धारित करती है। उसमें से २५ परसेंट यहां के जाते हैं, और बाकी केन्द्रीय सरकार जिस स्टेट को आयात कराती हैं वहां वाले देते हैं।

श्री होरी लाल यादव—

जो २५ परसेंट प्रांतीय सरकार परमिट देती है उसको कौन अधिकारी प्रदान करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश करते हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी का ध्यान मुख्य मंत्री जी के ३–४ दिन पहले के आश्वासन की तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने २,००० मन खांडसारी शुगर का परमिट देने का वायदा किया है ? यदि हां, तो उसके परमिट कब-कब जारी किये जायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बराबर मैंने कहा कि जितनी आती रहती है, कभी २० हजार टन, कभी १८ हजार जैसी आवश्यकता होती है वैसे देते रहते हैं और इस वक्त तक ९२,७५२ मैट्रिक टन खांडसारी के कोटे दे चुके हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश में गुड़ और खांडसारी दोनों की स्थिति बाहर माल न जाने के कारण अत्यन्त खराब हो गयी है, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र से कोई बहुत जल्दी वार्तालाप करेंगे जिससे माल पड़ा न रहे, खराब न हो और किसान पर जो भाव का असर पड़ता है उस पर पूरा प्रभाव न पड़ सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गुड़ पर तो कोई प्रतिबन्ध है ही नहीं, उसका सवाल नहीं उठता। जहां तक खांडसारी का सवाल है, हमने कह दिया कि इस वक्त तक ९२,००० टन के कोटे दे चुके हैं और आगे के लिये हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा भी है। आपके कहने से पहले कर दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

बताया गया कि डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट परमिट देगा, क्या इसका कोई आधार नियत किया गया है कि इस आधार पर देगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आधार यह है कि पहले तो असोसियेशन को देना चाहिये, बाकी व्यक्तियों को, बाद को जिसका जैसा स्टाक रखा होगा उसके मुताबिक।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सरकार को जानकारी है कि हमारे प्रदेश में गन्ने पर बहुत बड़ा टैक्स लगा हुआ है जिसके कारण कृषकों को खांड बनाने में मुश्किल पड़ती है और यही वजह है कि मुरादाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर जैसे जिलों में बहुत से क्रशर्स बन्द हो गये हैं, तो क्या सरकार इस टैक्स के, बजाय परचेज टैक्स लगाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में खांडसारी का बहुत बड़ा उत्पादन होता है? तो क्या वहां से भी कुछ परमिट दिये गये हैं बाहर जाने के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलेवार गुड़, खांडसारी के स्टाक के बाबत जब हम पूछते हैं तो हर जिले वाले अपना स्टाक बताते नहीं हैं और जब निर्यात करने की बात होती है तो कहा जाता है कि बहुत स्टाक है। तो जिलेवार, जो सूचना है, पोजीशन कम है और इस सम्बन्ध में अधिक सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने अभी कहा कि गुड़ पर से यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया, तो यह प्रतिबन्ध किस तारीख से हटा दिया गया और जिस दर से किसानों का गुड़ खरीदा गया है, क्या उसी दर पर उनका गुड़ बेचा जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

२७ जुलाई, १९६४ से तो इस पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि खांडसारी के जो उत्पादक हैं वे अगर स्वयं अपने माल को बाहर ले जाना चाहें तो उनको भी परमिट मिल जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, प्रोड्यूसर्स ले जा सकते हैं ।

३० अप्रैल, १९६५ को श्री विजयसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ६० का संशोधित उत्तर

*६०—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में थाना कौलिया में ग्राम मंजारी में डकैती पड़ी ? उसमें डाकुओं के चलाये हुये कुछ कारतूस बरामद हुये ? यदि हां, तो वह किस बोर के थे और किस प्रकार की रायफिल से प्रयोग में लाये गये थे ?

मूल उत्तर

*६०—जी हां, मौके पर जो कारतूस मिले उनमें ·३०३ बोर का एक तथा १२ बोर के दो खाली कारतूस थे । इस बात की जांच की जा रही है कि इस घटना में किन हथियारों का प्रयोग किया गया ।

संशोधित उत्तर

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां, मौके पर जो कारतूस मिले उनमें ·३०३ बोर के दो कारतूस (जिनमें केवल एक चलाया गया था), १२ बोर का एक खाली कारतूस तथा स्टेन गन के २ खाली कारतूस थे । उपरोक्त कारतूस क्रमशः ·३०३ बोर रायफिल, १२ बोर बन्दूक तथा स्टेन गन द्वारा चलाये गये थे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बहेड़ी थाने में अवैध अस्त्र निर्माण

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में बहेड़ी थाने के अन्तर्गत विगत सात दिनों के अन्दर पकड़ी गई दो नाजायज अस्त्र-निर्माण फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ? और उनके नाम क्या हैं ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

२४ जनवरी तथा २५ जनवरी, १९६६ को दो मामले नाजायज अस्त्र-निर्माण के पकड़े गये । दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । उनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) आत्माराम,

(२) आसा राम ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कारखाने में किस-किस प्रकार के कितने नाजायज हथियार पाये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

२४ तारीख को जो हथियार पकड़े गये थे वे यह थे— देसी पिस्तौल ४, देसी पिस्तौल अधूरा बना १, बैरल ३, भरा हुआ कारतूस १, तथा शस्त्र बनाने के औजार। २५ तारीख को जो पकड़े गये थे वे थे—देसी पिस्तौल १, पिस्तौल अधूरा बना १, बैरेल १०, कारतूस १, और शस्त्र बनाने के औजार।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिन घरों में यह हथियार पकड़े गए हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया है वास्तव में वे इन हथियारों को बनाने वाले नहीं हैं, उनको बनाने वाले दूसरे ही लोग हैं ? यदि हां, तो वे कौन लोग हैं ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जिनके घरों में तलाशी हुई है, और जिनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वे बेल पर छूटे हुए हैं। कुछ लोग उनके घर आकर बनाते थे। अभी इसका कोई पता नहीं कि वे कौन लोग हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार का कारखाना बहेड़ी में पकड़ा गया है उसी प्रकार के कारखाने प्रदेश की सीमान्त अंचलों में अन्य जगह भी पकड़े गए हैं और, यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि इनका सम्बन्ध किसी विदेशी सरकार से है, या उसकी क्या पोजीशन है, सरकार उसको बताएगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश के कई और जिलों में भी ऐसे कारखाने मिले हैं जहां लोग ऐसी चीजें बनाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि वे अपने लाभ के लिये उसे बेचते हैं, उसके पीछे कोई कांसपीरेसी नहीं कही जा सकती।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिनके घरों में यह औजार पकड़े गए और जो लोग पकड़े गए, उसके अलावा और कौन-कौन लोग उसमें साम्मलित थे ? तथा क्या औजार बनाने का सामान भी पकड़ा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं सवाल समझा नहीं ठीक से, वहां ज्यादातर पिस्तौल ही बनते हैं, साइकिल के बैरेल से इस तरह की चीजें बनाते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नाजायज अस्त्र बनाने के कारखाने की सूचना उनको किसने दी और कब दी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सवाल जो पूछा गया है, इसका प्रश्न आये तो उत्तर मिले।

श्री अध्यक्ष—

ये पूछ रहे हैं कि ये जो नाजायज शस्त्र निर्माण हो रहे थे इसकी सूचना वहां के अधिकारियों को कब मिली।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिनके घरों में फैक्टरियां थीं उन अभियुक्तों का नाम आसा राम और आत्माराम दिया गया है? इन लोगों ने पन्द्रह और व्यक्तियों के नाम बताए हैं जो वहां हथियार बनाया करते थे क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि उन व्यक्तियों में से ६ पाकिस्तानी नागरिक हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने बताया होगा तो उसकी जांच होगी।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि इस दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा भी हैं कि जो देशी कारखाने पिस्तौल बनाते हैं वे उनको मुफ्त भी ले सकते हों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझको तो, श्रीमन्, ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

बख्शी तालाब इंटर कालेज के विद्यार्थियों के विरुद्ध रिपोर्ट

*२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १५ दिसम्बर, १९६५ को दोपहर के समय ग्राम बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ, में कोई घटना घटने की रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई है? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिनांक १५-१२-६५ को श्री सूरज लाल वर्मा, एम० पी०, ने रात्रि के ११ बजे थाना मड़ियाहूं पर इस आशय की रिपोर्ट की कि बख्शी तालाब इन्टर कालेज के कर्मचारियों ने तथा छात्रों ने बख्शी तालाब में स्थित उनकी मिल पर धावा बोल दिया और कई हजार का सामान लूट ले गए तथा काफी सामान नष्ट कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अपराध अंकित किया गया। मामले की महत्ता को ध्यान में रखकर उप पुलिस अधीक्षक को ग्रामीण क्षेत्र को विवेचना का कार्य सौंपा गया। विवेचना द्वारा यह पाया गया कि यह अपराध धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत नहीं बल्कि ४२७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत आता है। अतः अपराध को धारा ४२७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। परन्तु इस बात का प्रमाण न मिलने के कारण कि अपराध करने वाले कौन विद्यार्थी थे, अपराध में दिनांक १६-१-६६ को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या गृह मन्त्री को सूरज लाल वर्मा, सदस्य, लोक सभा, ने सरकार को उक्त घटना में पुलिस की लापरवाही की शिकायत करते हुए कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा उस पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराएगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, श्री सूरज लाल वर्मा, सदस्य लोक सभा, का पत्र प्राप्त हुआ था। उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस पत्र को जिला अधिकारी के पास भेज दिया गया था तथा तफ़तीश करते समय इस पत्र को भी ध्यान में रखा गया था।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९३–६९४ पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि घटना के दिन घटनास्थल पर मकान गिराए गए, चहारदीवारी गिराई गई, तिजोरी निकाली गई, कई दूकानें नष्टभ्रष्ट की गई, इमारतें गिराई गई? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस कालेज के अधिकारियों ने बलपूर्वक ऐसा किया?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये बातें एम० पी० महोदय ने अपनी रिपोर्ट में और जो पत्र मुख्य मन्त्री जी को लिखा उसमें लिखी थीं लेकिन विवेचना में उसका जिक्र नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

(फोटोओं को दिखाते हुए) यह सब चित्र हैं उस घटनास्थल के। दूकानें तोड़ी गयी हैं मकान तोड़े गए, तिजोरी निकाल कर बाहर की गई और दूसरे बल-प्रयोग किए गए। इस सरकार के वरिष्ठ लोग इससे सम्बन्धित हैं। क्या इन्हें देखकर मन्त्री जी जुडीशियल जांच करावेंगे, ये फोटो मैं उनको भेज रहा हूं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह मेरे पास भेज दीजिए। उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या इस घटना से श्री सूरजलाल, एम० पी०, का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था और किस कारण से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा-पढ़ी की?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उन्होंने कहा कि यह मिल उन्हीं का है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या श्री सूरजलाल जी ने माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा है कि इस घटना के पूर्व माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने उन्हें बुलाकर कहा कि इस फैक्टरी की जमीन स्कूल को दे दो, जो उस स्कूल के अध्यक्ष हैं? सूरजलाल जी ने देने से इन्कार किया और तत्काल यह घटना घटी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हां, उन्होंने पत्र में ऐसा जिक्र किया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि जब सूरजलाल जी ने माननीय मन्त्री जी से मिलकर इस घटना की तमाम बातें बतायीं तो मन्त्री जी ने कहा कि वह उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और इस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह नितान्त असत्य है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पूरी वारदात में कितने मनुष्यों ने भाग लिया, सरकार के पास क्या रिपोर्ट है और पुलिस ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

विवेचना से यह सिद्ध होता है कि घटना के पहले ही एम० पी० महोदय का दूसरा मील डालीगंज में बना था और इस मील की सब मशीनें वहां उठा ले गए, इस घटना के पूर्व। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के आन्दोलन के सिलसिले में वहां गए हुए थे। उनको इनके मुनीम ने इस मील के अहाते में बन्द कर लिया। इसलिए वहां के लड़के उस मील में गए और उनसे झगड़ा हुआ। सब बढ़ा-चढ़ा कर झूठ रिपोर्ट उन्होंने की थी।

श्री झारखण्डेराय—

पुलिस ने उस घटना के बाद अपनी ओर से कोई कार्यवाही की या नहीं और की तो कब की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ज्यों ही एम० पी० महोदय ने एस० एस० पी०, लखनऊ को फोन पर बताया, त्यों ही यहां से पी० ए० सी० की बटालियन भेजी गई और करल डी० वाई० एस० पी० भेजे गए। लेकिन वहां कोई लड़का नहीं मिला।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री महोदय ने सूरजलाल जी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई कार्यवाही की जिससे तथ्य प्रकाश में आ जाते ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सूचना मुझे पहले नहीं थी। इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कागजात आए उन्हें मैंने देखा। अब इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

रिपोर्ट कितने आदमियों के खिलाफ हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

रिपोर्ट उन्होंने स्कूल के खिलाफ की थी और साथ ही यह कहा कि अगर १२ आदमियों के मकानों की, जिनके उन्होंने नाम बताए, तलाशी लीजिए तो ये चीजें मिल सकती हैं। पुलिस ने तत्काल ही इन १२ आदमियों के मकानों की तलाशी लखनऊ और बाराबंकी जिलों में ली किन्तु कोई चीज नहीं मिली।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि जिस समय श्री चन्द्रभानु गुप्त ने सूरजलाल जी को बुलाया उस समय तीन एम० पी० वहां और मौजूद थे और उनके सामने जब यह प्रस्ताव रखा कि मील की यह जमीन स्कूल को दे दें और उन्होंने इन्कार कर दिया, तो श्री चन्द्रभानु गुप्त ने कहा कि इन्कार तो करते हो मगर तुम्हारा सफाया करा दिया जायगा ? क्या श्री सूरजलाल जी ने यह लिख कर दिया है और क्या इसकी जांच करावेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं व्यक्तिगत तरीके से कि चन्द्रभानु गुप्त जी से और एम० पी० महोदय से बात हुई। लेकिन जो पत्र मुख्य मन्त्री जी को एम० पी० महोदय ने लिखा है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि श्री चन्द्रभानु गुप्त से बातचीत के समय तीन एम० पी० और मौजूद थे। यह मालूम होता है, बाद को सोचकर रखा गया है।

[२४ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद में शकीला बानो भोपाली के कव्वाली प्रोग्राम पर मनोरंजन कर

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ अक्तूबर, १९६५, को शहर मुरादाबाद में जो शकीला बानो भोपाली का कव्वाली का कार्यक्रम हुआ उससे कितना इन्टटेनमेंट टैक्स वसूल हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—]

२,१०६ रु० ६ पैसे।]

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रोग्राम के लिए कितने कम्पलीमेंटरी पास और किस-किस दर्जे के लिए जारी किए गए और उन लोगों से इन्टरटेनमेंट टैक्स और एन० डी० एफ० का हिस्सा वसूल किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—]

केवल ३ रु० ३७ पैसे वाले दर्जे के लिए २०६ कम्पलीमेंटरी पास दिये गये और इन पर मनोरंजन कर वसूल किया गया। आयोजकों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था कि वह बिना सुरक्षा कोष के लिए धन के लिए कम्पलीमेंटरी पास न दें।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रोग्राम के टिकट के ऊपर चेरी टेबुल परपज ऐंड एन० डी० एफ० छापा गया ? तो एन० डी० एफ० में वसूल शुदा रकम का कितना हिस्सा मिला ?

श्री बंशीधर पांडेय—]

१८,४४२ रु० ८८ पैसे की कुल आमदनी में से ५,००० रुपया सुरक्षा कोष में दिया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इन टिकटों के ऊपर चेरीटेबिल परपज और एन० डी० एफ० लिखा था ? क्या उन टिकटों को छपाने के पहले वहां के अधिकारियों से इस बात की इजाजत ले ली थी ? और क्या उनसे अधिकारियों ने यह तय कर लिया कि वे लोग कितना प्रतिशत एन० डी० एफ० में देंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—]

ऐसा कोई परसेन्टेज तय नहीं हुआ। यह एक चेरीटेबिल बाडी है। उसने एन० डी० एफ० के लिए यह शो किया। जितना रुपया उससे मिला उसमें से एक हिस्सा उन्होंने एन० डी० एफ० को दे दिया। दूसरे, हमारे सामने तो यह बात तब आती जब हमसे टैक्स एग्जेम्प्शन मांगा जाता।]

श्री रियासत हुसैन—

मेरा सवाल तो यह था कि क्या टिकटों पर चेरीटेबिल और एन० डी० एफ० छापने के पहले अधिकारियों से इजाजत ली गयी थी ? अगर नहीं ली गयी तो क्यों और अगर ली गयी थी तो उसका हिस्सा क्यों नहीं तय किया गया कि एन० डी० एफ० में इतना रुपया देना होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन बातों की डिटेल हमारे पास नहीं है। यह हम जानते हैं कि जब कोई बाडी हमसे टैक्स एग्जेम्प्शन की बात करती है तब हमारे सामने यह बात आती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर सारी बातें हमारे सामने लाई जायंगी तो उन उसको देख लेंगे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री को यह मालूम है कि कोई भी संस्था अपनी ओर से बिना इजाजत लिए एन० डी० एफ० नहीं छपा सकती? तो क्या उन रसीदों को छपाने से पहले डी० एम० की इजाजत ली गयी थी?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि हम जांच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री जी ऐसा कोई सरक्यूलर जारी करेंगे कि बिना इजाजत इस प्रकार से कोई रसीदों पर एन० डी० एफ० न छपाएं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके बारे में विचार करके देखा जायगा कि वह केस क्या है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जिसने गलत हेडिंग देकर जनता से यह रुपया वसूल किया?

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि जांच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मान्नीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वह संस्था कौन सी थी जिसने यह प्रोग्राम किया था और २०६ कम्प्लीमेंटरी पास जारी किये गये, वे किन-किन लोगों को किये गये?

श्री बंशीधर पांडेय—

लाइसेन्स क्लब की तरफ से राजहंस टाकीज में उसका आयोजन किया गया था। उसमें १०० रु०, ५० रु०, २५ रु०, १० रु० और ३.३७ रु० के टिकट थे। ये कम्प्लीमेंटरी पासेज जो २०६ जारी किए गए इसी ३.३७ रु० में जारी किए गए थे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी इसकी जांच करेंगे कि इस लायन्स क्लब को चलाने वाले जिले के बड़े-बड़े उच्च अधिकारी हैं और यह कम्प्लीमेंटरी भी इन्हीं उच्च अधिकारियों को इश्यू किये गये और उन से ही एन० डी० एफ० का हिस्सा वसूल नहीं किया गया? क्या मन्त्री जी इस चीज की जांच करके कोई कार्यवाही करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

माननीय सदस्य जो यह सारी बातें कह रहे हैं उनको अगर माननीय सदस्य लिखित्तेवार लिख कर देंगे तो हम जरूर उसकी जांच करायेंगे।

लखनऊ में छात्रों पर लाठी-चार्ज

*४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के शान्तिमय जलूस पर दिनांक २०, अक्तूबर, १९६५ को पुलिस ने ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी के सामने लाठी-चार्ज किया, कितने घायल हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २०-१०-६५ को ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी के सामने एकत्र एक अवैध तथा उग्र भीड़ को शान्ति भंग होने की आशंका से तितर बितर करने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे ५ व्यक्तियों को चोटें आईं।

*५—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री उक्त लाठी-चार्ज की न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

चांदपुर थाने में जुआरियों से घूस लेने की शिकायत

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के थाना चांदपुर के एस० ओ० २४-२५ अक्तूबर, १९६५ की रात्रि को थानान्तर्गत बपसौरा नामक ग्राम में पुलिस बल के साथ छापा मार कर जुआ खेलते हुए श्री मनोहर सिंह, श्री पातेर सिंह, जगरूप सिंह तथा श्री शिवकरणसिंह को गिरफ्तार कर थाने लिवा गये और हवालात में बन्द किया किन्तु तत्पश्चात् प्रत्येक से पचास-पचास रुपये लेकर और शिवकरण सिंह का सोने का फेरवा जबरदस्ती खींच कर प्रत्येक को छोड़ दिया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

फतेहपुर जिले के ग्राम बपसौरा थाना चांदपुर में २४-२५ अक्तूबर १९६५ को पुलिस बल द्वारा कोई जुआ नहीं पकड़ा गया और न कोई इस संबंध में गिरफ्तार हुआ।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि २६ अक्तूबर, १९६५ को उक्त चारों व्यक्तियों ने जिलाधीश, फतेहपुर को उक्त घटना विषयक कोई आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि संबंधित आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस आशय का कोई आवेदन-पत्र उक्त व्यक्तियों द्वारा दिया जाना नहीं पाया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यक्ष जी, प्रश्न में स्पष्ट है कि जुआ पकड़ा गया और उसे छोड़ा गया रिश्वत लेकर। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच किस के द्वारा कराई गई कि जिससे उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि जुआ पकड़ा ही नहीं गया और रिश्वत का सवाल ही नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, कोई जुआ पकड़ा ही नहीं गया तो फिर और प्रश्न उठता ही कहां है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जुआ तो पकड़ा गया लेकिन रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया, इस वजह से उसका इन्दराज नहीं हुआ। वहां के अफसरान रिपोर्ट करते हैं कि कोई जुआ पकड़ा ही नहीं गया तो वह जानना चाहते हैं कि यह जांच किस के द्वारा कराई गई कि जुआ पकड़ा गया या नहीं ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—

चूंकि उस थाने पर इसकी कहीं भी रिपोर्ट नहीं थी सिवाय इस प्रश्न के इससे पहले कोई पूर्व सूचना नहीं थी, इसी वजह से कहा गया कि कोई जुआ नहीं पकड़ा गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब दरोगा जी ने छोड़ दिया तो केस रजिस्टर कैसे किया जाता? आप तो जानते हैं कि रजिस्टर किया जाता तो सारी कार्यवाही अदालत में हाजिर करने तक की होती। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन ४–५ आदमियों का नाम इसमें हैं उनसे भी कोई जांच की गई या उन्हीं दरोगा जी के कहने से मान लिया गया कि कोई घटना ही नहीं हुई ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

यह उत्तर तो इसी आधार पर दिया गया कि पुलिस के रिकार्ड में वहां थाने पर या कहीं भी कोई रिकार्ड ऐसा नहीं है, लेकिन अब भी अगर माननीय सदस्य हम को लिख कर दें तो हम इसकी जांच अवश्य करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जिस दरोगा के विषय में यह चीज है उसी से आप पूछते हैं कि जुआ पकड़ा गया या नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यही हमारा शुबहा है कि उन्होंने दर्ज ही नहीं किया होगा और इस तरह से कभी इन्स्वायरी ठीक नहीं हो सकती।

*८–९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मंत्रियों द्वारा राष्ट्र सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

*१०—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया कर बतायेंगे कि किस किस मंत्री को किस-किस जिले से कितना-कितना धन राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये उनके दौरों के समय अगस्त सन् १९६५ से दिसम्बर सन् १९६५ तक प्राप्त हुआ ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९५–६९६पर)

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलेवार जो राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा जमा हुआ है क्या यह अन्य व्यक्तियों द्वारा भी वसूल हुआ है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

रसीदें तो जिलाधीश के पास होती हैं। वे ही देखते हैं कि किन किन व्यक्तियों द्वारा धन इकट्ठा हो सकता है। जिनको वे ईमानदार समझते हैं, उनको वसूल करने के लिये कहते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि कुल कितना धन राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा हुआ ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस संबंध में पूरा ब्यौरा नहीं है कि यह कितना धन हो गया है। इसमें ऐसा होता है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में जितना और जिस दिन ट्रेजरी में जमा होता है वह सेन्ट्रल एकाउन्ट में एकाउन्ट फार होता रहता है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जो सूची दी गयी है, यह अधूरी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरे पास जनवरी तक की फीगर है। ऐसा होता है कि यह रुपया वहां से ट्रेजरी में जमा होता है और दिल्ली के एकाउन्ट में लिया जाता है। हर हफ्ते में जो विभिन्न जिलों में जमा होता है, उसकी रिपोर्ट यहां पर आ जाती है। जनवरी के अन्त तक जो रुपया कलैक्ट हुआ है वह ३ करोड़, ०७ लाख, ९२ हजार १५० रु० है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि वह रुपया जो इकट्ठा हुआ है, वह केन्द्र को भेज दिया गया है या प्रदेश में ही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जैसा मैंने निवेदन किया, यह रुपया कम्पलीटली अनटच्ड है एज फारएज दि स्टेट गवर्नमेन्ट इज कन्सर्न्ड। वहां हीं ट्रेजरी से चला जाता है।

श्री झारखण्डेराय—

मैं जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ब्यौरे की पत्रिका माननीय विकल जी को दी गयी है, उसमें वर्णित धनराशि में से कितना-कितना धन किस-किस मंत्री को मिला है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह बहुत बड़ी लिस्ट है। यदि आज्ञा हो तो पढ़ूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत बड़ी लिस्ट है। रहने दीजिये।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल हुआ है वह ठीक वसूल हुआ ? मुझे ऐसी सूचना है कि उनमें बहुत से गलत तरीके हुए हैं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हम लोग तो इतना डिस्ट्रक्ट नहीं करते।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

सूचना तो बहुत लम्बी है, हम सब नहीं पूछना चाहते हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी जब मथुरा जिले में दौरे पर गये तो उनको वहां सुरक्षा कोष में कितना रुपया मिला ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

हमारे मित्र हमारे साथ थे उनको याद हो तो बता दें। हमको याद नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वयं कितनी थैली मिली इस कार्य के लिये ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

बरेली में ४,७५,७५ रु० ४३, रामपुर में १,६८,१३७.९५, बांदा १,०७,४५६.००, बाराणसी ७,००,०००.००, मिर्जापुर, ५,००,०००.००, नैनीताल, १,४१,५१०.९५, गढ़वाल, ३,२२,७०३.५३, उन्नाव १,५१,०००.०० राय बरेली, २,१५,०००.००, सीतापुर, ३,३०,८६७.९९, खीरी २,५१,०००.००, टेहरी गढ़वाल ५१,०००.०० ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के संबंध में किस मंत्री ने सब से ज्यादा दौरा किया और किसको सब से अधिक धनराशि प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इससे स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री को सबसे ज्यादा मिली।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंत्रि मंडल एक यूनिट है और सब को जो मिला वह एक साथ जमा है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जिस समय सुरक्षा कोष वसूल हो रहा था हम लोग घूम-घूम कर प्रचार कर रहे थे, उस समय अध्यक्ष कांग्रेस, श्री कामराज भरवारी गये थे। उनको ४०,००० रु० दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि वह रुपया सुरक्षा कोष में जायगा या कांग्रेस पार्टी में जायगा?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

भारत-पाक युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को सहायता

*११—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेशीय राजकीय रक्षा कोष से धन किस आधार पर भारत पाक युद्ध में शहीद हुये सैनिकों के परिवारों को दिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से कोई धन-भारत पाक युद्ध में शहीद हुये सैनिकों के परिवारों को नहीं दिया जाता है।

*१२---श्री विजयसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नियमित रूप से रक्षा कोष का चन्दा वसूल करने का इस वर्ष का कोई लक्ष्य रखा गया है? यदि हां, तो वह कितना और क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१३-१४---श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)---

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ना पेरने के लिये शक्ति चालित कोल्हू तथा चीनी मिलें

*१५---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिलेवार गन्ना पेरने के कितने-कितने क्रशर के लाइसेंस हैं और वह इस वर्ष कब से चालू किये गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वर्ष १९६५-६६ में चीनी आयुक्त द्वारा गन्ना पेरने के लिये दिये गये शक्ति चालित कोल्हुओं के लाइसेंसों की जिलेवार संख्या संलग्न तालिका "क" में दी हुई है और डी० आई० आर० के अन्तर्गत लगाये गये नियंत्रण के अनुसार चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में इन शक्ति चालित कोल्हुओं को चालू करने की स्वीकृत तिथि का विवरण संलग्न तालिका "ख" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९७-६९८ पर)

*१६---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि प्रत्येक शुगर फैक्टरी इस वर्ष कब-कब से चालू की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

१९६५-६६ सीजन में प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल के चालू होने की तारीख संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९९-७०० पर)

श्री रामचन्द्र विकल---

क्रशरों के लाइसेंस की जो सूची 'क' है इसमें अलग दरख्वास्तें बहुत थीं लोगों की और यह मिल का सुरक्षित क्षेत्रों भी नहीं था, तो भी किसानों को क्रशर के लाइसेंस क्यों नहीं दिये गये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस समय उसकी फेहरिस्त मेरे सामने नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो देख लेंगे।

श्री राम चन्द्र विकल---

जो लाइसेंस दिये गये देर में दिये गये, तो मंत्री जी तारीख बतायेंगे कि कब तक दिये गये?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

तारीख के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष से इस वर्ष केन क्रशर्स के लाइसेंस कितनी देर से दिये गये और देर से देने का क्या कारण था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तारीख क्रशर्स को चलाने की अलग अलग है और अलग-अलग जिले में अलग-अलग तारीख होती है। देहरादून, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ७.१२.६५ से चले और एटा, बरेली, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, हरदोई, खीरी, सीतापुर, नैनीताल में २५-११-६५ से चले।

श्री श्रीराम—

मेरा मतलब यह है कि पिछले वर्ष जो केन क्रशर के लाइसेन्स दिये गये वे देर से चालू किये गये तो इसका कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

क्रशर की तारीख इस हिसाब से तय की जाती है कि गन्ना शुगर मिल में भी चला जाय और क्रशर में भी चला जाय। दोनों जगह के बटवारे के लिये तारीख मुकर्रर की जाती है। बहुत जल्दी क्रशर में गन्ना जायगा तो गन्ना फैक्टरीज में नहीं जायगा। इसलिये तारीख में अन्तर ज्यादा नहीं होता है। कारखाने एंन्ड आफ नवम्बर में चले तो क्रशर दिसम्बर में शुरू हुए।

श्री रियासत हुसैन—

यह जो लाइसेन्स दिये गये तो रिजर्व एरिया में बड़े लाइसेन्स कितने दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह फेहरिस्त इस समय मौजूद नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

२५-११-६५ और ७-१२-६५ को लाइसेन्स दिये गये लेकिन जब मिलों को गन्ना नहीं मिल सका और उसके कारण जो गन्ना बच जायगा उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गन्ना बचेगा नहीं लेकिन इस समय कुछ परेशानी हो रही है। केन कमिश्नर इसे देख रहे हैं कि किस तरह से कन की खपत करनी है।

श्री श्रीराम—

गन्ना देर से काटा गया और शुगर मिल देर से चलाई गयी और क्रशर को देर से चलाया गया तो उसके कारण गेहूं की फसल लेट बोई जायेगी अथवा नहीं बोई जा सकेगी तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी खेत से गन्ना निकल जाया

श्री रामचन्द्र विकल—

जो मिल दिसम्बर और जनवरी में चलाई गयीं तो मिलों को देर से चलाने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह तो २५ नवम्बर या ७ दिसम्बर तक चल गई हैं लेकिन जनवरी में कोई मिल नहीं चलाई गई है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, २ जनवरी, को बिजनौर शुगर मिल चली है।

श्री रामचन्द्र विकल—

इतनी देर में यह मिल क्यों चली और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन् सफाई वगैरा नहीं हुई थी और मशीनें तैयार नहीं हुई थीं। अब उन्होंने तैयार कर दी है और आशा है कि पूरी पेर दी जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखेंगे कि हर साल मिलें नवम्बर में चला करती थीं लेकिन इस साल २५ नवम्बर से दिसम्बर तक चलीं और मंत्री जी ने कहा कि सफाई वगैरा नहीं हो पाई तो आइन्दा पहली नवम्बर से मिलें अवश्य चल जानी चाहिये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस तरह से निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि शुगर केन की रिकवरी देखनी पड़ती है। अगर कम होती है तो नुकसान होता है और यह सीजन पर भी डिपेन्ड करता है, इसलिये हर साल करना पड़ता है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अगर मिल देर में चलती हैं और गर्मियों में ज्यादा देर तक गन्ना पेरना पड़ता है तो किसानों को नुकसान होता है और रिकवरी भी कम हो जाती है। इसलिये मालिक को भी नुकसान की गुंजाइश रहती है। क्या सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी जिससे मिलें नवम्बर में अवश्य चालू हो जायं जिससे गन्ने की रिकवरी और किसानों का नुकसान बचाया जा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, प्रयास तो यही रहता है। ७१ मिलें नवम्बर में चल गई थीं। केवल चार कारखाने थोड़ी देर में चले बाकी सब नवम्बर में या दिसम्बर के पहले हफ्ते में चल गई थीं।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि सकौता टांडा मिल में कुछ दिक्कत पैदा हो गई थी और सरकार को इन्तजाम करके चलाना पड़ा इसलिये देर में चली ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यही तो मैं कह रही थी कि चार मिलें देर से चलीं और हर एक का अलग अलग-कारण है। सकौता मिल में आपसी झगड़ा था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मंत्री जी यह देखते हुये कि रिकवरी की बेसिस पर या बारिश के कम ज्यादा होने पर मिलें देर में चलीं तो पहले भी यह दिक्कतें रही हैं परन्तु हमेशा नवम्बर में चली हैं या अधिक से अधिक दिसम्बर के पहले हफ्ते तक चली हैं। मिल वाले यह कोशिश करते हैं कि मिल देर में चले तो क्या मंत्री जी मिलवालों की ओर ध्यान न देकर मिल को जल्दी चलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अभी उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही होता है जो नहीं चल पाई उनका झगड़ा था।

श्री रामचन्द्र विकल—

जब झगड़ा था तो क्रशर्स को लाइसेंस क्यों नहीं दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किसने मांगा, किसने नहीं मांगा इसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

मिशन हायर सेकेन्ड्री स्कूल, पिथौरागढ़ को दी गई भूमि

*१७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्लाट नं० ९६१, ९६२, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ८०, ८१, ८४, ८५, ८६ तथा ८७ तथा भवन जो पिथौरागढ़ कैन्ट क्षेत्र में उत्तराखण्ड में स्थित है, क्यों श्री ग्रीनवाल्ड, प्रिंसिपल, मिशन हायर सेकेन्डरी स्कूल, पिथौरागढ़ को पट्टे पर बिना लगान के दी गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि कमिश्नर, उत्तराखंड उसी भूमि को २०,००० रुपये में पुनः खरीद रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन प्लाटों को तथा भवन जो पिथौरागढ़ कैन्ट के क्षेत्र में स्थिति हैं, प्रिंसिपल, मिशन हायर सेकेन्डरी स्कूल, पिथौरागढ़ को पट्टे पर विद्यालय के प्रयोग के लिए बिना लगान के दी गयी थी। चूंकि पट्टेदारो ने पट्टे में दी हुई शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था अतः यह पट्टा रद्द नहीं किया जा सका। अतः इस सम्पति को पारस्परिक समझौते द्वारा २०,००० रुपये में खरीदा जा रहा है क्योंकि इस की आवश्यकता सिविल सर्जन, पिथौरागढ़ के कार्यालय और लेडी डाक्टर के निवास स्थान आदि के लिए है।

दिबियापुर थाने में युवती की लाज लूटने वालों पर मुकदमा

*१८—श्री झारखण्डेराय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिला के दिबियापुर थानान्तर्गत लखनपुर ग्राम में नवम्बर, १९६५ में एक गरीब पिछड़ी जाति की युवती के साथ लगभग एक दर्जन आततायियों ने बलात्कार किया और उस के बाद उसे नंगा कर के सारे गांव में घुमाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम लखनपुर, थाना दिबियापुर जिला इटावा में कुछ व्यक्तियों द्वारा २७–१०–६५ को, पिछड़ी जाति की स्त्री नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण जाति की स्त्री को घर से निकाल कर बे पर्दा कर के सारे गांव में घसीटने की रिपोर्ट ५–११–६५ को थाने में दर्ज करायी गयी थी।

*१९—श्री झारखण्डे राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस जघन्य अपराध के जिम्मेदार नर राक्षसों के विरुद्ध उसने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित ३१ अभियुक्तों में से १५ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, शेष १५ के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिस के फलस्वरूप वे अदालत में हाजिर हुये। १ अभियुक्त फरार है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पत्र धारा १४७/१४८/३५४/३५२/४५२। ३७६ ता० हि० के अन्तर्गत न्यायालय को भेज दिया गया है और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय—

क्या माननीय मन्त्री, इस बात को देखते हुए कि यह घटना जघन्य, वीभत्स और रोमांचकारी है और मेरे पास सूचना है कि उस अबला के साथ बलात्कार भी किया गया, उस अबला ने जो बयान दिया है पुलिस में वह क्या है, क्यों दुर्व्यवहार किया गया और जो करने वाले थे वह उसी गांव के थे या और गांवों के थे या दोनों मिल कर पूरी बातों को साफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मुकदमा अदालत में पहुंच गया है।

श्री झारखन्डेराय—

मैं फैक्ट पूछ रहा हूं। मैं राय नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जो उस अबला ने बयान दिया है वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

कोई बयान आप के पास हो तो बता दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना में एफ आई० आर० एक अशरफी लाल के जरिये की गयी थी और उसके तीन रोज के बाद जिस औरत का जिक्र किया गया है, उस ने दरख्वास्त दिया कि अशरफी लाल जो उसके शौहर का बड़ा भाई कहा जाता है, उन्होंने इस बात को छिपाया कि हमारे साथ बलात्कार किया गया। लिहाजा उस ने तीन रोज के बाद इत्तला दी कि बलात्कार भी किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस महिला के उस बयान को ध्यान में रखते हुये, घटना की गम्भीरता को देखते हुये, उसने स्वयं बयान किया कि बलात्कार किया गया, बलात्कार किया गया हो या न भी किया गया हो, लेकिन उसको नंगा कर के पूरे गांव में घुमाया गया, किस कारण से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ऐसा किया, कुछ छान बीन करके कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच से यह सूचना तो हमारे पास है कि किस कारण से यह घटना हुई, लेकिन उसको बताना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि यह चीज न्यायालय में है और न्यायालय में वह चीज कही जायगी।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी, १६४ दफा, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत औरत ने जो बयान दिया या जो घटना आप के तफतीश कुनिन्दा ने पेश किया हो, वह सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

एक बात समझिये कि यह सब बातें न्यायालय में हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से जघन्य काम किया, महिला के बयान के मुताबिक छिपाया भी गया वाकये को तो उस महिला की सुरक्षा की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह मैं बता दूं। उस में आठ आदमियों पर बलात्कार का मुकदमा भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा का पूर्ण इन्तजाम है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय गोलीकांड जांच रिपोर्ट

*२०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अलीगढ़ विश्वविद्यालय गोलीकांड जांच समिति की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अलीगढ़ विश्वविद्यालय गोलीकांड में मैजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

*२१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त विश्वविद्यालय में २५ अप्रैल, १९६५ की घटना के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कोई अधिकारी इस गोलीकांड के लिए दोषी नहीं पाया गया। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा कोष

*२२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में दिनांक ५ सितम्बर, १९६५ के बाद जमा होने वाले तथा रक्षा कोष की दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६५ तक प्रत्येक जिले से ५० हजार से अधिक की थैली कौन-कौन से अधिकारियों व माननीय मन्त्रियों को कौन-कौन सी तारीखों में कहां-कहां दी गयीं, इसकी ब्योरेवार सूची दिये जाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०१–७०२ पर।)

कृष्णापुर ग्राम सभा से सुरक्षा कोष में अंशदान

*२३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि कृष्णापुर ग्राम सभा विकास क्षेत्र, रामपुर, जिला जौनपुर के ग्रामीणों से सुरक्षा कोष में रुपया लिया परन्तु सुरक्षा कोष की रसीदें न दे कर पंचायतों की रसीदें दी गयीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र रामपुर की गांव सभा कृष्णापुर के ग्रामीणों से सुरक्षा कोष में कोई धन नहीं लिया गया है। अतः किसी प्रकार की रसीदें देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया किसानों से सुरक्षा कोष के नाम पर लिया गया, वह पंचायत राज की रसीदों को देकर लिया गया ? उस की कुछ रसीदें मैंने मुख्य मन्त्री जी को भेजी थीं, जिस पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं इस की इन्क्वायरी करा लूंगी। तो उस पर आप ने कोई जानकारी की कि पंचायतराज की रसीदें देकर सुरक्षा कोष के नाम पर पैसा लिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्राम पंचायत ने रूप-पत्र नं० ७ पर वसूल लिया था। जो कि सरकारी रसीद के निमित्त था। लेकिन बाद में शासन ने आदेश दिया कि जो बी० डी० ओ० व प्रधान इस प्रकार की वसूली कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है, फिर वह बन्द कर दिया गया।

*२४–२५—श्री उग्रसेन तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

*२६—श्री झारखण्डे राय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारत-पाक संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षात्मक उपायों की दृष्टि से जो परिवर्तन किये जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं या विचाराधीन हैं उनकी रूप-रेखा क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा अभी निश्चित नहीं की गयी है। योजना आयोग के आदेशानुसार केवल एक तदर्थ (Ad hoc) योजना १९६६–६७ के लिए तैयार की गयी है। इस में प्रथम प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गयी है। उन परियोजनाओं को जो अल्पकाल में ही लाभ दे सकें तथा जिन से जनता की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वरीयता (preference) दी जा रही है। उद्योग विभाग, प्रतिरक्षा तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, औद्योगिक उत्पादन के पुनर्गठन द्वारा, विशेष कदम उठा रहा है। परिवार नियोजन, प्रावधिक शिक्षा तथा विद्युत् कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। धन के अभाव के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात सम्बन्धी कार्यों में कटौती करनी पड़ी है। अगले वर्ष के लिए यह पूर्वता क्रम (priority) तथा लक्ष्य योजना आयेगा आयोग के सुझाव के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। ऐसे परिवर्तन जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक होंगे, वे अधिकतर वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने

नोट—तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पर आधारित होंगे, लेकिन मुख्यतया कृषि उत्पादन विद्युत्, परिवार नियोजन, प्रावधिक शिक्षा तथा उद्योग के कार्य-क्रमों को प्राथमिकता मिलती रहेगी।

*२७–२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*२९–३०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—]

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

डिस्क्रिशनरी फण्ड से जिलेवार स्वीकृत धन

*३१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ तथा नवम्बर, १९६५ तक समाज कल्याण विभाग के डिस्क्रीशनरी फन्ड से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितना रुपया वितरण किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०३–७०४ पर) ।

*३२–३३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

[पुनर्विचार पर हटा दिये गये]।

जौनपुर जिले में डी० वाई० एस० पी०, श्री सालिगराम शर्मा का तबादला

*३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० वाई० एस० पी०, श्री सालिगराम शर्मा, जौनपुर को प्रिपेरेटरी टु रिटायरमेंट का आदेश हो गया है ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है ? इस के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

श्री सागिलराम शर्मा, डी० वाई० एस० पी० को प्रिपेरेटरी टु रिटायरमेंट का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० वाई० एस० पी०, श्री सालिगराम शर्मा, जौनपुर का तबादला दो-दो बार होने तथा जिला पुलिस सलाहकार समिति के सर्वसम्मति सलाह देने पर भी उन्हें क्यों जौनपुर में अभी रोक रक्खा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री सालिगराम शर्मा के तबादले के बारे में जिला पुलिस सलाहकार समिति की कोई सलाह सरकार को प्राप्त नहीं हुई। उन के तबादले के आदेश २९–११–६५ को जौनपुर से सहारनपुर के लिए जारी किये गये। सहारनपुर में उन्होंने दिनांक १९–१२–६५ को चार्ज ले लिया। श्री शर्मा के तबादले के आदेश रद्द नहीं किये गये।

खांडसारी इंस्पेक्टरों का चुनाव

*३६—श्री श्रीराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने १ जनवरी, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक की अवधि में कितने उम्मीदवारों को खांडसारी इन्स्पेक्टर के पद के लिए चुना और चुने हुये लोगों में से कितनों को नियुक्त किया जा चुका है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार लोक सेवा आयोग ने खंडसारी इन्स्पेक्टरों के पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव किये जाने से सम्बन्धित सिफारिशें अभी भेजी नहीं हैं। अतएव शेष प्रश्न नहीं उठता।

सम्भल नगरपालिकाध्यक्ष पर आक्रमण

*३७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि सम्भल (मुरादाबाद) के नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष पर दिनांक १२ जून, १९६५ को नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों ने प्राणघातक हमला किया था ? यदि हां तो पूरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना तथा उसके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७०५ पर)।

जौनपुर जज की इजलास से श्री नुजहत अली को मान हानि दण्ड

*३८—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री नुजहत अली, डी० पी० ओ०, गाजीपुर २६ नवम्बर से लगायत ३० नवम्बर के बीच में जौनपुर जज के इजलास में अशिष्ट और अश्लील व्यवहार के कारण मान हानि के लिए दंडित किए गए ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके इस अश्लील और अशिष्ट व्यवहार पर कोई विभागीय कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३९—श्री यादवेन्द्र दत्त—

क्या यह सही है कि गवाही देने जौनपुर आने के लिए उन्होंने सरकारी गाजीपुर के नियोजन विभाग के जीप का प्रयोग किया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मथुरा जिले में मैट्रोलाजिकल विमान द्वारा छोड़ा गया गुब्बारा

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मथुरा जिले के जिलाधीश को ग्राम बजना २५ मील दूरी पर बजरा के खेत से एक ट्रांसमीटर तथा रबर का छाता पोस्ट मैन ने दिया है। यदि हां, तो यह घटना क्या थी और वह ट्रांसमीटर तथा छाता कहां के बने थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कथित वस्तुएं ट्रांसमीटर तथा रबर का छाता नहीं है, परन्तु मैट्रोलाजिकल विमान द्वारा मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा गया गुब्बारा प्रतीत होता है जिसमें कुछ यन्त्रादि लगे हुए हैं।

नगरों का नाम बदलने का सुझाव

*४१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी, इलाहाबाद का प्रयाग, फैजाबाद का साकेत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

हाथरस की मिलों को जस्ता, तांबा, पीतल

*४२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जस्ता तथा तांबे का कितना कोटा प्रति वर्ष दिया जाता है और कितने मेट्रिक टन कुल वजन का माल तैयार होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाथरस में सन् १९६४–६५ में ७·०३ मि० टन तांबा तथा ५·१७ मि० टन जस्ता दिया गया था जिसमें कुल ६१·३९७ मि० टन माल तैयार हुआ।

*४३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में कितने रोलिंग मिल्स पीतल गुल्ली बनाने के लाइसेन्स दिए जा चुके हैं। वे लाइसेन्सदार अपना निजी कितना-कितना पीतल स्क्रेप तथा इंगोट (सिल्ली) गलाते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाथरस में कुल ६ रोलिंग मिलों को पीतल की गुल्ली बनाने के लाइसेन्स दिए गए हैं। ये मिलें अपना निजी माल रोल नहीं करती हैं बल्कि मजदूरी पर अन्य कारखानों का माल रोल करती हैं।

*४४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन रोलिंग मिल्स पर दूसरे पीतल वालों का प्रति-मास कितने मैट्रिक टन्स माल गल जाता है, तथा शासन के पास इस माल की क्वालिटी के आंकने के लिए क्या साधन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६५ में ६ रोलिंग मिलों में प्रतिमास औसतन ४९·४३ मि० टन माल रोल हुआ। शासन के पास माल की क्वालिटी आंकने के कोई साधन नहीं हैं।

*४५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।

थाना सराय आकिल के पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी

*४६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग जिले के थाना सराय आकिल के इंचार्ज तथा सहायक इन्सपेक्टरगण दिनांक २२ से ३० जुलाई, १९६५ तक रात्रि में कहां-कहां ड्यूटी पर गए तथा कहां रात्रि में निवास किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७०६–७०७ पर)

अल्मोड़ा जिले में डाक्टर रामेश्वरदयाल अग्रवाल की मृत्यु की जांच

*४७—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डा० रामेश्वर दयाल अग्रवाल, ए० एम० बी० एस० जो मेडिकल इंचार्ज कुवाली, जिला अल्मोड़ा में थे ९ जनवरी, १९६४ को उनकी हत्या किस कारण की गई और इस मामले में अब तक सरकार ने क्या किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १० जनवरी, १९६४ को डा० रामेश्वर दयाल अग्रवाल मेडिकल अफसर, राजकीय चिकित्सालय, कुवाली, जिला अल्मोड़ा की जली हुई लाश पाई गई थी। जांच से मृत्यु का कारण आत्महत्या पाया गया।

*४८—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि डा० के पिता ने उसकी जांच के लिए सरकार से लिखा पढ़ी की थी, उसकी क्या जांच हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मृतक के पिता का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा को भेज दिया गया था। उक्त मामले में नियमित रूप से पुलिस जांच कर ही रही थी। प्रार्थना-पत्र पर अलग से कोई जांच नहीं की गई।

*४९—श्री रामप्रसाद देशमुख—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसका जो सामान था उसके घर वालों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यद्यपि मृतक के पिता को दिनांक २४–१–६४ को तार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना दी गई थी किन्तु मृतक के सामान को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा।

नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवारी का हरिजन छात्रावास

*५०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा प्रयाग जिले के भरवारी स्थित नेशनल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हरिजन छात्रावास निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में कितना-कितना रुपया किस-किस मद के लिए मिला ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

१९५३–५४ के वित्तीय वर्ष में हरिजन छात्रावास निर्माण के लिए इस विद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

बहेड़ी केन सोसाइटी का लाभ

*५१—श्री कमलसिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहेड़ी केन सोसाइटी जिला बरेली ने सन् १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कितने रुपए का गन्ना कृषकों से खरीदा और उन वर्षों में उसको उस गन्ने की बिक्री से शुद्ध लाभ क्या हुआ और उस शुद्ध लाभ को किस प्रकार से व्यय किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

बहेड़ी गन्ना समिति, जिला बरेली ने वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में गन्ने का कोई क्रय-विक्रय नहीं किया । अतएव उन वर्षों में गन्ने के विक्रय से शुद्ध लाभ होने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एटा जिले में सुरक्षा कोष की वसूली में अनियमितता की शिकायत

*५२—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ११ नवम्बर, १९६५ से १ दिसम्बर, १९६५ तक कितनी शिकायतें जिला एटा की जनता की प्राप्त हुईं जो कि सुरक्षा कोष के नाम पर रुपया लिया गया और रसीद नहीं दी गईं ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस सम्बन्ध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई । इस पर जांच कराई गई तथा आरोप मिथ्या पाए गए ।

फतेहपुर कलेक्टरी में हवालाती कैदी, श्री चन्द्रिकाप्रसाद की मृत्यु

*५३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १७ दिसम्बर, १९६५ ई० को करीब २ बजे दिन में जबकि श्रीमान चन्द्रभानु गुप्त फतेहपुर आए । फतेहपुर कलेक्टरी कचेहरी कम्पाउन्ड में हथकड़ियों से कसे पुलिस कांस्टेबिलों द्वारा रिमाण्ड वापस ले जाते समय पानी-पानी चिल्लाते हुए प्यासी दशा में अत्यन्त बूढ़ा ३०४ ता० हिन्द के हवालाती कैदी चन्द्रिका दुबे, निवासी ग्राम कन्धरपुर, थाना जहानाबाद अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर कर मर गया और उसके शव की शव-परीक्षा की मांग करते हुए जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिंटेंडेंट, फतेहपुर को प्रश्नकर्ता ने लिखित सूचना दी और मुख्य मन्त्री व गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश के पास भी सूचनायें भेजी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

श्री चन्द्रिका प्रसाद दुबे को, जो थाना जहानाबाद के धारा ३०४ भा० दं० वि० के एक मुकदमें में अभियुक्त थे, दिनांक १७–१२–६५ को रिमाण्ड के सम्बन्ध में कचेहरी लाया गया था और जब रिमाण्ड के कागजात ए० डी० एम० (न्याय) की अदालत में तैयार किए जा रहे थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था। मृतक की शव की परीक्षा की गई और इस में मामले में मैजिस्टीरियल जांच भी हुई। मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रिका प्रसाद दुबे की मृत्यु का कारण दो पार्टियों में १६–१२–६५ को हुई मारपीट में चोटों का लगना था।

टी० डी० कालेज, जौनपुर के प्रधानाचार्य के कमरे में विस्फोट

५४—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर नगर स्थित टी० डी० (डिग्री) कालेज के प्रधानाचार्य के यहां १ दिसम्बर १९६५ को अथवा उसके आस पास कोई भीषण बम्ब विस्फोट हुआ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो क्या पता लगा?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

टी० डी० कालेज, जौनपुर के प्रधानाचार्य के कमरे में दिनांक १–१२–६५ को एक विस्फोट हुआ था। जांच से पता चला कि उक्त विस्फोट किसी बम से नहीं बल्कि एक बड़े पटाखे (cracker) द्वारा हुआ था। दुर्घटना की जांच जारी है।

हल्द्वानी अस्पताल में मृत व्यक्ति के संबंध में मुकदमा

*५५—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या यह सही है कि दिनांक २ जनवरी, १९६६ की रात्रि को नगर हल्द्वानी जिला नैनीताल के अन्दर एक व्यक्ति की लगभग ८ बजे शाम सन्देहात्मक अवस्था में मृत्यु पुलिस की जानकारी में हुई है? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है? क्या यह सही है कि मृत व्यक्ति का (dying declaration) भी रिकार्ड नहीं करवाया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

मृतक के भाई द्वारा थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार मृतक दिनांक २–१–६६ को हल्द्वानी में सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा पाया गया जिसको उसने अस्पताल में भरती कराया। इस सूचना पर धारा ३२४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और जांच अधिकारी के अस्पताल पहुंचने पर मृतक दो चार शब्द बोलते ही बेहोशी हो गया और अन्त तक बेहोश रहा। इस कारण उसका (dying declaration) नहीं कराया जा सका। दूसरे दिन मृतक की मृत्यु हो जाने पर धारा ३२४ का मुकदमा धारा ३०२ भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया और अभियुक्त का, जो फरार है, चालान कर दिया गया है।

*५६–५८—श्री राजेन्द्र सिंह—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

ए० डी० ओ०, उद्योग को यात्रा भत्ता

*५९—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि विकास खण्डों के सभी ए० डी० ओ० गण को ५ मील से अधिक बाहर जाने पर यात्रा भत्ता दिया जाता है, परन्तु यह भत्ता ए० डी० ओ० (उद्योग) को नहीं दिया जाता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

केन्द्र से राज्य अधिकारियों को वापस बुलाने का सुझाव

*६०—श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश प्रशासन के सुयोग्य और वरिष्ठ आई० ए० एस० आफिसर का केन्द्रीय सरकार को ६० अफसरों का कोटा निश्चित है लेकिन १०० से अधिक सुयोग्य आफिसर केन्द्रीय सरकार को भेजे जा चुके हैं। प्रदेश की जनता का हित देखते हुए प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कोटा से अधिक जो योग्य आफिसर केन्द्र में भेज दिए गए हैं वापस करने की व्यवस्था की जायगी या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश के आई० ए० एस० कैडर में डेपूटेशन के लिए ९३ जगह हैं जिनमें से ६१ जगह सिर्फ केन्द्र के लिए और बाकी ३२ जगह जनरल हैं जो केन्द्र को भी दी जा सकती हैं।

इस समय भारत सरकार में हमारे ९८ अफसर काम कर रहे हैं जिनमें से ८३ उक्त कोटे में से हैं। इसलिए कोटे के ऊपर काम करने वाले अफसरों का नम्बर १५ हैं। केन्द्रीय सरकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हित में उनकी मर्जी के खिलाफ राज्य सरकार अपने अफसरों को बुलाना ठीक नहीं समझती।

*६१—श्री जसराम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह समस्त आई० ए० एस० आफिसर को यह पूछेंगे कि कौन-कौन आफिसर उन प्रदेश में वापस आना चाहते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में वापस आने के लिए पूछने का सवाल नहीं उठता क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को जहां भेजा जाता है वहां उसको जाना पड़ता है और यदि कोई अफसर वापिस आना ही चाहता हो तो उनको इस बारे में लिखा-पढ़ी करने पर कोई रुकावट नहीं है।

*६२—श्री जसरामसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने पी० सी० एस० आफिसर केन्द्रीय सरकार में हैं? उनका केन्द्रीय सरकार का कोटा है या नहीं ? पी० सी० एस० आफिसरों को जिनका समय बाहर रहने का समाप्त होता जाय उनको समय न बढ़ाया जाय वापस बुला कर राज्य की सेवा का अवसर दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश के १७ पी० सी० एस० अफसर इस समय केन्द्र में काम कर रहे हैं। उनका केन्द्रीय सरकार में अलग से कोई कोटा नहीं है। उनके डेपूटेशन की अवधि जरूरतों को देखते हुए समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

ए० एस० डिग्री कालेज, फतेहपुर के लिए कथित चन्दा

*६३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला फतेहपुर के जिलाधीश बन्दूकों व रिवाल्वरों के लाइसेन्स प्राप्त करने के प्रार्थियों से सुरक्षा कोष के अलावा अनिवार्य रूप से ए० एस० डिग्री कालेज, फतेहपुर का चन्दा भी वसूल करवाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

*६४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४–६५ में जिला फतेहपुर के किन बन्दूकों व रिवाल्वरों के लाइसेन्स प्राप्त कर्ताओं से कितना-कितना चन्दा ए० एस० डिग्री कालेज, फतेहपुर के नाम से वसूल किया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६४ व १९६५ में ए० एस० डिग्री कालेज के निमित्त किसी भी लाइन्सेसिंग अधिकारी ने कोई चन्दा लाइसेन्स प्राप्त कर्ताओं से वसूल नहीं किया है।

*६५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने अब तक कालेज का चन्दा नहीं दिया उनके बन्दूकों व रिवाल्वरों के प्रार्थना-पत्र पड़े हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कहां के व्यक्ति ह?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। चन्दा न देने वाले व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के विरुद्ध जांच

*६६—श्री रामकिशोर वर्मा (फतेहपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी फतेहपुर, श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का ३ जुलाई, १९६५ का कोई पत्र विकास मंत्री एवं संयुक्त सचिव विकास विभाग, श्री टी० पी० तिवारी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस पत्र की प्रति लिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी और यह बतायेंगी कि उसकी जांच कब और किसके द्वारा की गई तथा क्या परिणाम रहा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायतों पर जांच सितम्बर, १९६५ में उस विकास आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा की गई। भ्रष्टाचार की शिकायतें निराधार पायी गयीं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७०८–७१० पर)

*६७—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिला नियोजन अधिकारी का स्थानान्तरण जब नवम्बर, १९६५ में बांदा जिलेके लिये कर दिया गया तब कारण क्या है कि उन्होंने अभी तक फतेहपुर से बांदा पहुंचकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और यह भी बतायेंगे कि शासन ने इस आज्ञोलंघन के सम्बन्ध में उनके वि द्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रशासकीय कारणों से उनका बांदा जिले के लिये स्थानान्तरण रद्द करना पड़ा। अब उनका मैनपुरी स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*६८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त जिला नियोजन अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला परिषद् के मध्य आन्तरिक मतभेद होने से जिले का विकास कार्य ठप हो गया है? यदि यह तथ्य सही है तो जिले के हित में जिला नियोजन अधिकारी का यथाशीघ्र वहां से हटाने में कठिनाई क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं है।

थाना पट्टी में डकैतियां

*६९—श्री रामकिंकर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ में १८/१९ नवम्बर, १९६५ की रात में सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने ग्राम महरूपुर में प्रतापसिंह के घर और महरूपुर से दो मील पूरब रायपुर गांव में मतई व राम सुमेर के घरों में डाका डाला, मर्द, औरतों को मारा पीटा तथा धन उठा ले गये तो क्या यहां की पुलिस ने डाका न दर्ज कर चोरी दर्ज किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खुफिया पुलिस द्वारा असलियत की जांच करा कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१८/१९ नवम्बर, १९६५ की रात्रि में ग्राम महरूपुर तथा रामपुर थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुयी।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*७०—श्री रामकिंकर—

क्या यह सही है कि उपरोक्त थाना अन्तर्गत ग्राम पर्वत सुलेमानपुर में २२/२३ नवम्बर १९६५ को एक मुसलमान के घर पर डाका पड़ा और डाकुओं ने एक व्यक्ति को गोली से मार दिया ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक मुकदमा धारा ३९६ भा० द० विधान के अन्तर्गत थाना पट्टी पर कायम किया गया। २ अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। विवेचना जारी है।

सहायक विकास अधिकारी, उतरौला के यहां चोरी

*७१—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि ७ व ८ जून, १९६५, की रात्रि में सहायक विकास अधिकारी उद्योग विभाग क्षेत्र उतरौला, जिला गोंडा के यहां लगभग ४०,००० रु० की चोरी हुई और उसका नामजद रिपोर्ट थाने में अधिकारी ने किया ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ७/८ जून, १९६५ की रात में उनके यहां चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी उद्योग उत्तरौला ब्लाक गोंडा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें ४०,००० रु० नहीं बल्कि केवल १,४७६ रु० का माल चोरी हो जाने का उल्लेख था। उक्त रिपोर्ट में तीन व्यक्तियों पर चोरी कराने का सन्देह प्रकट किया गया था।

उक्त मामले में आवश्यक जांच की गई परन्तु सही अपराधियों का पता नहीं चल सका। अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई।

उत्तराखंड में विकास व्यय

*७२—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २८ करोड़ रुपया जो यूनियन गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के लिये मंजूर किया और जिसका जिक्र २७ दिसम्बर की सरकारी सूचना में आया है उसमें से कितना रुपया अब तक पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले में खर्च हो चुका है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त धनराशि में से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक २१,८३,८१,४४४ रु० की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

*७३—श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर—

उक्त जिलों में अब तक कौन-कौन इमारतें तैयार हो चुकी हैं, कौन बाकी रह गई हैं?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*७४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

कितनी मील सड़कें २८ करोड़ पये में से उक्त तीनों जिलों में बनी हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण, सुधार तथा पुनर्निमाण-कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कुछ सुधार कार्य अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा भी किया जा रहा है। इनके द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६५ तक उक्त धनराशि के अन्तर्गत किये गये कार्य का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७११ पर)

सचिवालय में कथित छटनी

*७५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के कितने चपरासी लिपिक और राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी सेवा मुक्त किये जा रहे हैं और क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सचिवालय के कोई भी चपरासी, लिपिक और राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी इस समय सेवा मुक्त नहीं किये जा रहे हैं।

*७६—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चपरासियों, लिपिकों और अधिकारियों के सेवामुक्त किये जाने पर सरकार की कितने पैसे की बचत होगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

*७७—श्री उमाशंकर—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

चीनी मिलें चालू करने का सुझाव

*७८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रान्त में चीनी की मिलें हर साल देर से चालू होने के कारण गन्ने की बहुत सी जमीन रबी की बुवाई से पहले खाली नहीं हो पाती है ? क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेगी कि चीनी मिलें प्रति वर्ष नवम्बर मास के प्रारम्भ में चालू हो जाया करें ताकि गन्ने के खेत जल्दी खाली होने पर जमीन में रबी की फसल बोई जा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, जलवायु के प्रभाव से अधिकांश क्षेत्रों में गन्ना पूरी तरह पक नहीं पाता जिस से रिकवरी कम होती है और मिलों के शीघ्र चालू होने में उन्हें हानि पहुंचने की संभावना रहती है । चीनी मिलों को प्रतिवर्ष नवम्बर मास के प्रारम्भ से चालू होने के लिये कानूनन बाध्य करना संभव नहीं है फिर भी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने गत वर्षों में जब जैसी आवश्यकता हुई , चीनी उत्पादन को बढ़ाने अथवा समस्त गन्ना शीघ्रातिशीघ्र क्रश हो जाने के उद्देश्य से प्रोत्साहन आबकारी शुल्क या क्रय कर में छूट द्वारा दिया है । इस वर्ष समस्त मिलों को २० नवम्बर तक चालू होने के लिये प्रार्थना की गई थी और नवम्बर के अन्त तक लगभग सभी चीनी मिलें चालू हो गईं ।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में राज्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*७९—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भारतीय खनिज विद्यालय (इंडियन स्कूल आफ माइन्स) धनबाद के उत्तर प्रदेशीय छात्रों के निमित्त कोई छात्र-वृत्ति प्राप्त होती है ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रतिमास और कितने छात्रों को प्रति वर्ष ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

५० रुपये प्रति मास की ८ छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष प्राविधिक शिक्षा विभाग से दी जाती हैं ।

सीतापुर जिले में सुरक्षाकोष की वसूली के संबंध में जांच

*८०—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ नवम्बर, १९६४ ई० को सीतापुर पी० ए० सी० के समापन समारोह दिवस पर जब वह पधारी थीं कैनाल इंस्पेक्शन हाउस में श्री ताराचन्द माहेश्वरी भूतपूर्व एम० एल० ए० ने कुछ ऐसी रसीदों की फोटोग्राफ कापी जिनके द्वारा सैनिक सेवा समिति के नाम से सुरक्षा कोष हेतु धन एकत्रित किया गया था जांच हेतु दी थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, । जांच की जा रही है ।

नैपाल पुलिस द्वारा नाविकों पर गोली

*८१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २ जनवरी, १९६६ को भारत नेपाल सीमा के अन्तर्गत नावों पर गिट्टी ले जाते समय नेपाल की पुलिस ने गोलियां नाविकों पर चलाई हैं जिस से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा बहुत से घायल लोग गोरखपुर जिला अस्पताल में पड़े हैं? यदि हां, तो पूरी घटना के बारे में एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक २ जनवरी, १९६६ को भारत नेपाल सीमा के अन्तर्गत नेपाल पुलिस ने नाविकों पर गोली चलाई जिस से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा ३ घायल व्यक्ति गोरखपुर जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती हुये।

घायल व्यक्तियों के कथनानुसार वे नाव पर २ जनवरी, १९६६ को नदी द्वारा पत्थर (बोल्डर) ला रहे थे कि चौकी शंकर डिडाही नेपाल राज्य की पुलिस ने नाविकों से चुंगी के लिये नाव रोकने को कहा परन्तु नाव पानी के तेज बहाव के कारण बीच नदी में बहकर चली गई जिस पर नैपाल पुलिस ने गोली चलायी। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

किच्छा तहसील में गन्ना केंद्र

*८२—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील किच्छा (नैनीताल) में कितने गन्ने के सेंटर और किन-किन मिलों के लोग हैं और प्रत्येक सेन्टर की डिमान्ड क्या है और इस समय नित्य की सप्लाई क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान सीजन में तहसील किच्छा (नैनीताल) में जितने गन्ना क्रय केन्द्र जिन-जिन मिलों के साथ लगे हैं और प्रत्येक केन्द्र पर अगल-अलग गन्ने का आफर और १ फरवरी, १९६६ तक प्रति दिन की सप्लाई आदि का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७१२ पर)।

अतारांकित प्रश्न

चर्मशोधन सहकारी समिति, बरिगवां को अनुदान

१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में देवमयी विकास खंड के अन्तर्गत बरिगवां गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड को वर्ष १९६२–६३ या इसके आस-पास भवन निर्माण के सहायतार्थ २२,५०० रुपये की धनराशि क्या अनुदान के रूप में दी गई थी? यदि हां, तो अब तक भवन कितना और कितनी कीमत का बना?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्म शोधन सहकारी समिति, बरिगवां को सन् १९६०-६१ में कुल २२,५०० रु० दिया गया जिस में से १५,००० रु० अनुदान व ५,००० रु० ऋण भवन निर्माण करने व १,८७५ रु० अनुदान व ६२५ रु० ऋण मशीनें खरीदने के लिये दिया गया। भवन करीब-करीब बन चुका है व समिति ने इस पर लगभग १२,००० रु० व्यय किये हैं।

२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त दी गई धनराशि का क्या श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव जो वहीं शिक्षक पद पर थे ने केवल ७,००० रुपये के भवन निर्माण में वास्तविक व्यय किये और अवशेष धनराशि का भवन व्यय में दिखा कर स्वयं हड़प गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस विषय पर विस्तृत रूप से जांच करवा ली गई है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विश्लेषण के पश्चात् ही सही स्थिति का अनुमान हो सकेगा।

३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार उक्त भवन के सम्बन्ध में जांच कराकर बताने की कृपा करेगी कि उसमें (भवन) कुल कितना व्यय हुआ और उसकी वास्तविक कीमत क्या है? और अवशेष धनराशि के प्राप्त करने अथवा सम्बन्धित भवन में व्यय कराने का सरकार क्या प्रयत्न कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लगभग १२ हजार रुपये भवन निर्माण में व्यय हुये हैं। भवन की सही कीमत का अनुमान जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विश्लेषण के पश्चात् ही हो सकेगा और तदुपरान्त उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

परिगणित जातीय आई० ए० एस०

४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कहां-कहां और कौन जिलाधीश हरिजन वर्ग के हैं?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

इस समय (१-२-६६ को) प्रदेश में निम्नलिखित परिगणित जाति के ३ अफसर जिलाधीश के पद पर काम कर रहे हैं —

जिलाधीश का नाम	जिला
(१) श्री रमेश चन्द्र, आई० ए० एस० ..	प्रतापगढ़
(२) श्री श्याम बिहारी लाल, पी० सी० एस०	उन्नाव
(३) श्री गंगा राम, पी० सी० एस० ..	टेहरी गढ़वाल।

५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों के अन्दर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन हरिजन वर्ग के जिलाधीश थे जिन्हें दूसरे पदों पर रखा गया है और उनके वर्तमान पद क्या हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत तीन वर्षों में पांच परिगणित जाति के अफसर जिलाधीश रहे हैं जिन्हें अब दूसरे पदों पर रक्खा गया है। इनके नाम और वर्तमान पद इत्यादि संलग्न सूची (१) में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७१३ पर)

६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने हरिजन वर्ग के आई० सी० एस० व आई० ए० एस० आफिसर इस समय हैं और वे किन-किन पदों पर तैनात हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

परिगणित जाति का कोई भी आई० सी० एस० अफसर इस प्रदेश के आई० ए० एस० काडर में नहीं हैं। परिगणित जाति के आई० ए० एस० अफसरों की इस समय संख्या १३ है। वह अफसर जिन पदों पर तैनात हैं उसकी सूची संलग्न तालिका सूची (२) में दे दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७१४ पर।)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६६†

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा (ग-१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१ १२०(१)/१५-६०(१९)-१९६५, दिनांक ५ जनवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६६ को, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

जिला टेहरी गढ़वाल की बन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

अध्यक्ष महोदय, मैं जिला टेहरी-गढ़वाल की बन्दोबस्त रिपोर्ट, १९६५ को यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ९५-ए के अनुसार चर्चा के लिए सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

इस पर श्रीमन्, चर्चा कब होगी? मैं ने चर्चा के लिए प्रस्ताव किया था, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

इस समय तो तिथि निश्चित करना मुश्किल है। ३१ मार्च के बाद आप कोई तिथि मुकर्रर कर लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३ फरवरी, १९६६ की बैठक में, पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ७ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, सचिव महोदय का माईक ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, आप इसे ठीक करा दीजिये, इसके लिए मैं ने आप से कई बार पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्ष---

जो इस में लिखा है वह यह पढ़ देते हैं। खैर ठीक करा दिया जायेगा।

---

†छापा नहीं गया।

*छापी नहीं गयी।

कुंवर तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आया है, उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है। माननीय कुंवर तेजभान जी अनशन कर रहे हैं। अनशन स्वेच्छा से हो रहा है, इसलिए उस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। दूसरे यह प्रस्ताव का विषय आय-व्ययक में अन्तर्निहित है, तीसरी बात यह है कि यह सदन या कौंसिल हाउस प्रदर्शन स्थल नहीं बनाया जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर कोई माननीय सदस्य स्वेच्छा से अनशन करके मरना चाहे तो क्या आप उसे मर जाने देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

तो मैं सरकार से कहूंगा कि उन्हें मरने न दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इस कामरोको प्रस्ताव के साथ उनकी मांगों की तालिका भी आप के पास गयी होगी। श्रीमन्, आप को सुनकर यह भी ताज्जुब होगा कि अनशन करने के पहले उन्होंने दिनांक १३ फरवरी को माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था कि हमारी यह-यह मांगें हैं और आप को हमारी मांगों के सम्बन्ध में क्या कहना है। लेकिन उनके १३ तारीख को लिखे गये पत्र का उत्तर कल २३ तारीख को ढाई बजे माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर १० दिन के बाद एक, १।। लाख जनता के प्रतिनिधि को उत्तर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि गांव में बसने वाली जनता का क्या हाल होगा। श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन, आप देखेंगे कि ऐसी मांगें हैं जो वैधानिक हैं और जिनके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये जैसे मिट्टी के तेल और गांव समाज की सम्पत्ति के हनन का सवाल है। मैं समझता हूं कि आप को सरकार से कहना चाहिये कि कानूनी कार्यवाही जो हो सकती है, उसको करने में वे क्यों देरी करता है ?

श्री अध्यक्ष—

श्री रामसुन्दर पांडेय, आप तो एक पार्टी के नेता हैं, यह सब बातें तो आय-व्ययक के अनुदानों पर कही जा सकती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बहुत सी मांग ऐसी होती हैं, जिन पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है, लेकिन बजट भाषणों में जो बातें कही जाती हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही कैसे होगी। इस लिए आप माननीय मुख्य मन्त्री जी से कुछ कहलवायें तो सही।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत तो मैंने श्री कल्याण चन्द मोहिले की सूचना को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसको माननीय मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। शेष सूचनाओं को भी मैंने स्वीकार नहीं किया है।

सदन द्वारा स्वीकृत श्री राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव के उत्तर में श्री राज्यपाल का संदेश

श्री अध्यक्ष--

महामान्य राज्यपाल का एक पत्र इस प्रकार से आया है हमारे धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में:--"श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आप के दिनांक १६ फरवरी, १९६६ के लिए जिसे आप ने स्वयं आकर दिया, धन्यवाद देता हूं, विधान सभा के प्रस्ताव के लिए जिसे उन्होंने अपनी दूसरी फरवरी के सत्र में स्वीकार किया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के संबंध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैंने नियम ५२ की सूचना सरकारी कर्मचारियों ने जो काली पट्टी लगाकर घूमना प्रारम्भ कर दिया है, उसके सम्बन्ध में दी है। सरकार की सारी मशीनरी में इतना बड़ा असन्तोष है। माननीय अध्यक्ष जी उस के लिए आप कृपा करके सूचना सरकार से दिलाइये। सरकारी मशीनरी में व्यापक असन्तोष है तो सरकार का काम शांतिपूर्ण ढंग से कैसे चलेगा। उसकी सूचना भी सरकार को है या नहीं और आप ने नियम ५२ स्वीकार भी नहीं किया है तो फिर सरकार को यह सूचना कैसे मिलेगी और वह कैसे बतावेंगे हम सब लोगों को कि सरकारी कर्मचारियों में इतना असन्तोष क्यों है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके वह आदेश देख लें जो मैंने दिये हैं और वह यह हैं कि नियम ५० के अन्तर्गत भी यह बात कही जा चुकी है और वह विषय माननीय श्रीपाल सिंह के संकल्प के अन्तर्गत भी आया है। तो वह विषय आदरणीय सदन के समक्ष विचाराधीन ही है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन का यह रूप जो अब आया है, वह उस समय नहीं था। अब तो सरकारी कर्मचारी सरकार के मुंह पर मातम करने लगे हैं। अब अगर उन्होंने कल कलम रख दिया तो फिर भी क्या आप कहेंगे कि वह प्रस्ताव आया है इसलिए उसे नहीं स्वीकार करेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अगर काम बन्द कर दिया गया तो सामान्य जनता पर उससे असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं एक सूचना दे दूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, सरकारी कर्मचारी बेचारे इतने त्रस्त हैं कि अभी तो वे काली पट्टी बांध रहे हैं और कल वे यहां पर जब गड़बड़ फैलायेंगे तब आप कहेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप को विश्वास दिलाता हूं और मुझे पूरा एतकाद है कि वे गड़बड़ नहीं करेंगे।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, इलाहाबाद एवं लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट्स तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आप को एक सूचना दे दूं। उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल में निर्वाचन के लिए जो तिथि कल थी अब उस निर्वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वास्ते कि जो अतिरिक्त नाम थे वह वापस हो गये। अब उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज काउन्सिल के लिए

१—श्री एस० जी० दत्त, (कानपुर)।
२—श्रीमती शकुन्तलानायर (बस्ती)।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए

१—श्री बालोजी अग्रवाल (आगरा)
२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (इलाहाबाद)
३—श्री जगन्नाथ सिंह (फतेहपुर)
४—चौधरी नौनिहाल सिंह (इलाहाबाद)
५—डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (इलाहाबाद)

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट क लिए

१—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जौनपुर)
२—श्री बंशीधर मिश्र (लखीमपुर)
३—राजा विजयकुमार त्रिपाठी (लखनऊ)
४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (गढ़वाल)
५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (सीतापुर)

तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के बलिए

१—श्री उग्रसेन (देवरिया)
२—श्रीमती कला र नी मिश्र (हरदोई)
३—श्री रामसूरत प्रसाद (गोरखपुर)
४—श्री वशिष्ठनारायण शर्मा (गाजीपुर)
५—श्री जगन्नाथ राव (जौनपुर)

निर्वाचित हुये।

समाचार-पत्र में संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य को जनसंघ का सदस्य छापने पर आपत्ति

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

श्रीमन्, मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं। किन्तु आज अखबार में मेरा नाम जनसंघ का सदस्य लिखा गया है। आप इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करें कि सम्बन्धित समाचार पत्र इसका निराकरण करें।

श्री अध्यक्ष—

जिस समाचार पत्र में यह छपा है, कृपया इसको दुरुस्त कर दें।

१९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद † (क्रमागत)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, इनका भाषण कल समाप्त हो गया था।

श्री अध्यक्ष—

इनके दो मिनट बाकी हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह कल समाप्त कर चुके थे।

श्री बैनजाथसिंह वैद्य—

मैं यह कह रहा था कि जब आप सरकार की आलोचना करें तो आप देखें कि कौन सी खराबियां हैं और कौन सी अच्छाइयां हैं। यदि अच्छाइयां हैं तो ज्यादा आलोचना नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें आप कल अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। (श्री मन्नालाल का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, मेरे दो मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मन्नालाल को बोलने के लिए बुला लिया है।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, आज ५ दिन से इस बजट पर सामान्य विवाद हो रहा है। उसमें सरकारी पक्ष की ओर से और विरोधी दल की ओर से जो विवाद हुआ उस में सरकारी पक्ष के लोगों ने पहले तो बजट का समर्थन किया लेकिन अन्त में...

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप ने मुझे इजाजत दी कि मैं दो मिनट बोलूं और मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया। उसके बीच में उधर से खलल पैदा करने वाले महाशय खड़े हो गये और उसके बाद आपने आदेश दे दिया कि मत बोलो। तो आप इस बात पर व्यवस्था दें कि आप ने किस आधार पर पहले कहा था कि दो मिनट बोलें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, तो मैं बतला देता हूं।

---

†२३ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।

अगर किसी माननीय सदस्य को मैं बुलाता हूं और स्वयं वह जानता है कि मेरा समय समाप्त हो गया है और कल उनको इस की सूचना मिल चुकी थी तो उनका कर्तव्य यह हो जाता है कि वे खड़े हो कर कहते कि मैं कल बोल चुका हूं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

मैं कल ४ बज कर ५१ मिनट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था, आप १० मिनट से ज्यादा हर किसी को समय देते हैं और कल मैं केवल ९ मिनट ही बोल पाया था।

श्री अध्यक्ष---

जब एक मर्तबा चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से इस पीठासीन सदस्य द्वारा यह कह दिया गया कि आपका समय समाप्त, तो आप को उसे खुद स्वीकार कर लेना चाहिये। अब आप कृपया बैठें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा गया था।

श्री मन्नालाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ५ दिन से इस बजट पर जो सामान्य विवाद हो रहा है, उस पर विरोधी दल और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं, उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकारी पक्ष के लोग पहले तो बजट का समर्थन करते हैं लेकिन अन्त में विरोधी दल से कहीं ज्यादा कड़ी आलोचना करते हैं। इस से लगता है कि यह बजट सही नहीं है, ४२० का है। यह पूंजीवादी तथा शोषण करने वाला बजट है। सन् १९६६-६७ का जो बजट इस सदन में पेश है उस को देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई और साथ ही साथ इस से बहुत बड़ा भ्रम भी पैदा हुआ है। यह पूंजीवादी बजट है, जिस में सिवा पूंजीपतियों के और गरीब कहलाने वालों और शैडयूल्ड कास्ट व हरिजनों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। क्योंकि पहले तो सन् १९६५-६६ के बजट में अनुसूचित जातियों के लिए ३ करोड़ ५६ लाख १२ हजार रुपया रखा गया था लेकिन अब उस को घटा कर २ करोड़ ६५ लाख ७८ हजार रुपया कर दिया गया है, यानी ९० लाख ३४ हजार रुपये की कमी हो गयी है। क्या यही समाजवादी कहलाने वाली सरकार का बजट है? मैं उम्मीद करता था कि उन के लिए इस बजट में और अधिक रुपया रक्खा जायगा लेकिन इसमें और ९० लाख ३४ हजार रुपये की कमी कर दी गयी। क्या यह समाजवाद को लाने वाला बजट है? यह तो पूंजीपतियों को और बढ़ाने वाला बजट है...

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं अपने आदेश का उल्लंघन किया है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री बैजनाथसिंह वैद्य ने सदन का परित्याग किया)।

श्री मन्नालाल---

अध्यक्ष महोदय, जो सेवा सम्बन्धी संस्थायें हैं उनके बजट में भी इस बार कमी कर दी गयी है। जैसे ग्राम समाज व पंचायतों की मद में २ लाख ८६ हजार रुपये की कमी कर दी गयी है और सहकारिता में ४६ लाख ९० हजार रुपये की कमी कर दी गयी है, उद्योग में २ लाख ५६ हजार रुपये की कमी कर दी गयी है, समाज कल्याण में ५ लाख ५५ हजार की कमी दी गयी है, और सिंचाई में १ करोड़ २८ लाख १६ हजार रुपये की कमी की गयी है। आज जब खाद्यान्न की कमी है, तो सिंचाई के बजट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिये था, लेकिन ऐसा न कर के उस बजट में १ करोड़ २८ लाख रुपये की और कमी कर दी गयी है। खास कर जब से हमारे

[श्री मन्नालाल]

नये कृषि मन्त्री माननीय गेंदा सिंह तशरीफ लाये हैं तब से तो पानी को ही उड़ा दिया और वे अकाल को लेकर आये हैं। इस साल तो बरसात में भी कम बारिश हुई और जाड़े की भी बारिश नहीं हुई, २६ जनवरी को थोड़ी बहुत बारिश हुई है, जिस से गरीब किसान को कुछ राहत मिली। कृषि मन्त्री अपने साथ तबाही लेकर आये हैं और मैं कहता हूं कि इसी पर उन को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये।

इस बजट को देखने से पता चलता है कि इस सरकार की तरफ से जितनी योजनायें बनी हैं वे सब असफल हुई हैं और उससे बेरोजगारी ही बढ़ी है। दूसरी योजना में जहां ९ लाख ४६ हजार लोग बेकार थे, वहां तीसरी पंचवर्षीय योजना में १३ लाख लोग बेकार हो गये और चौथी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ कर २१ लाख २ हजार तक हो जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूंजीपतियों का बजट है। इसमें सरकार ने प्लानिंग के ऊपर जो खर्च किया है, इतना खर्च करने के बाद उस से पूंजीपतियों का तो कुछ लाभ हुआ है लेकिन गरीबों को बिलकुल लाभ नहीं हुआ है जब कि राजस्व मन्त्री ने एलान किया था कि हम ने सीलिंग की है और उस से बची हुई जमीन हरिजनों को दी जायगी। लेकिन मैं ने तमाम जिलों में घूम कर देखा कि वह सारी बची हुई जमीन बड़े किसानों और पूंजीपतियों के कब्जे में हो गयी है जिनके पास हजार और दो हजार एकड़ के फार्म हैं। शायद दो, चार बीघे किसी जिले में किसी हरिजन किसान को मिल गयी हो। इसी तरह से चकबन्दी हुई है। जिला खीरी में जो भी बची हुई जमीन थी, वह सभापति और पूंजीपतियों ने आपस में बांट ली है। किसी ने कारखाना लगाने के लिए जमीन लेली है और किसी ने खेती के लिए। लेकिन वह जमीन हरिजनों को नहीं मिली। उनकी दशा खराब होने के बावजूद भी सरकार हरिजनों की तरफ ध्यान नहीं देती। सन् ६७ का समय मैं समझता हूं कि कांग्रेसियों के लिए बड़ा दुखद साबित होगा क्योंकि यह सरकार हरिजनों के वोटों पर ही यहां कायम है। हरिजन अब आप को क्षमा नहीं कर सकते। अब की बार आप यहां नहीं आ सकते। इस सरकार ने १९६२ के चुनाव के बाद ही लगान बढ़ाया था तो उसी समय जन संघ ने आन्दोलन किया, हमारे नेता गण और जनता को जेल जाना पड़ और उस से सरकार को विवश होकर उस बढ़े हुये लगान को वापस लेना पड़ा। फिर आप ने इधर एमरजेंसी के नाम पर ४ आना लगान बढ़ा दिया है। जब कि हमारे सूबे में दूसरे सूबों की अपेक्षा लगान बहुत अधिक है। आन्ध्र में ३.५० लगान है, बम्बई में १.६५, मद्रास में २.९३, पंजाब में २.२२, राजस्थान में २.१३ और हमारे उत्तर प्रदेश में ४.९८ है। लगान इतना ज्यादा होने के बावजूद आप ने ४ आना लगान बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुये लगान को देने में किसान बिल्कुल असमर्थ हैं और जनता कर्ज से दबी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि यह चार आना लगान खत्म किया जाय और यदि ऐसा न किया गया तो जन संघ सन् ६६ में २७ फरवरी से अपना आन्दोलन प्रारम्भ करने जा रही है और २५ अप्रैल तक हस्ताक्षर का अभियान चलेगा और उसके आगे दूसरी कार्यवाही की जायगी। इस लगान को समाप्त कराकर ही जनसंघ पार्टी दम लेगी।

इसके साथ ही पुलिस मन्त्री आज सुबह गलत जवाब दे रहे थे। इतना पैसा पुलिस पर खर्च होने के बावजूद भी पुलिस का निकम्मापन हमारे प्रदेश में कम नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे जिले में एक गांव है, गदम्पपुर, जिस में ३०-११-६५ को पी० ए० सी० के ७ जवानों ने रात को हमला किया और उस ग्राम की औरतों के साथ बलात्कार किया। उनकी दरख्वास्तें मेरे पास आयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री मन्नालाल—

उन्होंने ४ औरतों के साथ बलात्कार किया। उन लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, एस० पी० और डी० आई० जी० को दरख्वास्तें दीं, गृहमंत्री को लिखा पर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। गृह-मंत्री का जो उत्तर मेरे पास आया है, वह इस प्रकार है कि आपका पत्र मिला, मैं जांच करने को तैयार हूं लेकिन अधिकांश लोग फर्जी दरख्वास्तें दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसका शील हरण किया जाय, क्या वह अपनी झूठी बदनामी करायेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सन् ६६-६७ के बजट के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह एक बैलेन्स्ड बजट है, जिसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। मैंने इसे बैलेन्स्ड बजट क्यों कहा, इसकी मैं तशरीह करता हूं। आप जानते हैं कि अभी हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई और लड़ाई में एक दिन का खर्च करोड़ों रुपया होता है। इस जंग का असर हमारी माली हालत पर हुआ और इस समय हमारी सरकार को पैसे की जरूरत थी। मैं सरकार को इसलिये बधाई देता हूं कि उसने टैक्स न लगाते हुये भी बजट पेश किया है, ताकि जनता को सहूलियत हो। यूं तो अपोजीशन की मर्जी है, जो मन आये, कहे। हमारे माननीय पांडेय जी ने माना है कि इक्तसादी हालत इस प्रदेश की बढ़ी है। यह बजट २९१ करोड़ का है, जब कि किसी जमाने में ५५-५६ करोड़ का बजट आया करता था। यह माली हालत अच्छी होने का सबूत है। माली हालत का सुधार इन्डस्ट्री और जरायत से हो सकता है। जहां इतनी आमदनी हो, वहां की माली हालत भी अच्छी होनी चाहिये। विरोधियों की तरफ से नारा लगता है कि गरीब-गरीब हो गया, अमीर-अमीर हो गया। लेकिन इसमें सचाई नहीं है। बहुत से गरीब अमीर हो गये और बहुत से अमीर गरीब हो गये। समाजवादी ढांचे में ऐसा ही हुआ करता है। अगर कोई काम न करे तो वह गरीब ही रहेगा। अमेरिकन कहा करते हैं—दोज हू आर पूअर आर लेजी। जो काम नहीं करेगा वह गरीब रहेगा। पार्टीशन के जमाने में हम पंजाबियों के घर बरबाद हो गये थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हम खाते-पीते हैं, हमारे पास अपनी इमारतें हैं। नैनीताल की तराई में बहुत सी खराब जमीन पड़ी हुई थी जिसमें कोई किसान काम नहीं कर सकता था, लेकिन आज पंजाबियों के पास रह कर वे जमीनें सोना उगल रही हैं। यहां का किसान बारिश पर भरोसा करता है, अगर कुयें से सिंचाई करे तो फसल ज्यादा पैदा कर सकता है। हमारे प्रदेश में फूड की समस्या इसीलिए है कि बारिश नहीं होती और इसीलिये खुराक की कमी है लेकिन इसमें सरकार का कसूर नहीं है। अगर अपोजीशन वाले कुदरत के खिलाफ लड़ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका बल बहुत बड़ा है। लेकिन इनसान नहीं लड़ सकता। अपोजीशन का तो इन चन्द सालों में मैं यह रवैया देख रहा हूं कि कांग्रेस सरकार जो अच्छा काम करे उसको भी बुरा कहो और जो कमी का करे उसको भी बुरा करो। लेकिन आपके पास न समाजवाद है न कांस्ट्रक्टिव प्लान है। जनसंघ वाले जो कहते हैं तो अगर बजट में यह प्रावीजन हो जाय कि ब्राह्मणों को इतना दे दो, कायस्थों को इतना दे दो, बनियों को इतना दे दो और हरिजनों को इतना दे दो तब तो समाजवाद हो जाय, यह उनकी पालिसी है। हमारी पालिसी सेकुलर है और हम अपने अखराजात को हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर जैसी आवश्यकता पड़ती है खर्च करते हैं और हमें उसमें सोशलिज्म नजर आता है। वह अपनी नजर से देखते हैं, हम अपनी नजर से।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

तो यह सोशलिज्म का बजट है और हमें सोशलिज्म की तरफ लिये जा रहा है। यह हमने दावा कभी नहीं किया कि हमने सोशलिज्म कायम कर दिया, लेकिन वक्त आयेगा जब हो जायगा। सरकार ने बड़ी तरक्की की है प्रदेश में। हर एक जिले में आई० टी० आई० खोले गये हैं, मिडिल पास और मैट्रिक्स के लिए। फिर इंजीनियरिंग कालिज हैं। टेक्निकल एजूकेशन का मतलब है कि जो प्रोडक्शन इस तरह से निकलेगा वह हाथ का काम जानने वाले होंगे। हम नौकरी वाली क्लास नहीं निकालना चाहते। कहा जाता है कि गरीब-गरीब हो गया है तो जब वह हाथ से काम करेगा तो सोलशलिज्म बढ़ेगा। तो मैं बताये देता हूं कि गवर्नमेंट ने काफी इन्तजाम किया। मैं उसी के साथ-साथ चीफ मिनिस्टर की भी तारीफ करूंगा कि औरत जात होते हुए उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इंतजाम किया है और आप हैं मर्द, मुंह पर मूंछ और दाढ़ी है, उतना काम आप नहीं कर सकते हैं जो औरत ने किया है। इस वास्ते आपको तारीफ करनी चाहिए।

कहा गया कि इस सूबे के दो टुकड़े कर दिये जायं। मैं उनसे कहूंगा कि जहां तकसीम होगी वहां बरबादी होगी, इस वास्ते दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश का खर्चा कम है, और प्रदेशों में बड़े अखराजात हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। कानपुर के बारे में एक मिनट दे दीजिये। जब कारपोरेशन को समाप्त किया है तो मैंने सुना है कि एडवाइजरी कमेटी आफिश्यल क्लास की बनाने जा रही हैं। मेरी सरकार से यह अर्ज है कि वह वहां पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बाडी बनाये जैसे कि पहले एम० एल० ए०, एम० पीज० और एम० एल० सीज० की थी, वैसी ही कारपोरेशन में बनानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारी सुशीला बहिन जी ने कहा कि गंगा जी हमसे दूर हो रही हैं। मेहरबानी करके, हमने पहले भी सरकार से कहा था, वहां बिठूर पर बांध बांध दिया जाय, तब तो पानी आ सकता है वरना इंडस्ट्री सब खत्म हो जायगी, बिजली मिलेगी नहीं। इस वास्ते इसका प्रबन्ध जल्दी करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

एक बात मैं निवेदन कर दूं। कल के कार्यवृत्त से मैंने देखा कि अन्त में श्री बैजनाथ सिंह वैद्य बोल रहे थे, लेकिन यह उनके सामने नहीं लिखा हुआ है कि उनका भाषण समाप्त हुआ था। कल की कार्यवाही से देख रहा हूं, उसमें लिखा है कि श्री बैजनाथसिंह वैद्य ने कहा, "इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं"। और आगे उपाध्यक्ष ने कहा कि "आपका समय समाप्त"। यह बात होते हुए भी जिस प्रकार से आज उन्होंने व्यवहार किया है वह अत्यन्त अशोभनीय है।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने जिले की जनता की ओर से कुछ सुझाव आपके द्वारा देना चाहता हूं। सरकार ने इस बार बहुत बहादुरी दिखाई है कि कोई नया टैक्स गरीब जनता पर नहीं लगाया है, मगर इसमें भी सरकार की चाल है। सरकार अपने दांव को जानती है। वह यह जानती है कि फिर दुबारा किस तरह से यहां आ सकती है।

श्रीमन, इस वर्ष बारिश न होने के कारण हमारे यहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गयी है और लोग पत्ते उबाल कर खा रहे हैं। सरकार की ओर से बहुत से प्लानिंग के काम किये जा रहे हैं, मगर हमारे जिले में कोई भी काम प्लानिंग का नहीं हुआ है। वहां का सारा रुपया वहां के अधिकारी खा गये हैं। हमारे यहां आज तक कोई कल कारखाना नहीं लगाया

क्या है। हमारे यहां गरीबी की यह हालत है कि किसान बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है। इन १७-१८ साल के अन्दर कोई विकास का काम वहां नहीं हुआ है। वहां की गरीबी को दूर करने के लिये कोई उद्योग वहां स्थापित नहीं किया गया है। हमारा जिला सबसे ज्यादा मालगुजारी देता है, मगर वह सबसे पिछड़ा हुआ है। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि वह हमारे यहां कोई बड़ी फैक्टरी लगावे, हम लोग उसके लिये जमीन भी देने के लिये तैयार हैं, उसकी कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, पुलिस विभाग को लोग बदनाम करते हैं, मगर इस विभाग से ज्यादा खराब चकबन्दी विभाग है। यह चकबन्दी विभाग किसानों को गुमराह करके १०० रुपये तो बड़ी आसानी से ऐंठ लेता है, पुलिस वाले भी इतनी घूस नहीं ले पाते, जितनी यह विभाग घूस लेता है। इसलिये सरकार को इस विभाग को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां भुखमरी की हालत है। सरकार को वहां हर ग्राम पंचायत के अधीन एक सस्ते गल्ले की दुकान खोलनी चाहिये जिससे गरीब जनता को राशन मिल सके।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा हरिजन लोग हैं। एक लाख तीस हजार चमार हैं, १लाख ९ हजार पासी हैं, तो सब मिला कर करीब ४-५ लाख हरिजन लोग हैं। मेरी सरकार से मांग है कि वह हरिजनों को जो अनुदान देती है वह उसको बन्द कर, उसकी जगह हरिजनों को जमीन देने की व्यवस्था करे। सरकार अगर उनको जमीन दे तो उससे उनको अधिक लाभ हो सकता है। जहां वह जमीन ढूंढ़ पायें वहां जमीन के लिये पैसा दे। श्रीमन् जितनी भी चकबन्दी से बची हुई जमीन है वह सारी जमीन गांव के बड़े-बड़े जमींदार या सभापति ही हथिया लेते हैं। मान्यवर, चकबन्दी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार ही नहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इस सदन में बैठने वाले लोग प्रयास करें कि भ्रष्टाचार खत्म हो। मान्यवर, आज हमारे जिले में हमारी यह मांग है किसानों की तरफ से कि वहां ट्यूबवेल लगाये जायं। सरकार बिजली दे और पब्लिक के लोग भी नलकूप लगाने को तैयार हैं मगर सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। हमारी माननीय मंत्री से मांग है कि वे पानी और खाद का इन्तजाम करें। अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है। आज प्रदेश के सामने वित्त मंत्री ने जो बजट रक्खा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ी हुई हूं और इस बजट में सबसे पहले अन्न उत्पादन और कृषि एवं सिंचाई के लिये अधिक से अधिक रुपया रक्खा गया है। हमें अनुभव हो चुका है कि कृषि पैदावार को बढ़ाया जाना चाहिये और पहिले से जो हमारी पैदावार की शोचनीय स्थिति रही है, उसको देखकर यह बजट रक्खा गया है। यह वास्तव में सराहनीय है। इसमें कृषि उत्पादन के लिये जोर दिया गया है और यह होना भी इसी तरह चाहिये। जब तक हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है और हम अपनी आजादी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जैसा कि हम अमेरिकन गेहूं को लाकर अपनी क्षुधापूर्ति करते हैं उससे भी हमारी आजादी को धक्का लगता है। इसी तरह से सिंचाई के मामले में—क्योंकि कृषि की उत्पत्ति सिंचाई पर निर्भर है, जब तक हम सिंचाई के मामले में निर्भर नहीं होते हैं जब तक हमें आसमानी पानी पर निर्भर रहना पड़ेगा तब तक हमारी कृषि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हमारे पहाड़ी जिलों में जो कृषि की पुरानी परिपाटी है, उसी को रक्खा गया है। मैंने पहले भी टिहरी जिले के लिये कहा था कि हमें वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इससे हमारी जो खेती है उसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। किसान बारहों महीने और दिन में १६-१८ घंटे काम करता है तिस पर भी भूखा रहता है।

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

वहां जो सोते निकलते हैं उनके द्वारा जो बड़ी बड़ी नहरें खोदी जाती हैं उनसे हमारे पहाड़ी जिलों को कोई लाभ नहीं है। गूलें जो खोदी जाती हैं उनसे भी कोई लाभ नहीं हो पाता है। क्योंकि जब बरसात के दिन आते हैं तो वे टूट फूट जाती हैं और सिंचाई के काम नहीं आती हैं जिससे सरकार की भी बड़ी हानि होती है। क्योंकि हर साल उसकी मरम्मत के लिये हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। हमारा तो कहना यह है कि वहां के लिये बड़े बड़े हौज बनाये जायें जिससे उनमें पानी इकट्ठा किया जाय। उनसे हमारी प्रत्येक गांव में सिंचाई का काम हो सकता है। उनसे हम साग सब्जी पैदा कर सकते हैं और यहां तक कि जो विशालकाय हौज बनेंगे उनमें हम मछली को भी पाल सकते हैं। अनाज का अभियान चल रहा है कि हमें अधिक साग, सब्जी और मांस, मछली खाना चाहिये जिससे कि अन्न बच जाय। वास्तव में तभी हम गल्ले की पूर्ति कर सकते हैं जब कि हमारे यहां सिंचाई के साधन हों। और उनके लिये हमारे पहाड़ी इलाके के विधायकों ने जो तरीके बताये हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाय। लेकिन उस तरफ हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे यहां बड़ी बड़ी हौजें और डिग्गियां बनायी जायं। वहां पर बड़ी बड़ी नहरें न बनायी जायं क्योंकि उन पर वहां खर्चा बेकार जाता है। चीन का भी एक पहाड़ी प्रदेश है, उसने पानी जमा करने के इस तरीके पर अमल किया है लेकिन अपनी सरकार ने उस पर अभी उधर ध्यान नहीं दिया है।

हमारे यहां के जनसेवकों एवं विधायकों ने यह भी सुझाव रखा था जिसमें कहा था कि अलखनन्दा और भागीरथी के तट पर स्विटजरलैण्ड की ही जलवायु पायी जाती है। उनके किनारे घड़ी बनाने के कारखाने लगाये जा सकते हैं। इस बारे में स्विटजरलैण्ड के कुछ विशेषज्ञ आये थे, उन्होंने इस देश में घड़ी के कारखाने खोलने के सुझाव भी दिये थे। लेकिन इस ओर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार पहाड़ों में ऐसे कारखाने खोलने के सवाल की ओर ध्यान दे।

कृषि के बाद उद्योगों का नम्बर आता है। हमारे पहाड़ी जिलों में बहुत से छोटे छोटे कारखाने खोले जा सकते हैं। हमारे टेहरी गढ़वाल में मुनि की रेती एक ऐसी जगह है जहां, और उसके आस पास, घास बहुतायत में पायी जाती है। वहां अखबारी कागज का कारखाना खोला जा सकता है, मुझे याद है कि मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कभी आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

शिक्षा के बारे में यह सभी जानते हैं कि हमारा जिला टिहरी गढ़वाल कितना पिछड़ा हुआ है क्योंकि वह जिला पहले दोहरी गुलामी का शिकार रहा है। वहां शिक्षा विस्तार के बारे में अब भी कोई सराहनीय कार्य नहीं हुआ है। जब कि यह सरकार बड़े बड़े शहरों में विश्वविद्यालय खोलती है तो उसको हमारे यहां भी स्थान स्थान पर स्कूल खोलने चाहिये। कम से कम ब्लाक स्तर पर एक एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अवश्य खोला जाना चाहिये। मैं बार बार मांग करती हूं कि जखोली, कैलाश, बागर और डांग चौरा पोखरी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलें, इस पर तत्काल विचार हो।

जहां तक लगान का सवाल है, हमारे यहां रियासत के जमाने में ज्यादा लगान तो था ही अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उस लगान के बारे में एक शिष्टमंडल भी आकर मिला था, उसको कुछ आश्वासन भी दिया गया था लेकिन अभी तक उस बारे में कोई ठोस कदम उठता दिखाई नहीं देता है।

जहां तक सड़कों का सवाल है, हमारे यहां उनकी बहुत कमी है। एक बड़ियार गड्ड रोड का १६ मील का टुकड़ा है उस पर ८ वर्षों में कुल आठ मील सड़क बन पायी है, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। उसको इन दो सालों में अवश्य पूर्ण कर दिया जाय।

स्त्री शिक्षा के सिलसिले में जो टीचर्स वहां जाती हैं उनको हिल एलाउन्स दिया जाना चाहिये। वैसे तो वहां पुरुष भी जाना पसन्द नहीं करते हैं, पढ़ी लिखी स्त्रियों की तो वहां बहुत

कमी है ही, इसलिये कि स्त्री टीचर्स उस बीहड़ स्थान की ओर आकर्षित हो सकें आपको हिल एलाउन्स उनको देना चाहिये और इसके साथ ही साथ उनके रहने का भी प्रबन्ध करना चाहिये। तब वे लोग अवश्य वहां जायेंगी। स्कूल खाली न रहने पायेंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी से जो वित्त मंत्री भी हैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि शिक्षा की ओर विशेषतया माध्यमिक विद्यालयों की ओर ध्यान दया जाय और टीचर्स को रहने की सुविधा दी जाय। फिर अन्त में मेरी पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि बड़यार गड्ड रोड जो अधूरी पड़ी है और जिसमें तमाम किसानों के खेत भी लिये पड़े हैं जो बेकार ही हो गये हैं इसलिये इस रोड को जल्द से जल्द पूरा करके बनाया जाय। इस समय यही मुझे कहना था।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट सदन में पेश हुआ है उसे मैंने बड़े गौर से पढ़ा और इस पर माननीय सदस्यों के विचार भी सुने। मैंने खास तौर से देखा कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि उत्पादन पर काफी जोर दिया है। मैं आंकड़ों के चक्कर में न जाकर आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि १९५२ में जमींदारी विनाश हुआ और उसका मकसद यह था कि हमें जो अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है वह न मंगाना पड़े और जो विदेशी मुद्रा हमारी इसमें व्यय होती है वह रुके। दूसरे जमींदारी अबालिशन के बाद जब सरकार ने जमींदारों से किसान को छुटकारा कराया तो किसानों के सामने दूसरी चीज चकबन्दी की आई और उसमें एक लाख एकड़ के करीब जमीन हमें प्राप्त हुई लेकिन उसको करने का जो मुख्य लक्ष्य था कि जो जमीन इस तरह से मिलेगी उसे भूमिहीन, गरीब खेतिहर मजदूरों को दिया जायगा और जो वाकई में श्रमिक हैं वह उस जमीन में काफी गल्ला पैदा करेंगे लेकिन वह काम भी नहीं हुआ। एक इंच भी जमीन उन गरीबों को नहीं दी गई। जब सरकार उसमें – असफल हुई तो उसने चकबन्दी का कानून पेश कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि जमीन के मसले पर सरकार क्यों गौर नहीं करती। मैं अपने अनुभव के आधार पर बतलाता हूं कि आज सरकार जितनी भी योजनायें उपज को बढ़ाने की बना रही है उनके लिये मैं निवेदन करूं कि सरकार की कृषि योजना असफल रही। आज जो गरीब, भूमिहीन, या मध्यम श्रेणी के किसान हैं जो अपनी मेहनत, जांफिशानी से गल्ला पैदा कर सकते हैं उनको भूमि दी जाय और उनके लिये सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय तभी हम देश में गल्ले की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन सरकार इन गरीब मजदूरों के साथ इन भूमिहीनों के साथ जो परिश्रम कर सकते हैं, काफी गल्ला पैदा कर सकते हैं उपेक्षा का व्यवहार करती है और उनको जमीन नहीं देती बल्कि यहां तक है कि मध्यम श्रेणी के किसानों और छोटे किसानों की दूनी, ढाई, ढाई, तीन, तीन, बीघा जमीन वालों की जमीन ली, और बेदखल किया गया है, उनके साथ ४२० करके जमीनछीनी गई। मेरा सुझाव है कि जमीन का फिर से बटवारा होना चाहिये और जमीन गरीबों, भूमिहीनों और श्रमिक किसानों को ही मिलनी चाहिये जो अपने हाथ से काश्त करते हैं। इसी से मुझे पूर्ण विश्वास है कि गल्ले की समस्या सुदृढ़ हो सकती है। आज जमीन के ऊपर पूंजीपतियों का हाथ काफी बढ़ता जा रहा है। पहले समाज के ऊपर जमींदार हावी था और आज समाज के ऊपर पूंजीपति हावी हो रहा है। बड़े-बड़े लोगों के हाथों में आज भी जमीन है। आज गरीब किसान को और भूमिहीन को जमीन नहीं दी जा रही है। उसको आज जमीन से महरूम किया जा रहा है। बजट के सम्बन्ध में भाषण देते हुए स्वतंत्र पार्टी के नेता साहब कहते हैं कि मैं भी किसान हूं और मैं भी खेती करता हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने को किसान कहते हैं तो उसी आधार पर कहते हैं कि आप स्वयं काम न करके हम से खेतों पर काम करवाते हैं। आप स्वयं काम नहीं करते हैं। मैं तो यह कह सकता हूं कि सचमुच में हम किसान हैं, स्वतंत्र पार्टी के नेता किसान नहीं हैं। किसान केवल वह है जो खेत पर जाकर अपना श्रम, मेहनत करता है और जांफिशानी करता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जमीन आज भूमिहीनों को मिलनी चाहिये।

[श्री रघुवीरराम]

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस तरह से आप इन्कमटैक्स ३००० रुपया आमदनी पाने वालों से लेते हैं, उसी तरह से किसानों से भी मालगुजारी हैसियत के अनुसार लेनी चाहिये। केवल उसी किसान से मालगुजारी ली जाय जिसकी हैसियत मालगुजारी देने लायक हो। वैसे तो यह सरकार अलाभकर जोत के लिये चिल्लाती फिरती है लकिन आज तक इसने एक भी किसान से मालगुजारी लेना माफ नहीं किया है। मालगुजारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इसी सरकार ने सबसे ज्यादा मालगुजारी वसूल की है। इसी सरकार ने किसानों पर चवन्नी लगान का और बढ़ा दिया है। जब हमारे प्रदेश में अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय प्रदेश में मालगुजारी से लगभग ७ करोड़ रुपया वसूल किया जाता था लेकिन आज यह बढ़कर २३ १/४ करोड़ रुपया हो गया है और उसके बाद भी चवन्नी लगान और बढ़ा दिया है। जिससे ६ करोड़ रुपया और बढ़ गया है। इस प्रकार आज किसानों से ३० करोड़ रूपया वसूल किया जाता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको इस चवन्नी वाले बढ़े लगान को किसानों से नहीं लेना चाहिये वरना मैं तो कहता हूं कि आप किसानों के मनोबल को कुचल रहे हैं, आप देश के मनोबल को ऊंचा नहीं कर रहे हैं। आप अपने दुश्मनों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, जिन्होंने १९६२ में देश पर हमला किया और १९६५ में पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे कम से कम ५ मिनट का और समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

अभी आपका एक मिनट और है। आप एक मिनट के बजाय अपनी बात २ मिनट में समाप्त कर लीजिये।

श्री रघुवीरराम---

दूसरी बात हरिजनों का सवाल हमारे सामने है। मैं उसी कास्ट से आता हूं। जितनी इनकी हालत के बारे में, मैं जानता हूं माननीय कुंवर श्रीपाल जी नहीं जानते हैं। इनका जूता पहले भी हरिजनों के सिर पर था और आज भी है। आपके प्रदेश की जन संख्या ७ करोड़ है जिसमें से २ करोड़ हरिजन लोग हैं। इतनी बड़ी जन संख्या के लिये आप प्लान बनाते फिरते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो पाता है। उनकी उपेक्षा की जाती है। आज उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा पर कोई गौर नहीं किया गया है। आज भी हरिजन उन खाद्यों को खाता है जिनको जानवर भी नहीं खाता है। वह गोबराहे को खाता है। आज का पूंजीवाद नाना प्रकार से इन हरिजनों को परेशान करता है।

दूसरी बात मैं आप से निवेदन करूं कि जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है आज यू० पी० के अन्दर २५० डिस्पेंसरीज ऐसी हैं जिन में डाक्टर नहीं हैं। जो अमरीका पढ़ने के लिये जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, जो लड़के शहरों में रह कर डाक्टरी पढ़ते हैं आज वे देहात में जाना पसन्द नहीं करते। मान्यवर, मैं कहता हूं कि प्राइवेट प्रेक्टिस रोकी जाय और इनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय और देहात में इनको भेजा जाय ताकि जा कर के जनसमूह की सेवा कर सकें।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

*श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिये मुबारक बाद देता हूं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिये मुबारकबाद देता हूं कि मुद्दतों के बाद एक ऐसा बजट इस राज्य में आया, जिसको देखने के बाद कामनमैन को, यहां के अवाम को, जो उन के दिलों में धड़कने बढ़ जाती थीं बजट के आने के वक्त में, उन्हें किसी कदर सकून हुआ है और वह समझे कि टैक्सों का भार हमारे ऊपर बढ़ने वाला नहीं है। मैं इसलिये भी वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि इस वक्त के जो तकाजे हैं, उनको वित्त मंत्री ने महसूस किया और उन तकाजों को पूरा करने के लिये अपनी बजट स्पीच में और बजट में प्रोवीजन किया है।

अधिष्ठाता महोदय, बजट की इस डिबेट के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से एक बात कही गई कि बावजूद इसके कि कांग्रेस एक समाजवादी समाज की रचना करना चाहती है और बावजूद इसके कि उसका मकसद एक वेलफेयर स्टेट का कयाम है और जब कभी भी बजट स्पीच इससे पहले आयी तो उसमें समाजवाद और वेलफेयर स्टेट का कोई इशारा, कोई संकेत उसके मुताल्लिक तजकिरा, जरूर होता रहा लेकिन इस बजट स्पीच में कोई उस तरफ इशारा नहीं है। मैं, अधिष्ठाता महोदय, ऐसा समझता हूं कि महज किसी बात का तजकिरा कर देना, सोशलिज्म, समाजवाद का तजकिरा कर देने से यह महज वेलफेयर स्टेट का नाम बारबार दोहरा देने से कोई काम बनने का नहीं है और उसमें में तो वही हालत हो जायगी कि अगर हम किसी चीज का नाम महज रख लें और उसकी असली रुह गायब हो तो वह कोई बड़ी मुनासिब सूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं अगर बजट को देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचे, हम उस दिशा की तरफ, उस रुख की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा ध्येय है यानी समाजवाद का कयाम, समाजवादी व्यवस्था का कयाम और इस स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ अगर हमारा कदम है तो हम को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमने बजट स्पीच में वेलेफेयर स्टेट और समाज वाद का नाम रखा है या नहीं। इसी दृष्टिकोण से मैंने इस बजट को देखने की कोशिश की और मैं निहायत अदब से कहूंगा कि बावजूद इसके कि हमारी सरकार की और वित्त मंत्री की यह कोशिश है और वह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में समाजवादी समाज का कयाम हो और वह यह भी चाहते हैं कि कल्याणकारी राज्य बने। लेकिन मैं निहायत अदब से कहूंगा जब हम बजट को देखते हैं उस दृष्टिकोण से तो हमको निहायत मायूसी होती है। सोशलिज्म का पहला तकाजा है कि अगर हम समाजवाद किसी प्रदेश में लाना चाहते हैं तो देश के प्रमुख अंगों को, मुख्तलिफ तबकों को फलने फूलने तथा पलने के लिये बराबर का मौका हासिल हो और अगर बराबर का मौका हासिल नहीं है, अगर विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है तो चाहे वह विषमता सामाजिक हो, आर्थिक हो या और किसी तरह की विषमता हो, हम उसे समाजवाद नहीं कह सकते। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं अगर आप बजट के उन आंकड़ों को देखिये और जिलेवार तस्वीर देखिये तो बड़ी मायूसी होगी। किसी जिले को नर्स करना और किसी को नेगलेक्ट करना उसी तरह से है जैसे किसी इंसानी जिस्म को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता अगर उसका सर बढ़ता जाय और पैर अपंग तथा कमजोर होते जायं। सरकार को इस तरफ तवज्जह देना चाहिये। हम इस मामले में पूरे तौर से सहमत हैं और वक्त का तकाजा है कि एक जिले से दूसरे जिले की विषमता को दूर करने की कोशिश की जाय। कुछ जिलों में लड़कियों के लिये तालीम की हायर सेकेन्डरी की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां गरीब आदमियों को कोई दवा नहीं मिल सकती, वहां कोई इन्तजाम नहीं है और कुछ जिलों में पूरी तौर से रुपया खर्च हो रहा है और सब प्रकार की व्यवस्थायें हैं। तो यह विषमता दूर होनी चाहिये।

वेलफेयर स्टेट का शोर हर तरफ से उठता है। वेलफेयर स्टेट का बुनियादी तकाजा यह है कि जिस वक्त एक एक पाई हम खर्च करें तो हमारी एक एक पाई यूटिलाइज की जाय और हमको यह देखना चाहिये कि उस खर्च से किसी खास जिले को नहीं वरन् पूरे राज्य को क्या यूटिलिटी मिलती है और अगर वह खर्च कसौटी पर पूरा नहीं उतरता है तो वह वेलफेयर स्टेट का

[श्री जियाउर्रहमान]

खर्चा नहीं है। एक तरफ चीन का हमला हो रहा हो दूसरी तरफ सेक्रेटेरियट के लान्स की खूबसूरती बढ़ाई जा रही हो, एक तरफ पाकिस्तान का हमला हो रहा हो दूसरी तरफ सेक्रेटेरियट के फ्लोर को ज्यादा चिकना किया जा रहा हो, इस तरह के खर्चे किसी कल्याणकारी राज्य में मुनासिब खर्चे नहीं हैं। सरकार को भविष्य में इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, इसके पूर्व कि मैं बजट के विषय में कुछ कहूं मैं कुछ तथ्यों के विषय में सफाई करना चाहता हूं। यह सत्र जब से प्रारम्भ हुआ है सरकार के ३ प्रमुख मंत्रियों ने तीन वक्तव्य दिये हैं। यदि यह वक्तव्य, यह तथ्य जो सदन के सामने पेश किये सच होते तो मुझे सरकार की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं सरकार को पूर्णरूप सफल मानता और एक ईमानदार आदमी की हैसियत से सरकार का पूर्ण समर्थन करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के पास झूंठ के अलावा शायद और कोई रास्ता नहीं रह गया है। पहला तथ्य जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह माननीय बनारसी दास जी का वह वक्तव्य है जो उन्होंने उस दिन दिया था जब सरकारी कर्मचारियों के भत्ते के विषय में चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में अन्न की खपत २० से लेकर ३५ प्रतिशत तक बढ़ गई है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह किस आधार पर कहा था। लेकिन भारत सरकार द्वारा आर्थिक समीक्षा १९६४ मेरे पास है। उससे मैं बताता हूं कि १९५४ से ले कर १९६४ तक प्रति व्यक्ति कितना अनाज इस देश के रहने वालों को मिलता रहा है। १९५४ में १६.१ औंस, १९५५ में १५.६ औंस, १९५६ में १५.२ औंस, ५७ में १५.७ औंस और ५८ में १५.४ औंस, ५९ में १६.४ औंस, ६० में १५.८ औंस, ६१ में १६.४ औंस, ६२ में १६.३ औंस, ६३ में १५.२ औंस और १९६४ में १५.७ औंस। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है वृद्धि के स्थान पर १९५४ की तुलना में १९६४ में अन्न की औसत खपत में कमी आई है। माननीय बनारसी दास जी उपस्थित नहीं हैं परन्तु एक मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जिस समय उत्तर दें इस बात को स्पष्ट करें और खेद प्रकाशित करें कि इस तरह के गलत तथ्य क्यों सदन में रखे जाते हैं।

श्रीमन्, इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पेश करते समय कहा है कि ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष की आयु के बच्चे १९६५ के अन्त तक ९८.७ प्रतिशत शिक्षा पा रहे हैं। श्रीमन्, यह एक ऐसी संख्या है, जिसके काटने के लिये मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं लेकिन प्रति दिन का अनुभव गांवों में रहने के नाते और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के अधिकतर माननीय सदस्य गांवों के रहने वाले हैं, वे गांवों की स्थिति को जानते हैं और समझते हैं कि यह सर्वथा निराधार आंकड़ा है। यदि इस देश में ९८.७ प्रतिशत बच्चे शिक्षा पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि अगले दस वर्षों में इस देश में कम से कम बूढ़ों को छोड़कर कोई अशिक्षित नहीं बचेगा। लेकिन जो हमारे देश में शिक्षा की प्रगति रही है उसके देखने से पता चलता है कि १९५१ में ११ प्रतिशत थी और १९६१ में १७ प्रतिशत हुई है, यानी दस वर्षों में केवल ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको देखते हुये सवा सौ वर्ष तक सब लोग हमारे देश के पढ़े लिखे नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह के आंकड़े सदन में दे दिये जाते हैं। एक जिला परिषद् के अध्यापक ने मुझे बताया था कि इस तरह के आंकड़े हमसे भरवाये जा रहे हैं। उस समय मैंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब ये आंकड़े आये तो मैं समझ गया कि झूंठ कहना सरकार का सैचुरेटेड प्वाइंट पर पहुंच गया है। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड, अमरीका जैसे शिक्षित देशों में भी इतने लड़के शिक्षा नहीं पाते हैं क्योंकि एक दो प्रतिशत बच्चे तो अपंगु इत्यादि होने के कारण शिक्षा के अयोग्य होते ही हैं। फिर झूंठा दावा करना और सदन को गुमराह करना जो शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय वित्त मंत्री के लिये शोभा नहीं देता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव था उस पर जो विवाद हुआ उसका उत्तर देते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने काफी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि १९६४–६५ में प्रति व्यक्ति आय ८.६ प्रतिशत बढ़ गयी है। श्रीमन्, इसको मैं असत्य नहीं कहता लेकिन यह अर्द्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। जिस प्रकार अदालत में सबूत दिलाते समय कहलवाया जाता है कि मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और पूरा सच बोलूंगा, मेरा दावा है कि यह पूरा सच नहीं है। असली सच यह है कि पिछले चार वर्षों में इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी तीन-चौथाई प्रतिशत से कम बढ़ी है जबकि उन्होंने ८.६ प्रतिशत का आंकड़ा दे दिया वह इसलिये संभव हुआ कि सन् ६०–६१ से आमदनी बराबर गिरती आयी थी। पिछले वर्ष जो वर्षा हुई और यकायक पैदावार बढ़ी उसके फलस्वरूप जो सबसे गिरा हुआ वर्ष था उसकी तुलना में एक आंकड़ा दे दिया। मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मंत्री की या तो आंख ने धोखा दिया या उन्होंने सदन को धोखे में रखने का प्रयत्न किया। इस प्रदेश की इतनी धीमी प्रगति है, जितनी शायद दूसरे राज्यों की नहीं है। मुझसे हमारे मित्र पूछा करते हैं कि मैं समाजवादी दल में था। उस दिन माननीय गेंदासिंह ने भाषण में भी कहा था कि भानुप्रताप बड़ी आलोचना करते हैं समाजवाद की। क्यों मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ? क्या इससे भी ज्यादा समाजवाद की असफलता हो सकती है जो इस देश में दिखाई दे रही है? भुखमरी पड़ी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में अनाज लूटा जाता है। गोली चलती है फिर भी लोग आक्रमण करके लूटने जाते हैं। केरल में, पश्चिमी बंगाल में हो चुका और अगर यही हालत समाजवाद की प्रगति की रही तो मैं समझता हूं कि सारे देश में वह स्थिति आने वाली है। समाजवाद का लक्ष्य सामाजिक न्याय देना है। मैं उससे पूर्ण सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय हो। लेकिन सामाजिक न्याय दूर की चीज है। मैं इस सदन के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। सरकार की साधारण सहानुभूति भी किसानों के साथ नहीं है, सामाजिक न्याय की बात तो दूर। अभी मेरे पास बहराइच जिले के किसानों का एक प्रार्थनापत्र आया है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के काम भी सरकार किया करती है। बहराइच के शहर से सटी हुई सवा चार सौ बीघा जमीन है। उस जमीन के किसानों को बेदखल किया जा रहा है इस उद्देश्य से कि वहां सलेज फार्म खोला जायगा। इस जमीन पर ८० पक्के कुयें बने हैं। ६०० फल वाले वृक्ष लगे हैं। परन्तु उन सब को बेदखल करके बावजूद इसके कि उसमें खेती होती है, फल और तरकारी म्युनिसिपैलिटी अक्वायर कर रही है और सरकार सहायता दे रही है। उन किसानों को बेदखल करके वहां सलेज फार्म खोला जायगा। डेढ़, दो सौ रुपये बीघे पर म्युनिसिपैलिटी जमीन उठायेगी। मैं मान सकता हूं कि गंदे पानी का सदुपयोग होना चाहिये लेकिन क्या उससे जो जमीन के मौजूदा मालिक हैं उनको लाभान्वित नहीं होना चाहिये? कहां का यह सामाजिक न्याय है, जो खुशहाल किसानों को उजाड़ कर उनकी जगह पर सलेज फार्म खोला जाय और जो खेती आज होती है वही खेती करने के लिये किसानों को उजाड़ा जाय? सौभाग्य से इस विभाग के मंत्री चौधरी चरणसिंह हो गये हैं। मैं यह प्रार्थना-पत्र उनके पास भेज दूंगा। मुझे आशा है कि वह सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे और किसानों को राहत देंगे।

श्रीमन्, जैसे बहुत से गांवों में सरकार को शौक है, चाहे करने की उनमें योग्यता हो चाहे न हो, पैसा चाहे उनके पास हो चाहे न हो तो उसके लिये टैक्स लगाना पड़े, अपनी अधिकार सीमा को बढ़ाते जाने का, अपने सिर नये–नये काम उठाते रहने का उसी प्रकार से एक नया काम अपने सिर सरकार ने पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का ले लिया है। सरकार ने पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना चलाई है। इस राष्ट्रीयकरण की आगे क्या रूपरेखा होगी, वह तो भविष्य बतायेगा, लेकिन अब तक जो ये कर चुके हैं, उसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से पुस्तकें लिखाई गयीं, उनको लिखवाने के बाद पब्लिशर्स और प्रिन्टर्स को दी गयीं। किस प्रकार से दी गयीं? जिस प्रकार से इस सरकार के कोटे, लाइसेन्स और परमिट बिना योग्यता का ध्यान दिये हुये मनमाने तौर पर अपने पक्ष के लोगों को दिये जाते हैं, उसी प्रकार से ये पुस्तकें भी दी गयीं। पुस्तकें छापने के लिये ऐसे लोगों को एलाटमेंट दिया गया, जिनके पास न तो प्रेस हैं, न वे पब्लिशर्स हैं, न प्रिन्टर्स हैं, उनमें से कोई

[श्री भानुप्रतापसिंह]

पान वाला है, कोई चायवाला है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। इन लोगों की एक मेरे पास सूची है, जिसमें ३५–३६ फर्जी नाम दिये हुये हैं, जिनके विषय में मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह सिद्ध करे कि उनके पास प्रेस हैं या कहां के पब्लिशर्स या प्रिंटर्स वे हैं। अभी थोड़ी ही पुस्तकें छापने का इन्हें मौका मिला था लेकिन अब यह चाहते हैं कि सारी पुस्तकों के छापने का एक मात्र अधिकार अपने हाथ में लेकर सरकार मनमाने तौर पर इसके कोटे अपनें कृपापात्रों को बांटे।

श्रीमन्, मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझको सरकारी क्षेत्र जहां कहीं भी पड़ता है, मैंने समाजवाद का जो रूप दिया है, वही हमें यह दिखाई पड़ता है कि सरकारी अधिकारियों का वास्ता निरन्तर उससे होता रहा और इसी का मैं विरोध करता हूं। इस सरकार के इन्तजाम से लाभ भी हो सकते थे। बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज का इन्तजाम बहुत ही गया-गुजरा हो सकता है, इसलिये जब किसी म्युनिसिपैलिटी का इन्तजाम सरकार अपने हाथ में ले लेती है, तो कम से कम मैं उसका प्रोटेस्ट नहीं करता हूं और यह सोचता हूं कि अब शायद ज्यादा अच्छा स्थानीय प्रबन्ध हो सकेगा और कुछ अधिक स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधायें वहां की जनता को मिलेंगीं। लेकिन मुझे मुरादाबाद शहर जाने का मौका मिला, दो दिन तक मैं उस शहर में घूमता रहा। वहां १० वर्ष से लगभग म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, सरकारी इन्तजाम है, और मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई शहर ऐसा है, जिसको सबसे ज्यादा गन्दा शहर कहा जा सकता है, तो वह मुरादाबाद का शहर है।

एक सदस्य—

गोरखपुर से ज्यादा नहीं होगा।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मैंने गोरखपुर भी देख रखा है, मुरादाबाद से गन्दा शहर प्रदेश भर में नहीं है। यह सरकार के १० वर्षों के सुप्रबन्ध या कुप्रबन्ध का फल है। एक तो १० साल तक किसी म्युनिसिपैलिटी पर सरकार का अधिकार रहना और उसका चुनाव न होना ही एक बड़ी अनुचित बात है और उस पर जो वहां का सरकार द्वारा कुप्रबन्ध है, यह इस सरकार के लिये बड़ी ही लज्जा की बात है। सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी स्वंय उसी शहर के वासी हैं। कैसे वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और कैसे उनका स्वास्थ्य है। रास्ते में नालियों में चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाया करती हैं, शहर में खुले में मैला फेंका जाता है शहर के बीच में।

श्रीमन्, इस सरकार को औद्योगीकरण का बड़ा शौक है। मैं मानता हूं कि औद्योगीकरण होना चाहिये, कोई बुरी बात नहीं है। जब कहीं एक दो मिलें खुल जाती हैं या कभी केवल खुलने का प्रस्ताव मात्र गवर्नर भाषण में होता है, तो उसे बड़े गर्व के साथ कहा जाता है, चाहे उसका असर इनकी एकोनोमी पर नगण्य क्यों न हो। लेकिन एक तरफ जहां भारत सरकार से लड़ाई होती है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बड़े-बड़े प्रलोभन देकर और सुविधायें दी जा रही हैं कि वह इस प्रदेश में आकर अपने उद्योग स्थापित करें, वहां दूसरी तरफ सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कि अपने प्रदेश से विशेषकर उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वह किस तरह से नष्ट होती चली जा रही है। सन् ३९–४० में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत के कुल चीनी उत्पादन का १७ प्रतिशत पैदा होता था, अब इस समाजवादी सरकार का इतना प्रिय सुप्रबन्ध हुआ है कि २५ वर्षों में अब वह घटकर सिर्फ ९ प्रतिशत रह गयी। फैक्टरियां जो ४२ थीं वह अब टूटकर केवल ३२ रह गयीं। एक दो फैक्टरियां खोल लेती हैं तो बड़े गर्व से विवरण यहां पुष्ट करते हैं लेकिन एक के बाद एक जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में टूटती जा रही हैं उसकी आपको चिन्ता नहीं है, वह भी ऐसी इंडस्ट्री जिससे कि उस गरीब क्षेत्र का बहुत बड़ा संबंध है। अगर यह फैक्टरियां टूट गयीं और वहां का यह उद्योग नष्ट हो गया तो वहां की क्या दशा होगी, यह मैं

सोच भी नहीं सकता, इसलिये एकमात्र मंत्री जो यहां बैठे हुये हैं उनके द्वारा में यहां की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वह उधर ध्यान दे और अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो दूसरे प्रदेशों में भेज कर पता लगावें कि किस प्रकार वहां चीनी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किस प्रकार से लेवी और सेस में उसको छूट दी जाती है और किस प्रकार की रियायतें उनको दी जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन्डस्ट्री जो समाप्त होती चली जा रही है, उसकी ओर सरकार विशेष ध्यान दे।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन माननीय रघुवीर राम जी ने कहा कि ये स्वतंत्र पार्टी के नेता कैसे किसान हैं। उनसे ज्यादा दलील में तो मैं नहीं पड़ता लेकिन केवल इतना कहता हूं कि यदि मेरे जैसे किसान इस प्रदेश में हो जाते तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्थान के सभी लोगों को भरपेट भोजन दिला सकते थे, अगर मेरे जैसे किसान पैदा हो जाते तो जो किसान वर्ग को शिकायत है इस सरकार से वह सब दूर हो जाती। मैं श्री रघुवीर राम को आमंत्रित करता हूं कि वे वर्ग संघर्ष की बात न चलायें, छोटे बड़े का किस्सा बहुत हो चुका, आज छोटे बड़े सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े हों। आज सबसे ज्यादा तकलीफ किसानों को है, वह जो सवाया मालगुजारी का किया गया है वह है। मैं चाहता हूं कि उसको अविलम्ब वापस लिया जाना चाहिये। सभी दलों ने उसका विरोध किया है और सभी में कांग्रेस को भी रखता हूं क्योंकि आज हिप्पोक्रेसी न हो, खुली छूट हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस दल के लोग भी चाहेंगे कि सवाया को वापस ले लिया जाय। जब सबकी इच्छा है, फिर भी क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि किसानोंके प्रतिनिधि चाहे इधरके हों चाहे उधरके उनमें साहस की कमी है। कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उन छोटे किसानों पर जिनकी आराजी ६ एकड़ से कम है उन पर मालगुजारी बढ़ाई जा रही है। हम अपनी मांग को घटाकर विशेष रूप से रखते हैं और मैं अन्तिम बार यह मांग इस सदन में रख रहा हूं संवैधानिक ढंग से कि यदि आप सभी बढ़ा हुआ कर नहीं छोड़ सकते तो कब से कम उन किसानों, जिनकी आराजियां ६ एकड़ से कम हैं उनके सवाये को आप छोड़ें तत्काल छो दें, इसी में आपका भला है और हमारा भी भला है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसको छोड़ने में सरकार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बावजूद इसके कि ऐसे किसनों की संख्या बहुत बड़ी है लेकिन इन के पास आराजियां बहुत छोटी हैं और अगर ६ एकड़ से नीचे वाले किसानों को इस सवाये से मुक्त कर दिया जाय तो केवल २ करोड़ रुपये का नुकसान होगा जब कि आप इस प्रदेश में बसनेवाले कम से कम साढ़े पांच करोड़ नर नारियों में उत्साह और प्रसन्नता की लहर दौड़ायेंगे। इतनी बड़ी संख्या को राहत पहुंचाने के लिये इतनी छोटी रकम का परित्याग अगर यह सरकार नहीं करती है तो मैं यह कहूंगा यह सरकार निकम्मी है, निर्दयी है और इसमें मानवता नहीं है। यह कहने के बाद और इस अन्तिम अपील के बाद मैं समझता हूं कि जितने भी संवैधानिक उपाय हैं वह हम लोग समाप्त कर चुके। हम नहीं चाहते हैं कि अराजकता इस प्रदेश में फैले और उपद्रव हों लेकिन यह बदकिस्मती है कि किसानों के पास शक्ति नहीं है। मैं यह धमकी नहीं देता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि उनका संगठन नहीं है लेकिन सब्र का कभी अन्त हो जाता है। केराला में आपने देखा। क्या आप वही चाहते हैं यहां पर हो? इस सरकार की यह शिकायत होती है कि जनता बड़ी अहिन्सात्मक उपद्रव करने लगती है और कोई अनुशासन नहीं है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहां के नेताओं से, यहां के मंत्रियों से कि यहां की सरकार में कितनी डिसिप्लिन है और कितना दूसरों की तकलीफ को सुनने और समझने की क्षमता है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश के बजट में २९१ करोड़ में सिर्फ अगर मैं २ करोड़ को छोड़ देने की अपील करता हूं जो बहुत नाममात्र की रकम है और यह सरकार उसको भी ठुकरा दे तो यह कहां की बुद्धिमता है। यह मेरी ही नहीं बल्कि सारे सदन की अभिलाषा है। श्रीमन्, मैं यह केवल कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस देश की जनता को यह सिखाती है कि इस देश की जनता की मांग को पूरा करने का रास्ता केवल अहिन्सा है, तो इस देश का भविष्य अन्धकारमय है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हिन्दुओं में जब कोई काम शुरू किया जाता है तो गणेश जी का नाम पहले लिया जाता है कि श्री गणेशायनमः। यदि मुसलमान कोई काम शुरू करता है तो बिस्मिल्ला उर्रहमान उर्रहीम कहता है। इसी तरह से जो इस सभा भवन में बोलने के लिये खड़ा होता है वह समाजवाद का नाम पहले लेता है। उसका समाजवाद से चाहे कुछ संबंध न हो और चाहे वह समाजवाद से कोसों दूर खड़ा हो लेकिन वह कहता रह जाता है समाजवाद। मैं न तो इस राज्य को समाजवादी मानता हूं, न गणतंत्र मानता हूं और न यह लोकतन्त्र है। यह अफसरों का राज्य है। यहां पर अफसर राज्य करते हैं। जो समाजवादी नाम की राज्य व्यवस्था होती है वह यहां पर नहीं है। इसको राज्य संस्था को कोढ़ रोग ने पकड़ लिया है। हमारे मित्र काशीनाथ जी उधर बैठे हुए हैं। इसको हम लोग बराबर वहां रहकर कहते थेकि कांग्रेस में भी बहुत से समाजवादी हैं, उनको मिलाकर संगठन किया जाय और जो समाजवाद का नाम लेकर बोलता है तथा इसके विरुद्ध आचरण करता है उसकी जबान पकड़ ली जाय। लेकिन उनकी समझ में मेरी बात नहीं आती, आप बताइये किस बात में समाजवाद है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को देखा जाय तो उसके एक एक पन्ने पर आप देखेंगे कि सारे बजट के दो तिहाई हिस्से में इस समिति ने लिखा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। जो अफसर इस दुरुपयोग के जिम्मेदार हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। इत्यादि इत्यादि----अगर उन पर कार्यवाही नहीं हुई रहती तो मैं जानता हूं कि आज एक भी आफिसर यहां बैठा नहीं रहता, सब बर्खास्त कर दिये गये होते। मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९६४ के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ १४ में लिखा हुआ है कि "जंगली गायों को पकड़ने और पालन के लिये २७ हजार रुपया व्यय हो चुका लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है।" सन् ६२ में आफिसरों ने लिख दिया कि इस काम से कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिये और सरकार जो आफिसरों की गुलाम है, आफिसरों ने जो कहा उसका उसने पालन किया। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ १६ में है कि सरकार ने ऋण लिया। ब्याज बढ़ता जा रहा है, और सरकार दिन रात ऋण लेती जाती है। रुपया बाहर से आता है, ३७ लाख ७८ हजार रुपये की धनराशि के लिये इस कमेटी ने कहा कि तत्काल इसकी रोकथाम होनी चाहिये लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। कमेटी ने बतलाया कि जिन लोगों ने इस रुपये के दुरुपयोग में हिस्सा लिया है और जिनकी लापरवाही से दुरुपयोग हुआ है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन कोई कार्यवाही इस सरकार ने नहीं की। वह लिखा पढ़ी में ही रह जाता है।

दूसरी रिपोर्ट जो सन् १९६२ की है उसमें बतलाया गया है कि १५ लाख रुपया मझोला सहकारी चीनी कारखाने के लिये दिया गया था। इस कमेटी ने लिखा है कि यह न्यायसंगत नहीं था, इसलिये कि जब कारखाने का लाइसेंस दिया गया था तो वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा था और कारखाने के पास कोई काम रह नहीं गया था। आखिर में यह रुपया दिया गया और जो देने वाले थे उनको मालूम था कि अब इस रुपये का दुरुपयोग होगा, इसका कोई उपयोग नहीं होगा।

अब मैं आपको अपने जिले की बात बतलाऊं जो उद्योग विभाग से संबंधित है। हमारे जिले की सगड़ी तहसील में एक नसरुल्ला साहब हैं जिनकी जमीन की मालगुजारी केवल ५ रुपये हैं और उनको १० हजार रुपये का कर्जा दे दिया गया। इसमें मामला यह हुआ कि तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और लेखपाल, सब लोगों से नसरुल्ला साहब से यह राय हो गयी कि आप आधा रुपया हम लोगों को दे दीजियेगा और आधा रुपया आप ले लीजियेगा। सब ने सर्टिफिकेट दे दी कि नसरुल्ला साहब की मांग सही है। लेकिन जब नसरुल्ला साहब को रुपया मिला तब वे दसों हजार रुपया लेकर भाग गये और तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी वगैरह सब अपना मुंह चाटते रह गये। फिर बाद में वे लोग कहने लगे कि यह पाकिस्तानी है, यह है वह है और इससे सरकारी रुपया वसूल किया जाय। फिर उस बेचारे ने उस रुपये

से एक आटा चक्की लगा ली थी। उसका नीलाम कराया गया और सरकारी कर्मचारियों का एक एजेन्ट जो वहीं का रहने वाला था उसने १५ हजार की मशीन २ हजार रुपये में लेकर अपने यहां रख दी। इस तरह से उस बेचारे की १५ हजार की मशीन २ हजार में नीलाम हो गयी और सरकार का ऋण भी बाकी रह गया। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कहता हूं कि न यहां लोकतंत्र है, न गणतंत्र है और न समाजवाद है बल्कि आफिसरशाही है। मैं पूछता हूं कि इस राज्य को दुरुस्त करने के लिये आप लोग क्या उपाय अपना रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आप हमारी तरफ चले आइये।

श्री उमाशंकर—

उधर भी रहते रहते १५ वर्ष हो गये थे लेकिन इस राज्य को आप सुधार नहीं सके। तो मैं आपसे कहता हूं कि विरोधी दल और कांग्रेसी दल का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह देश डूबने वाला है, इसको कैसे बचाया जाय। विरोधी दल तब बनता है जब कोई जिन्दा सरकार बैठी हो। यहां तो मुर्दा सरकार बैठी है। पहले आओ यहां जिन्दा सरकार बैठाओ। यह जनता हमारी जो है वह चूंकि नया लोकतंत्र है, जो अधिक लाउड स्पीकर लेकर पहुंच गया, अधिक मोटर लेकर पहुंच गया उसको वोट दे देती है और ५ वर्ष तक फिर पानी पी पी कर उसको गाली देती है। पांचवें वर्ष जब फिर हाथ फैलाकर पहुंच गये तो वह सोचती है कि इतना बड़ा आदमी आ गया दरवाजे, पर फिर उन्हीं को वोट देने को तैयार हो जाती हैं। इसलिये जितने इस वक्त समाजवाद का नाम लेने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उनको इधर आ जाना चाहिये और बैठकर पार्टी आफिस में वह काम जारी कर देना चाहिये जो बंगाल विधान सभा ने किया है। इसके बगैर अब काम चलने वाला नहीं है।

गोरखपुर में एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है, उसमें पगड़ी चलती है। जो पैसा देता है उसके नाम सरकारी मकान अलाट किया जाता है। उद्योग अफसर कारखानों के लिये सीमेन्ट बांटता है। मुझे मालूम है, मैंने लिखकर सेतरामन साहब को दे दिया है, २५ वैगन सीमेन्ट उन लोगों को बांटा गया है जिनके पास उद्योगशाला, कार्यशाला नहीं है और सब सीमेन्ट ब्लैक में बिका है। इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसकी जांच करावे और उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करे, क्योंकि यह तो मुरदा है, इसमें तो जिन्दगी है नहीं! आप लोग इधर आइये और जिन्दगी डालिये, नहीं तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यह देश डूबेगा। मैं तो उधर बैठकर सब उपाय करके हार गया, कोई असर नहीं पड़ता है। फिर इधर इसीलिये आया कि इधर आकर देखो, और लोग भी यहां सुधार चाहते हैं, उनसे मिलो, एक गोल बनाओ—न बनने पावे वह दूसरी बात है। हमारा प्रयत्न हमेशा इस देश की बेहबूदी के लिये होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उमाशंकर जी की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया वह बिलकुल सही हैं और उन्होंने प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन वह समझते हैं कि वहां बैठ कर ठीक कर लेंगे या कुर्सी से बैठ कर ठीक करा लेंगे। जरूरत सही इस बात की है कि बंगाल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

विधान सभा में जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति इस विधान सभा में होनी चाहिये और हर कीमत पर होनी चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि आज प्रस्ताव पास करते-करते अपनी बात कहते कहते हम लोग थक गये। फिर यह विधान सभा चले तो किस लिये चले? जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि जो अफसर लिख-पढ़ कर दे देता है बहुमत के बल पर यहां उसी पर मुहर लगा दी जाती है, चाहे अध्यादेश हो, कानून हो, सही हो। यह जो सारा बजेटिंग कैलाश प्रकाश जी का तैयार किया हुआ है यह "एग्जिक्यूशन आफ अनप्लांड प्रोग्राम ऐज कि प्लांड प्रोग्राम आफ दि स्टेट है, यानी अनियंत्रित ढंग से जो जी में आवे हम यह अनियोजित योजना चलावें, यही योजना है। उमाशंकर जी ने कहा कि अफसरों का राज्य है। उसमें जोड़ देना चाहिये कि यह किन लोगों का बजट है? यह बजट केवल तीन आदमियों की रक्षा के लिये बना है, आफिसर, मंत्री और पूंजीपति। सफेदपोशों का यह बजट है और उन्हीं की रक्षा के लिये यह बनाया गया है। साढ़े ७ करोड़ की आबादी मुश्किल से ४०—५० लाख लोगों को इससे फायदा हो सकता है।

एक माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा कि सारे उत्तर प्रदेश को हमें एक शरीर का चित्र समझना चाहिये और अपनी योजना बनाते वक्त हमें यह देखना चाहिये कि उस शरीर का कौन-सा हिस्सा खराब है। जो प्रदेश के सब से पिछड़े हुए इलाके हैं, सबसे ज्यादा पैसा सरकार को उन इलाकों पर खर्च करना चाहिये। इस २९१ करोड़ के बजट का ८० फीसदी रुपया उन इलाकों पर खर्च होगा जो कुछ अच्छे कहे जा सकते हैं, बाकी २० फीसदी उन इलाकों के लिये रखा गया है जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुये हैं।

श्रीमन्, पटेल कमीशन बना, उसने कुछ सिफारिशें कीं। सरकार ने उसको भी नहीं माना। बड़े बड़े इंजीनियरों ने कहा कि बक्सर में पुल बनना चाहिये मगर यह सरकार अपने राजनीतिक हेरफेर के कारण गाजीपुर में उसे बनाना चाहती थी। (व्यवधान) सारे टेक्नीकल एक्सपर्ट्स ने यह रिपोर्ट दी कि बक्सर में पुल बनना चाहिये। वह सारा मामला खटाई में पड़ गया। जहां भी कहीं आफिसरों और मंत्रियों में मतभेद हो गया, वहां वह मामला खटाई में पड़ जाता है।

फ्लड वर्क के लिये बड़े बड़े आफिसरों ने मुआयना करके अपनी यह रिपोर्ट दी कि गायघाट के सामने बलिया बैरिया बांध को रोका जाय, उसे पक्का बनाया जाय। उस बांध के अन्दर करीब १० हजार आदमी रहते हैं, और उस आशा से कि सरकार उस बांध को पक्का बनायेगी, करीब दो हजार लोगों ने अपने पक्के मकान तक बना लिये हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि उस बांध को पक्का बनाया जाय। सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। ५ लाख रुपया ठेकेदारों को दिया, उसको मरम्मत आदि के लिये, वह सब रुपया इंजीनियर वगैरह खा गये। कई बार कहा गया कि उसको पक्का बनाइये। मगर वह पक्का तो, श्रीमन्, तब बनता जब कि वहां किसी मंत्री का घर होता, या किसी आई० ए० एस० आफिसर का घर होता, या किसी करोड़पति का घर होता। वहां तो गरीब लोग रहते हैं, इसलिये सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है।

मितव्ययता की बात यह सरकार करती है। मगर कैसे यह सरकार मितव्ययता करती है? चपरासियों को हटा कर, कहीं चीफ सेक्रेटरी का आदेश चला गया, इतने कर्मचारियों की छटनी कर दो। चीफ सेक्रेटरी हमारे रोज कौंसिल हाउस के सामने घास को ठीक करवाते हैं और तमाम रुपया उस पर खर्च करते हैं। लाखों रुपया गुलाब के फूलों पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब खर्च करवाते हैं। यह काम तो, श्रीमन्, वही सेक्रेटरी कर सकता है, जिसका दिमाग या तो खराब हो गया हो या वह पूंजीपतियों का पोषक हो।

एक सदस्य—

कौंसिल हाउस के सामने तो अब लहसुन और प्याज बोया जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह सब आफिसरों के घर चला जाता होगा। श्रीमन्, जो मोर फूड के नाम पर लाखों रुपया पोस्टरों के छपवाने में खर्च किया जाता है। केंद्रीय सरकार का सत्तर लाख रुपया जो मोर फूड के अंग्रेजी भाषा के पोस्टर्स छपवाने में खर्च हुआ है। आज मैं कहता हूं कि स्थिति यह है कि तीन अरब रुपये का आप बजट बनाते हैं उसमें २३ करोड़ रुपये जमीन से आता है। ३४-३५ करोड़ रुपया फिजूल ढंग से खर्च कर दिया जाता है। यहां पर एक जगह दिया गया है कि एक ठेकेदार को रिहन्द बांधे में दो लाख रुपया अधिक भुगतान कर दिया गया क्योंकि किसी मंत्री से उनका संबंध था। रिहन्द बांध से जो बिजली दी जाती है, वह भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी जाती है। सरकार के कर्मचारी जो फिजूलखर्ची करते हैं, उसका जिक्र भी इस हिसाब में है। अगर किसानों के लगान का २३ करोड़ रुपया माफ कर दिया जाय तो भी इस सरकार का काम चल सकता है। हमारी पार्टी की तरफ से तो कल यही कहा गया कि दस बीघे की कम खेती पर लगान न लिया जाय। वह करीब दस करोड़ रुपये के होगा। पर हमारी सरकार वह नहीं करना चाहती। जब कि यहां १४-१४ करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है। श्रीमन्, सिंचाई की योजना ले लीजिये। उत्तर प्रदेश में जितने सिंचाई के अफसर हैं, उनसे पूछिये कि कितनी भूमि पर नहरों या कुओं से सिंचाई होती है वह नहीं बता सकते हैं। हर साल इनकी योजनायें बदलती जाती हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में कई हजार एकड़ जमीन ऐसी है, जिसमें सिंचाई नहीं हो पाती है और जब तक आप साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन पर पानी मुक्त नहीं करते तब तक किसी तरह की अन्न की पैदावार में तरक्की नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और विधान सभा के आदरणीय सदस्यों से कि आजकल देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अन्दर अन्न के संबंध में बात चीत हो रही है और हम लोग उसको सहने को तैयार नहीं हैं और इसका एक ही तरीका है कि जितनी जल्दी कांग्रेस को अपदस्थ किया जाय उतना ही अच्छा है वरना हम गरीबी की ओर बढ़ते जायेंगे।

*श्री विजयकुमार (जिला लखनऊ)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस सदन समक्ष जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने कृषि को प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है, उसे देखकर मुझे हर्ष है। किन्तु श्रीमन्, हमारी घोषित नीतियों के विपरीत कभी कभी इच्छा या अनिच्छा से हमारे अधिकारियों द्वारा ऐसे कार्य हो जाते हैं, जिससे जनता में भ्रम अथवा असंतोष भी होता है। इसका मैं एक उदाहरण अपने इस लखनऊ जिले का ही आपके सन्मुख देना चाहता हूं। यहां सरोजिनीनगर में मुन्शी लैण्ड इंस्टीट्यूट नामक एक कृषि संस्था चल रही है और इससे हमारे ही क्षेत्र के नहीं आसपास के क्षेत्र के बालकों को कृषि के डिप्लोमा प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण होता है और इसमें शिक्षा पाकर वे अपने ग्राम में या और जगह प्रगतिशील या उन्नत तरीके से कृषि करते हैं या विकास योजनाओं में ग्राम सेवक आदि की नौकरी करके वे इस योग्यता का प्रयोग करते हैं। किन्तु खेद की बात यह है कि कृषि की प्राथमिकता के इस अवसर पर भी उसे चलाने वाले पोस्ट-वार रिकंस्ट्रक्शन फंड के व्यवस्थापक इसी वर्ष बन्द कर रहे हैं। मैंने एवं वहां की जनता ने काफी अनुरोध किया कि वह इसे बन्द न करें और शासन का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया, मगर केवल सहानुभूति-पूर्वक इस विषय पर विचार करने के सिवाय अभी तक कोई कार्य सायद नहीं हुआ है। मैं आपने द्वारा शासन से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में वह कोई ठोस कदम उठावे और कृषि की इस शिक्षा संस्था को बन्द न होने दे। क्या हमारी सरकार का कृषि विभाग इस साधारण संस्था को संभालने में असमर्थ है? क्या हमारी कृषि की योजनाएं और वह कहना कि हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजयकुमार]

उसे महत्व देते हैं ये सब केवल बक्तृता ही हैं ? मैं आशा करूंगा कि हमारा शासन उस संस्था को स्वयं चलाकर जो लाभ उससे हो रहा है वह बन्द न होने देगा ।

इस बजट में हमारे मंत्रियों द्वारा समय-समय पर यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का समुचित प्रसार किया जा रहा है और किया जायगा । किन्तु वर्तमान उपलब्धियां भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही हैं । यहीं अमौसी हवाई अड्डे के पास नादरगंज में एक डिस्पेंसरी चलती थी जो लगभग १ वर्ष से या ज्यादा हुआ, भवन के खराब होने के कारण वहां से हटाकर लखनऊ के कृष्णानगर में ले आई गई है । ग्रामीण क्षेत्र की डिस्पेंसरी शहर में ले आये । इससे अधिक विडम्बना क्या हो सकती है ? सरकार का ध्यान आकृष्ट करने पर यही कहा गया कि बहुत शीघ्र वह डिस्पेंसरी वहां वापस चली जायगी । जिस भवन में थी वह नामीनल किराये पर १ रुपये माहवार पर था और कृष्णानगर में १०० रुपये माहवार पर ले आये हैं । अमौसी के पास कई भवन उनको दिखाये गये लेकिन किसी को पसन्द किया, किसी को नहीं किया । कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अधिकारी हमारी उल्लिखित और घोषित नीतियों की भावनाओं को नष्ट करते हैं । हमारी नीतियां वैसे तो बहुत सुन्दर हैं, लेकिन कार्यान्वित ठीक न होने के कारण उनका लाभ हमारे सामने नहीं आ पाता है ।

इसी प्रकार सिंचाई की दिशा में आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि काफी काम होगा किन्तु वास्तविकता में यह सब अपर्याप्त है । नहरों से समय पर ठीक पानी नहीं मिलता है । नलकूप बहुत से बिगड़े पड़े रहते हैं, बहुतों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है । कई जगह नालियां ठीक नहीं बन पाई है जिससे आगे पानी नहीं पहुंचता है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपने नियंत्रण को अधिक मजबूत करे जिससे अधिकारी लापरवाह और उच्छृंखल न हो जावें ।

श्रीमन्, आम तौर पर यह बजट संतोषजनक ही है । इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि जनता के ऊपर कोई नया कर नहीं है । उसके ऊपर पहले ही काफी कर का भार है । मितव्ययता के द्वारा खर्चा पूरा करके बजट में जो संतुलन लाने का प्रयास किया है उसके लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट का जब मैंने सिंहावलोकन किया तो पांच प्रश्न मेरे मस्तिष्क में पैदा हुए । घोड़ा सवार के लिए होता है या सवार घोड़े के लिए । औषधि रोगी के लिए होती है या रोगी औषधि के लिए । योजना जनता के लिए होती है या जनता योजना के लिए । सरकार प्रजा के लिए होती है या प्रजा सरकार के लिए । बजट राष्ट्र के लिए होता है या राष्ट्र बजट के लिए । ये पांच प्रश्न मेरे हृदय में पैदा हुये । सरकार का ऐसा विचार मालूम होता है कि घोड़ा सवार के लिए नहीं होता है । बल्कि सवार घोड़े के लिए होता है । औषधि रोगी के लिए नहीं होती है, वरन् रोगी औषधि के लिए होता है, योजना जनता के लिए नहीं होती है, वरन् जनता योजना के लिए होती है, सरकार प्रजा के लिए नहीं होती है, बल्कि प्रजा सरकार के लिए होती है और बजट राष्ट्र के लिए न होकर राष्ट्र बजट के लिए होता है । विदुर नीति कहती है कि

न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।
ना सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ।।

वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हों, वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बात न कहे । वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो और वह सत्य नहीं जो छलों से भरा हो । वैसे ही वह राष्ट्र नहीं जिसमें

बजट न हो, वह बजट नहीं, जिस में योजना न हो, वह योजना नहीं जो हितकर न हो और वह हित नहीं जो अपने ही पेट के लिए हो। क्या जनता का हित यह सरकार कर सकेगी, इसे आप सोचें। करप्शन, भुखमरी, अराजकता, रिश्वतखोरी एवं चढ़ते हुए भावों को रोकने में क्या यह सरकार सक्षम है? नौकरशाही इस सरकार के सर पर चढ़ी हुई है। दास मलूका ने कितना उपयुक्त दोहा कहा है:—

नौकर करे न चाकरी, अफसर करे न वर्क।
दास मलूका कहि रह्यो तुम्हिं प्रणाम क्लर्क॥

मेरे जिले में एक पेशकार कलक्टर को खरीद सकता है, और लेखपाल कमिश्नर को। फिर अहलमद का तो कहना ही क्या है! सुपरवाइजर तो सातवें आसमान पर है। पुलिस तो बहुत पीछे रह गयी। हमारे यहां जब जब आर्म लाइसेंस कर रिन्यूअल हुआ तो १०० रुपये के बांड की मांग की गयी। जो पेशकार को २५ रुपये दे आया, उस से कोई प्रश्न नहीं किया गया। मेज के नीचे से १० रुपये पेशकार को दिये जाते हैं। या तो अफसर अंधा है या उस की साठगांठ है। इसे कौन नहीं जानता है? इसकी रोकथाम के लिए कोई उपचार नहीं है। श्री शास्त्री जी के निधन पर मेरे यहां अलीगंज तहसील के पेशकार ने दफ्तर खुलवाया, कलक्टर से शिकायत की गयी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे एटा जिला बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव के लिए माननीय मुख्य मन्त्री ने हम लोगों को स्वयं आश्वासन दिया और कलक्टर को लिखा भी, परन्तु कलक्टर ने आज तक आज्ञा का पालन नहीं किया।

प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः
न तं भर्तारमिच्छन्ति षडं पतिमिव स्त्रियः

सच है, जिस प्रकार स्त्री हिजड़ा पति की बात नहीं मानती, उसी प्रकार नौकरशाही कमजोर सरकार की बात नहीं माना करती क्योंकि कमजोर सरकार की खुशी और नाखुशी कोई मानी नहीं रखती। सरकार स्वयं ही भुखमरी बढ़ा रही है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं, मेरे पास प्रमाण हैं। कहा जाता है कि उद्योग धंधों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको समाप्त किया जा रहा है। हमारे ही जिले में खांड़ खांडसारी में रुकी पड़ी है। किसानों से लगान और आबपाशी मांगी जा रही है, किसान हैरान है, इधर-उधर मांग रहा है। इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और जनता भी परेशान हो रही है। कहीं आपने ईख में आग लगायी, लेकिन मैं देख रहा हूं आप हमारे जिले में खांड में आग लगाने जा रहे हैं। पता ऐसा चलता है कि आपने खांड के बारे में पूर्वी जिलों से खांड बाहर निकालने के लिए सेण्टर से, कुछ तय कर लिया है, लेकिन पश्चिम के जिले वैसे ही छोड़ दिये गये हैं। यदि ऐसा किया गया तो पश्चिम के जिले उसके लिए आन्दोलन करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से पृथक हो जायं। आप को हमारे संकट को मोचन करना चाहिये वरना हमें आन्दोलन करना पड़ेगा। मैं श्री नेगी जी और गेंदा सिंह पर विश्वास करता हूं। नेगी जी तो पूर्वी जिलों के नहीं हैं, उत्तर के हैं वह हमारे जिले की हैरानी को दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो व्यवस्था खांड़ की पूर्वी जिलों के लिए की जा रही है वह पश्चिमी जिलों के लिए भी की जाय। माननीय गेंदा सिंह जी के हृदय में क्या वैसी ही बातें अब भी हैं जैसी कि जब वे इधर बैठते थे। एक दिन मैं माननीय गेंदा सिंह जी से स्वप्न में मिला और मैंने कहा कि आप की क्या दशा हो गयी है कि आप ने पुरानी सब चीजों को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा—

सातु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान प्रति मे सदा
दुर्योधनं समासाद्य, पुनर्विपरिवर्तते॥

इसका अर्थ है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो पांडवों के लिए वही हूं, लेकिन जब दुर्योधन आदि मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरी बुद्धि बिलकुल उल्टी हो जाती है। यही उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि तो वैसी है, लेकिन ये दुर्योधन आदि जो उधर बैठे हुये हैं, जब सामने आ जाते हैं तो बुद्धि उलट जाती है।

[श्री लोकपालसिंह]

एटा की अराजकता के बारे में क्या कहूं ? स्त्रियों का शीलहरण डाकू लोग कर रहे हैं। एक ग्राम में २१-२१ कत्ल हो रहे हैं, एक एक दिन में। १३१ हजार रुपये की एक डकैती हुई जिसमें कैशियर मारा गया। प्रधानों को पकड़ा जा रहा है. एस० पी० विजय सिंह का तबादला वहां से कर दिया गया। हमने माननीय हरगोविन्द सिंह जी से कहा लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। "हर गोविन्द बचावे हरगोविन्द की बोली ते"। कोआपरेटिव के बारे में क्या कहूं, यदि अफसरों में कोआपरेटिव का अफसर, क्लर्कों में कोआपरेटिव का क्लर्क, और मंत्रियों में कोआपरटिव के मंत्री को खड़ा कीजिये, अपने आप पहचान लीजिये। मैं जब यहां लखनऊ में आया तो यहां ५ विशेष चीजें मैंने सुनी—बनारसी तम्बाकू, बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसीबाग और बनारसीदास। किन्तु जब सम्पर्क में आया तो अन्य चीजों को तो छोड़ दीजिये, श्री बनारसी दास जी में कोई सार न पाया। श्रीमन्, एक जगह टीड्डी आयी। एक गीदड़ उनको खाने लगा। जब टीड्डी बड़ी और उससे खायी नहीं गयी तो उल्टा लेट गया कि अब तुम मुझको खा लो। इसी प्रकार इस सरकार का हाल है जब उससे करप्शन, भुखमरी, अराजकता व रिश्वतखोरी नहीं रुकी तो किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गई है। बंदरों के हाथ में बगीचा पड़ गया है "नहीं जिन को पहचान है खारो गुल की, चमन हो गया, आज उनके हवाले" खूब बजट बनाओ, खाओ पीओ, मौज उड़ाओ। अब मैं थोड़ी कविता कह कर समाप्त करता हूं

गुल्ची तू दूर गर्दिशे दौरा न कर सका। दौरे खिजां को फसले बहारां न कर सका।
अंग्रेज गैर था भला उस का मलाल क्या। तू भी तो इन्तजामें गुलिस्तां न कर सका।।
जो आफताब थे उन्हें तो जर्रा कर दिया, जर्रों को आफताब बनाता तो बात थी।
महलों को तू ने लाख चिरागां किया तो क्या, गर झोपड़ों में दीप जलाता तो बात थी।।
बर्के सितम से गुंचओगुल ही बचे तो क्या, सारे चमन को साफ बचाता तो बात थी।।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस बजट को पढ़ा है और पक्ष तथा विपक्ष के भाषणों को भी सुना है। इसमें कोई २ राय नहीं हैं कि इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य तथा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने गत १८ वर्षों में काफी प्रगति की है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि हममें शिक्षा तथा बिजली के प्रसार में, सड़कों के निर्माण में स्वास्थ्य, की दिशा में काफी प्रगति की है। सिंचाई के साधन, नलकूप और नहरें बनाकर हमने सिंचित क्षेत्र बढ़ाये हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात जरूर खटकती है कि इस सारे बजट भाषण में कोई उल्लेख इसका नहीं है कि हमारे नैतिक स्तर की क्या दशा है। सही बात यह है कि आज अनैतिकता का और भ्रष्टाचार का बोल बाला है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारी सरकार का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है यह बड़े दुख की बात है। विद्यालयों को देखा जाय या विश्वविद्यालयों को देखा जाय, जहां भी नजर डालिये, इसको मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार और अनैतिकता का एक तरह से व्यापक विस्तार हुआ है और इस को हम कैसे रोकें इस पर हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनका ध्यान अब तक नहीं गया है, और हम को बैठ कर इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। आज इतिहास इस बात की मांग करता है। समय ऐसा है कि चाहे हम सारी उन्नति कर लें, हम भौतिक उन्नति करते जायं लेकिन नैतिकता के स्तर में हमारी अवनति ही होती चली जाती है, उसमें गिरावट हुई है। अगर हमारा नैतिक स्तर इसी प्रकार गिरता गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रगति की ओर इशारा किया है। उन्होंने तमाम योजनाओं का जिनका वे विस्तार जो वह करने वाले हैं, और तमाम नीतियों का अच्छी तरह से बजट में विवेचन किया है। इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री जी को यहां बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं उनको बधाई देता हूं और खास तौर पर इस बात के लिये कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हम कोई कर नहीं लगायेंगे, यह बहुत अच्छी बात है सारा

सूबा उनकी इस भावना की कद्र करेगा क्योंकि आज जनता के पास साधन शेष नहीं है कि किसी प्रकार का और अधिक कर उसके ऊपर लगाया जा सके।

चन्द बातें मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले की स्थिति ऐसी है कि वहां पुलिस शासन एक तरह से पंगु हो गया है। अभी चन्द रोज हुए मैं अपने गांव की तरफ गया था, वहां हालत यह है कि वहां पुलिस चौकी के सामने ही दिन दहाड़े ५–६ आदमी मारे गये हैं और पुलिस सामने खड़ी तमाशा देखती रही है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। यह वहां पुलिस की अवस्था है। दूसरी बात है कि शिक्षा के सम्बन्ध में, वहां की हालत यह है कि सारे जिले में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। बड़े प्रयास के बाद वहां एक कन्या विद्यालय की स्थापना हुई जो इन्टर तक पहुंच गई है और वहां की जनता की बड़ी मांग है कि उसे डिग्री कालेज बना दिया जाय, लेकिन वह भी अब तक नहीं किया जा सका है।

सिंचाई के साधनों के विषय में मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई की दशा यह है कि हमारे जिले में करीब २२–२३ नदियां हैं। वहां के प्रतिनिधियों की और हमारी बराबर यह मांग रही है कि वहां पर कम से कम छोटी-छोटी पुलियां बनाई जायं। इससे वहां की जनता की अनेकानेक समस्याएं काफी हद तक हल हो सकती हैं। बार बार ध्यान आकृष्ट करने पर, प्रश्न करने पर भी, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह परमावश्यक है और मैं कई बार निवेदन भी कर चुका हूं कि छोटी सरजू एक नदी है जो जिले में एक कोने से दूसरे कोने तक बहती है। उस नदी पर बड़े बड़े कस्बे स्थित हैं। उसी पर अतरौठ एक बड़ा बाजार है। श्रीमन्, यह वह बाजार है जो सन और सुतली का सेन्टर है। यहां से हजारों गांठे कच्चे माल की बाहर भेजी जाती हैं। लेकिन खेद है कि वहां पर अब तक एक पुल नहीं बनाया जा सका है। सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद तक तो यातायात के लिए रास्ता बन गया है लेकिन इस एक पुल के न होने के कारण यातायात की समस्या विकराल होती जा रही है। कत्तालपुर में भी इस नदी पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। वह भी अब टूट गया है। इसके टूट जाने से वहां पर कितनी ही दुर्घटनायें हुआ करती हैं। थोड़ी सी रकम की इस पुल निर्माण के लिये आवश्यकता है। यदि यह थोड़ी सी धनराशि इसके लिये स्वीकृत कर दी जाय तो उस पुल का निर्माण हो सकता है लेकिन बार बार कहने पर भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुयी है।

हमारे यहां की जो सिंचाई की दशा है, उसके बारे में ऊपर मैंने कह दिया है, बहुत से ट्यूब वैल्स बने हुये हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक साल से ऊपर बने होने के बावजूद भी इन ट्यूबवेलों की नालियां अब तक नहीं बन सकी हैं। मैंने इसके लिये बार बार माननीय कृषि मंत्री जी से कहा, सिंचाई मंत्री जी से कहा है, ट्यूबवेल के जो नये डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया, प्रार्थना पत्र भी दिये लेकिन फिर भी उन नालियों का निर्माण अब तक नहीं हुआ और कोई सुनवाई भी नहीं हो सकी है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात, इस बजट का समर्थन करते हुए, समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इन कमियों की ओर ध्यान देकर इनका निराकरण करने की कृपा करेगी।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी मैंने माननीय मिश्र जी की बात सुनी। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की है कि इस वर्ष कोई नया टैक्सेशन नहीं लगा है और कृषि के ऊपर इस सरकार का काफी ध्यान गया है। श्रीमन्, आजकल की जो स्थिति है वह यह है कि हिन्दुस्तान एशिया में सबसे नीचे है, चाहे वह पैदावार खेती की हो या चाहे इन्डस्ट्रीज की हो। एशिया में हिन्दुस्तान सबसे नीचे है और इस देश के अन्दर यू० पी० सबसे नीचा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

उस सूरत में आप अपने बजट को देखते हुये अगर कांग्रेस के भाई लोग इस बात पर खुशी जाहिर करें कि हमारे प्रदेश का जो इस वर्ष का बजट है वह प्रगतिशील है, इस बजट के अन्दर बड़ी आशायें हैं, यह एक बैलेन्सड बजट है, तो इसे सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। आगे आप सोचें, आज हिन्दुस्तान में यू० पी० की पर कैपिटा आय बहुत कम है। यह केवल २५५ है जबकि हिन्दुस्तान में ३०० से ज्यादा है। आज हमारे यहां पर गेहूं की पैदावार ११ मन प्रति एकड़ है जबकि पंजाब में २४ मन प्रति एकड़ और आन्ध्र और महाराष्ट्र में २७ मन प्रति एकड़ आती है। जब यहां पर पैदावार इतनी कम है तो उस सूरत में अगर आप कहें कि हमारा बजट बहुत अच्छा है तो मैं कहूंगा कि बजट तो अंग्रेज भी पेश किया करते थे। यह बजट, जिसे आप प्रगतिशील कहते हैं, आगे बढ़ाने के बजाय, अपनी एग्जिस्टेन्स को खो रहा है। वास्तव में यह बजट जो आज पेश हुआ है यह तो १९५१-५२ में आना चाहिये था।

कितनी बिजली हमारे यहां कम है, सिंचाई की व्यवस्था कम है? ६ करोड़ एकड़ के करीब यू० पी० में खेती का रकबा है जिसमें से सवा करोड़ एकड़ में आबपाशी होती है। अगर आप २ करोड़ एकड़ में आबपासी का इंतजाम कर दें तो मेरा दावा है कि यू० पी० की जो इस समय पैदावार है, उस की दुगनी हो सकती है। क्या हम ५००० एकड़ फी ब्लाक लेने को तैयार हैं, क्या आज २ टन प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार हैं? श्रीमन् इस समय कृषि मंत्री नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर २ टन प्रति एकड़ आप पैदावार करने के लिये तैयार हों तो हमारा सूबा आत्म निर्भर हो जायगा और आसपास के सूबों को भी अन्न दे सकता है। जब तक आप के यहां इंटेसिव कल्टीवेशन न हो तब तक आप कैसे कह सकते हैं सकते हैं कि यह हमारा बजट अच्छा है। आज यह प्रदेश भारत की सबसे अच्छी जमीन का मालिक है, यह गंगा जमुना का मैदान है, २० फीट के ऊपर यहां कुये में पानी मिल जाता है, बारिश का पानी भी काफी होता है, इतना सब कुछ होते, हुये भी क्या आज सरकार ८ करोड़ आदमियों का पेट भरने के लिये तैयार है? यह सरकार दुनिया की सबसे अच्छी जमीन, आबोहवा, और पानी के इंतजाम के बावजूद भी कवाल टाउन्स में राशनिंग कर रही है। भला कैसे यह सरकार बजट बनाने की अधिकारी हो सकती है?

क्या हमारे कृषि मंत्री या निदेशक कृषि विभाग हमारे साथ बैठने के लिये तैयार हैं? अगर हैं तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उन को खेती बढ़ाने का प्रोग्राम देने के लिये तैयार है। आज प्रदेश में २० लाख कुओं की जरूरत है, १० एकड़ जमीने के पीछे एक कुआ हो, इन २० लाख कुओं की लागत ४० करोड़ रु० होगी, क्या सरकार इतना रुपया देने के लिये तैयार है? क्या सरकार ट्यूबवैल को बिजली देने के लिये तैयार है? मेरा निवेदन है, श्रीमन्, कि नहरों का, ट्यूबवैल्स का जो पोटेंशियल है अगर उसका पूरा इस्तेमाल किया जाय तो हम ५६ करोड़ मन अनाज पैदा करने के लिये तैयार हैं। लेकिन अफसोस है कि करोड़ों आदमियों का कीमती समय राशन की दुकानों पर जाया होता है। आज दुनिया के किसी मुल्क के अन्दर राशनिंग नहीं है। आज अर्जेन्टाइना जैसा देश हम को अनाज देने के लिये तैयार है। सन् १९४७ के पहले यू० पी० खाद्य के मामले में सेल्फ सफिशियेंट था। लेकिन सरकार की कृषि नीति के कारण ही आज प्रदेश भूखा मर रहा है।

मुझे दुःख है कि ३ अरब के बजट में पौने तीन करोड़ रुपया सिर्फ तालीम पर रखा है। जिस मुल्क का बजट प्राइमरी एजूकेशन और लोगों की इनवेस्टमेंट कैपेसिटी और क्वालिटीज को बढाने के लिए न हो तो वह मुल्क १०, १५ साल बाद अपंगु बन जाता है।

श्रीमन्, कानपुर की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कालेज के चारे लड़के हाथ में चाकू लिये सड़क पर घूम रहे थे, वहां पर एक थाना है, उसी के पास एक गांव का आदमी आ रहा था। उन लड़कों ने शाम को ६ बजे खुल करके चाकू से मारना शुरू कर दिया और उसको इतना मारा कि वह वहीं मर गया। पुलिस ने कालेज के लड़कों को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि वे चाकू की रफ्तार देखना चाहते थे और वह यह देख रहे थे कि दोषी आदमी

किस तरह से मारा जाता है। इस प्रकार कालेज के लड़कों के सामने कोई मंजिल न हो, इस तरह से राज्य को चलाने से क्या फायदा होगा? पुलिस की कोई मंशा चोर, डकैत को पकड़ने की नहीं होती, पुलिस का मकसद आज पैसा है। बड़े-बड़े डिप्टी कलेक्टर, मुंसिफों का मकसद पेशकार के जरिये पैसा है। कालेज के टीचरों का मंशा शिक्षा देना नहीं ट्यूशन फीस वसूल करना है। गांवों के लोग झूठे मुकदमों में पकड़े जाते हैं। और २०, ३० तारीखें पड़ती जाती है। रोडवेज का नक्शा यह है कि गांवों के लोगों को कई कई घंटे बस की तलाश में घूमना पड़ता है। पंजाब में नियम है कि १५, २० मिनट के अन्दर उनको बस मिल जाती है तो क्या यह सरकार भी वहां की तरह यह नियम बनाना चाहती है ताकि गांव के लोग खेती में लगें? अगर गांव के लोग कचेहरी कानूनी जंगल में फंस कर वहीं घूमते फिरेंगे तो किस तरह से गांव की पैदावार बढ़ेगी? इसकी कोई झलक इस बजट में नहीं है। आज आन्ध्र, मैसूर, मदरास, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी के लड़के इतनी जबरदस्त गुन्डागर्दी करने के लिये तैयार नहीं हैं जितना यू० पी० के कालेज के लड़के करने को तैयार हैं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाइये, सेकिं क्लास के डिब्बे में जाइये उसमें वे बिना टिकट घुस आयेंगे और इसको वे अपना बड़ा हुनर समझते हैं प्रदेश के निजाम के कानून को तोड़ने में। आज हमारा प्रदेश कृषि में, बिजली में, उद्योग धन्धों में सबसे पीछे है तो आखिर इस बजट की मंजिल कहां है? मकसद यह होना चाहिये था कि यू० पी० की सफिशेंसी अनाज के अन्दर, बिजली के अन्दर तालीम के अन्दर इतने दिनों के अन्दर लाने को आप तैयार हैं? यह चीज इस बजट में नहीं है।

मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १ करोड़ रुपया खर्च करने से ६३ लाख रुपये की पदावार खेती में बढ़ती है। ४ लाख रुपया इंडस्ट्रीज में बढ़ाते हैं और २० लाख रुपया स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में बढ़ाते हैं। अगर २०० रुपया आप खेती पर खर्च करते हैं तो एक खेती के मजदूर को काम मिलता है। लेकिन हमारी सरकार ने १९४८ से बड़े-बड़े डैम बनाये। २००-२५० करोड़ रुपये लगा कर बड़े-बड़े डैम बनाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उल्टे काम कर रही है। इस सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगों के नाते छोटे उद्योगों का चौपट किया, ट्यूबवेल तोड़ कर बड़े-बड़े डैम बनाये और यूनिवर्सिटी शिक्षा के जाल में इसने प्राइमरी एजूकेशन को खत्म कर दिया। इस सरकार को अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। श्रीमन्, यू० पी० की जनसंख्या करीब ८ करोड़ है तो क्या हम अपने यहां की पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर हमारे पास आबपाशी के साधन हों तो क्या हम अपनी पैदावार को दुगना नहीं कर सकते हैं? इसलिये जरूरी था कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या को देखते हुये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनके इस्तेमाल करने के लिये कोई स्कीम आनी चाहिये थी। लेकिन ऐसी कोई स्कीम इस बजट में दिखाई नहीं देती है।

श्रीमन्, पंच वर्षीय योजनाओं के बारे में मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारी इन तीनों योजनाओं से पहले जितनी बेकारी थी आज उससे चौगुनी बेकारी बढ़ गई है। अगर ये पंच-वर्षीय योजनायें खत्म होने पर बेकारी बढ़ायें, भुखमरी पैदा करें तथा साधारण आदमी के रहन सहन के स्तर नीचे गिरायें और लोगों को खाने को अनाज न मिले, मैं जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं की मंजिल क्या है। पंच वर्षीय योजनाओं का मकसद यह होना चाहिये कि गांवों की बेकारी दूर हो और गांव के लोगों को खेती के अलावा समय में कुछ काम मिलना चहिये। देश और प्रदेश के गांव-गांव में छोटे छोटे उद्योग खोले जाने चाहिये। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये कुयें बनवाये जायं, अच्छी खाद और बीज दिये जायं। यदि ऐसा किया जाय तो बेकारी दो साल में खत्म की जा सकती है।

आज हमारे यहां दो करोड़ आदमी बेकार हैं। क्या सरकार कहने के लिये तैयार है कि उनके पास क्या काम है? क्या यह सरकार यह कहने के लिये तयार है कि लोगों की बेकारी कब तक दूर होगी? आज आप लोग दुनिया में किसी भी मुल्क में जाइये तो आपको मालूम होगा कि वहां पर जो रुपया खर्च हो रहा है वह इंसान बनाने के लिये हो रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश

[श्री बलवानसिंह]

में कोई प्रोग्राम आदमी बनाने का नहीं है। आप देश को बड़ी से बड़ी मशीन और कारखाने दे दें लेकिन जब तक आदमी नहीं बनायेंगे तब तक देश का कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान के पास बड़े-बड़े टैंक्स थे लेकिन हिन्दुस्तान जीता क्योंकि यहां के आदमी वहां से बेहतर थे।

मैं अब हेल्थ के ऊपर आना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की हेल्थ का यह हाल है कि तीन बच्चों में एक बच्चा अंधा पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपके अस्पतालों का क्या हाल है? यहां के लोगों की हेल्थ क्यों खराब है? आपका इस योजना पर कितना खर्चा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मेरा खयाल यह है कि यहां के डाक्टर और नर्सेज बाहर भागे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। उल्टे यहां की सरकार का मकसद यह है कि यहां के आदमियों की पैदावार कम होने लगे।

एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि ७० फीसदी आदमी यू० पी० का इल्लिटरेट हैं। अगर आज यू० पी० में अनिवार्य शिक्षा कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पढ़ी हुई जनता इस सरकार को अपनी सीट से गिरा देगी। केरल में ६० प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं। इसलिए वहां सरकार की धांधलेबाजी चलती नहीं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो एलेक्टोरल अलाएंस के पक्ष में हों ताकि मिल जुल कर कांग्रेस की हुकूमत को हराया जा सके। एलेक्टोरल अलाएंस इसलिए कीजिये—अगर सरकार आठवीं क्लास तक अनिवार्य शिक्षा देने के लिए तैयार न हो, लघु सिंचाई का इंतजाम करने के लिये तैयार न हो, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आन्दोलन करने के लिये तैयार है। इसके लिये एलेक्टोरल अलाएंस हो। कांग्रेस पार्टी एक क्लब का का नमूना है। उसके पास कोई उसूल नहीं है। उसके पास दुनिया का सब से अच्छा कांस्टीट्यूशन है लेकिन पालन नहीं है। अगर विरोधी पार्टियां कांग्रेस को हटाना चाहती हैं तो यू० पी० के आदमियों को विद्या दे दीजिये, जिस दिन पढ़े लिखे हो जायंगे यहां के लोग कांग्रेस की दकियानूसी पालिसियों और कानूनों से हट जायगा। लेकिन इस तीन सौ करोड़ रुपये के बजट में केवल पौने तीन करोड़ शिक्षा पर रखा गया है।

उम्मीद है कि जो बुनियादी सवाल मैंने रखे हैं उन पर सरकार विचार करेगी और इस गिरी हुई रियासत को उठाने की कोशिश करेगी।

श्री मंगल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आपने बड़ी कृपा की कि बिना कसरत किये हुए आपने मुझे समय दिया। आज चार पांच दिन से बजट पर सामान्य विवाद चल रहा है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट को क्रान्तिकारी बजट की उपाधि दी है। कुछ ने इसे समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने की उपाधि दी है। कुछ ने इसे नौकरशाही बजट की उपाधि दी है। मेरी समझ में इसको समाज में समाजवाद लाने वाला बजट नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस हुकूमत को, और जो यह हुकूमत की प्रणाली है इसे कदापि समाजवादी व्यवस्था की हुकूमत नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, हमारे कुछ साथी जो कुछ दिन पूर्व उधर बैठते थे और वे समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, उनमें, मान्यवर, आप भी एक हैं, उनको कैसे यकायक इलहाम हो गया कि समाजवाद की झलक कांग्रेस में भी दिखायी देने लगी। मैं पूछूंगा कि वह आइने का शीशा कौन लगाते हैं, जिसे मैं भी उसे खरीद लूं, और लगाऊं, लगाकर समाजवाद की झलक मुझे भी दिखायी दे। हमारा साधारण प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना पूर्ण हो चुका है कि उसमें अब अधिक गुंजाइश नहीं है। एक मिसाल मैं देता हूं। पुलिस भ्रष्टाचार को ले लीजिये। बहुत आसानी से एक आदमी की जान दो हजार रुपये खर्च कर के ली जा सकती है, और कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं होती। एक गरीब पर किस प्रकार जुल्म किया जाता है। पुलिस का दरोगा उसको बुलाता है घर से, और १०९ में उसका चालान हो जाता है। मान्यवर, आप खुद महसूस करें कि उसके ऊपर

क्या बीततीहोगी, इस हुकूमत के बारे में वह क्या सोचते होंगे कि यह ऐसी समाजवादी सरकार का निराला समाजवाद है, जिसमें बिना कसूर लोगों को जेल में सड़ाया जाता है। मैं एक बात और आपसे निवेदन कर दूं कि इस सरकार ने एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम अवश्य उठाया कि उसने जमींदारी का खात्मा कर दिया, यह एक बड़ा इन्कलाबी कदम था। सरकार ने जोत की हद-बन्दी भी कर दी, यह भी एक क्रान्तिकारी कदम था, लेकिन इससे नतीजा क्या निकला? उससे नतीजा कुछ नहीं निकला। मैं इस बात को कह सकता हूं कि समाजवाद को मानने वाले इस समाजवादी सरकार के जो बड़े-बड़े सदस्य, उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी जोतों को अपने बिरादरी के रिश्तेदारों के नाम से पट्टा कर रखा है। इस तरह से सारी जमीन घर घराने में, रिश्तेदारों में छिपा ली गई है। इतना होने पर भी यदि यह कहा जाए कि हम समाजवाद को ला रहे हैं, तो यह बात मेरी बिलकुल समझ में नहीं आती है।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं महकमा माल की आपके सामने रखूं। इस माल विभाग के कार-नामें में आपसे बताऊं। इसका हाल यह है कि अंग्रेजों के समय में भी बड़े हिफाजत से माल विभाग के कागजात रखे जाते थे, किन्तु आज उस विभाग की दुर्दशा इतनी हो गई है कि आज आप २०० रुपये खर्च कर दीजिये और १२–१२ साल के इंतखाब बदले जा सकते हैं। मैं तो कहता हूं इस तरह से जो काम आप के शासन में हो रहा है, उसमें आप समाजवाद नहीं ला रहे हैं, बल्कि आप तो समाजवाद का पोस्टमार्टम कर रहे हैं–यदि यह कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

(इस समय २ बजकर ४७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जहां तक अस्पतालों का सवाल है, कोई गरीब बढ़िया इलाज नहीं पाता। मैं तो यह कहता हूं कि इस जमाने में भी बहुत से गरीब आदमी दवाओं और अस्पतालों के अभाव में आप के समाजवादी व्यवस्था में बेमौत मर रहे हैं। आप देहातों में जाकर देखिये, उनको दवा नहीं मिलती है।

यदि शिक्षा की तरफ आप ध्यान दें, तो १८ वर्ष आपको देश का शासन अपने हाथ में लिये हो गये, लेकिन आज भी मैट्रिक तक की शिक्षा फ्री और अनिवार्य नहीं हो पायी है। तो वह गरीब कैसे इंजीनियर बन सकते हैं, जबकि उसके लिये आज भी ढ़ाई तीन सौ रुपया प्रतिमास का खर्च है? जबकि शिक्षा इतनी खर्चीली है तो कैसे गरीब लोग पढ़ सकते हैं? इसका नतीजा यह है कि जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं, बड़े बड़े व्यवसाय हैं, उन्हीं के हाथ में बड़ी-बड़ी नौकरियां हैं। फिर भी कहा जाए कि हम समाजवादी व्यवस्था ला रहे हैं, तो हम तब यही कहेंगे कि यह समाज को धोखा देना मात्र है।

मान्यवर, तीन हमारी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गयीं, जिनमें अरबों रुपया खर्च हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें बहुत से काम भी हुये हैं, लेकिन यदि कुछ गहराई से खयाल करें तो आपको यह चीज भी मालूम होगी कि इन तीन योजनाओं में जितनी अवधि गुजरी है, उसमें हमारे यहां के लोगों का, आम लोगों का, करेक्टर बहुत गिरा है। आज तरह तरह की चोरियां और ब्लैकमार्केटिंग की वारदातें पैदा हुयी हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अपने शासकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि वह स्वयं जानते हैं, और जब वह बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, तो सारी बातों की जड़ में वे जनता से आत्म-निरीक्षण करने के लिये कहते हैं, हमारे शासक गण स्वयं पहले अपना आत्म-निरीक्षण करें और जो यह खराबियां व्याप्त हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें।

खाद्य की कमी भी हमारे यहां बड़ी समस्या है। खाद्यान्न जो हमारे यहां बाहर से मंगवाया जाता है, उसका भी ठीक से बंटवारा नहीं हो पाता है। आपके शहरों में तो टोटल राशनिंग की बात सोचते हैं, इसके पहले भी नगरपालिकाओं में और टाउन एरिया कमेटी में राशनिंग थी। जो बड़े-बड़े फार्मर शहरों में जाकर कोठियां बना कर बस जाते हैं।

[श्री मंगल]

उन्हीं को राशन मिलता है और जो छोटे आदमी देहातों में हैं किसान और मजदूर उनको नहीं मिलता और बढ़े पैसे वालों में ही वह राशन वहां बंट जाता है। जो बड़े-बड़े किसान हैं, वे राशन जो खुद पैदा करते है वे १ रुपये का १ सेर के हिसाब से बेंच देते हैं और सरकारी राशन सस्ता लेकर इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की कुव्यवस्था को देखते हुये जो कुछ भी हमारे पास है जो जरूरत मन्द हैं उनके पास वह राशन जाय, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं सिंचाई विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यों तो भ्रष्टाचार सभी विभागों में है लेकिन अगर सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप देखें तो मेरा ख्याल है कि सारे मंत्रीगण के विभागों को एक तरफ रख लिया जाय और फिर माननीय गिरधारी लाल जी को दूसरी तरफ बैठा दिया जाय तो यह बैलेंस कर जायेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छितौनी के बांध की बात कहता हूं जो कि करीब ५० लाख रुपये में वह निर्मित हुआ और उसकी हिफाजत पर करीब १५० लाख रुपया खर्च हो गया लेकिन फिर भी वह कटता जा रहा है। सिंचाई विभाग ने एक चोरी का नया तरीका इस्तेमाल कर रखा है और उसकी वजह से समस्या और भी जटिल हो गयी है। इस कटान के कारण बीसों हजार जनता बेघरबार हो जायगी। और यही बात नहीं है। एक गंडक योजना निकालने का प्रस्ताव है और उसके अन्तर्गत नहर निकाली जा रही है। अगर नहर निकाली जाती है और अगर बांध टूट गया तो नयी गंडक पैदा हो जायगी और उससे गोरखपुर और देवरिया जिलों का सर्वनाश हो जायगा। अतः आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नहर का काम चलाना है तो उस बांध को मुस्तैदी के साथ पुख्ता काम करना चाहिये नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा।

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों और उसकी कारगुजारियों पर पिछले चार पांच दिनों से बहुत सारी बातें कही गयीं हैं और अगर उनमें कुछ और जोड़ा गया तो यह मैं समझता हूं कि वह पूरा नहीं होगा बल्कि उसको पौराणिक शब्दों में अगर शेषनाग और सरस्वती भी वर्णित करें तो भी इनके गलत कारनामों का वर्णन नहीं कर सकते प्रागैतिहासिक काल में जब जनता ने सोचा कि शान्ति व्यवस्था की रक्षा के लिये हमें एक सरकार का निर्माण करना चाहिये तब से निरन्तर सरकारें बनती चली आ रही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ऐसी सरकार है जो उस सुन्दर स्वप्न की कतई पूर्ति नहीं कर रही है। इस सरकार ने बजाय शान्ति व्यवस्था के हर क्षेत्र में अशान्ति और अव्यवस्था पैदा कर रखी है।

आज हमारे सामने २९२ करोड़ रुपये का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इसका कोई रिटर्न, कोई प्रतिफल आज प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है बल्कि जनता की निगाह में तो सरकार आज डाकुओं का गिरोह है जो अपनी पुलिस और जेल के बल पर प्रदेश की ७ करोड़ जनता से जबरदस्ती पैसा वसूल कर के खर्च किया करती है और इस साल २९२ करोड़ रुपया छीन कर अपने लोगों में बांट लेगी। आज स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में दवा नहीं मिल पा रही है। हर क्षेत्र में अंधेरगर्दी मची हुई है। सरकार ने एक बड़ा अच्छा नारा लगाया था कि हम मध्यवर्तियों को नष्ट करेंगे लेकिन यह सरकार खुद एक बिचौलिया बन गयी और यह उन बिचौलियों से कहीं ज्यादा भयंकर, कहीं ज्यादा नुकसानदेह और कहीं ज्यादा दोषपूर्ण है। सरकार के उच्च पदों पर ऐसे तंगदिल, और संकीर्ण हृदयवाले लोग बैठे हुये हैं जिन्हें अपनी मान मर्यादा और इच्छाओं के सिवा कोई नहीं दिखाई देता। ये सारे प्रदेश की जनता को गर्त में लिये चले जा रहे हैं। इस सरकार ने प्रजातंत्र शब्द का नारा लगाया, जिसके लिये हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों के दिलों में बड़ी-बड़ी आशायें थीं लेकिन आज इसने उस को भी बदनाम कर दिया है और आज प्रदेश का आम आदमी यह कहने लग गया है इस प्रजातंत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से तो फौजशाही और राजाओं का राज्य अच्छा था। इस तरह की कारगुजारी इस सरकार की है कि समाजवाद जैसे शब्द के लिये जिसके लिये देश और दुनिया के सामने बड़े-बड़े सुनहरे स्वप्न देखे गये हैं, इस सरकार ने उस को भी इतना बदनाम कर दिया है कि लोग यह समझते हैं कि कोई बहुत बुरी चीज है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और यह अपील करना चाहता हूं कि आज एक ही रास्ता है और वह यह है कि सरकार कृपा करके जनता का कल्याण करना बन्द कर दे और सरकार जितने भी कल्याण के कदम उठाती है उससे उतना ही जनता की तकलीफ, जनता का दुख और परेशानी बढ़ती जाती है।

आज प्रदेश की स्थिति एक ऐसी हालत में पहुंच गई है कि जब सिवाय इसके दूसरा रास्ता नहीं रह गया है कि सरकार अपने कदम को वापस ले ले और कल्याण के काम को बन्द कर दें। सरकार ने जो ये ५० महकमे खोल रखे हैं, डाक्टर सीताराम और दूसरे मिनिस्टर रखे हुये हैं, विकास विभाग खोल रखे हैं उन सारे महकमों को बन्द कर दे और २९१ करोड़ रुपये को बचाकर ३० करोड़ रुपये का बजट कर दे तो इस देश की जनता सुख से रह सकती है। मेरे जिले के कोआपरेटिव विभाग को देखा जाय तो उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर बनारसी दास जी ने ऐसा असिस्टेंट रजिस्ट्रार भेज दिया है जो बिल्कुल कांग्रेसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस गुट का कार्यकर्ता हो गया है और उसने सारे सहकारी क्षेत्र में गड़बड़ पैदा कर रखी है। हर जगह बेइमानी है और हर शख्स बदमाशी पर चल रहा है। हमारे इटावा जिले के दुर्भाग्य से दो हिस्से हैं। एक रेलवे लाइन का दक्षिणी हिस्सा है जिसमें कुछ उपजाऊ जमीन है। वहां पर लोग खुशहाल हैं। उत्तर का जो हिस्सा है वह नीची जमीन है जिसमें ढालू जमीन और तालाब हैं। जितना भी काम होता है, उसके लिये कुछ गांव रख दिये गये हैं। महेवा ब्लाक के आसपास वे गांव हैं और जो लोग देखने आते हैं उनको वे गांव दिखा दिये जाते हैं। इटावा जिले का जो उत्तर का हिस्सा है वह बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है जहां पर प्रगति का और विकास का किसी किस्म का काम नहीं हुआ है। इटावा जिले में जब जगन प्रसाद जी रावत तशरीफ ले गये थे तो भर्थना—उसाहार सड़क के लिये हर एक आदमी ने और हर एक दल के आदमी ने सब ने मिलकर उनसे दरख्वास्त की थी कि इस जिले की प्रगति उस सड़क के न बनने की वजह से रुकी हुई है। वहां की मंडी भी ठप्प पड़ी हुई है जिससे वह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जब वहां पर सड़क नहीं है तो वहां पर सभ्यता और संस्कृति कैसे जा सकती है और शिक्षा में भी प्रगति नहीं हो सकती है। ऐसी हालत में इस सड़क का बनना बहुत जरूरी है। रावत साहब ने वहां पर सभा में आश्वासन दिया था कि उस को बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी तक वह नहीं बन पाई है। अभी थोड़े दिन हुये बंशीधर पांडेय जी भी वहां पर तशरीफ ले गये थे उन्होंने भी उस सड़क को देखा। उन्होंने जनता को साफ इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि इस सड़क को बनवाने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर आकर वह भी उसको भूल गये। तो आज स्थिति ऐसी है कि हमारे उस इलाके में जनता यह नहीं चाहती है कि वहां पर ब्लाक चले। वह यह नहीं चाहती है कि विकास या दूसरा ऐसा काम हो। वह जनता यह चाहती है कि उन की जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं वे पूरी हों। वह चाहती है कि वह सड़क बन जाय। तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर भर्थना—विधूना सड़क के बनने की बात थी लेकिन उस सड़क के अभी तक बनने की नौबत नहीं आई है।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है जो हालत इस विषय में और जिलों की है इटावा जिले की हालत भी उससे कम नहीं है। ३६ कत्ल सारे जिले में हो चुके हैं। सैकड़ों डकैती पड़ी हैं। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि विधूना कस्बे के अन्दर एक शस्त्रास्त्र की दुकान थी जो बन्दूक का लाइसेन्स लेकर शस्त्रों का काम करती थी। एक दिन डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और जितनी भी बन्दूक और कारतूस थीं वह सब उठाकर ले आये और जो आदमी दुकान पर सो रहा था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। काफी दिन हो गये लेकिन इसके सिलसिले में प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। कोई जांच भी नहीं हुई है बल्कि

[श्री सहदेवसिंह]

जो कदम उठाया गया वह यह कि दूसरे कस्बे में जो बन्दूक की दुकानें थीं उनको यह नोटस दिया गया कि वह अपनी दुकानें वहां बन्द कर दे और इटावा शहर में अपनी दुकानें खोलें बजाय इसके कि उन दुकानों के लिये कोई सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार करती सरकार की ओर से यह हुकुम दिया गया। वह अपनी दुकान उस कस्बे से उठाकर शहर में ले जायें। उन कस्बों में डकैती पड़ती है और लूट होती है। इस तरह की दशा वहां पर है अब नहरों के सम्बन्ध में क्या कहूं? हमारे यहां इटावा नहर डिवीजन और भोगिनीपुर नहर डिवीजन हैं। पहले सिंचाई रेट में जो ३ आना की कमी की गयी थी उसे फिर बढ़ा दिया गया है। इस बार जो अन्न की कमी है उस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहर मुकहमे की है क्योंकि अक्सर यह होता है कि नहर विभाग वाले गलत तरीके से झूठी ही आबपाशी लिख लेते हैं और उस को वसूल करने के लिये बराबर तत्पर रहते हैं। ऐसे तो इस साल रबी की फसल के लिये बहुत से खेतों को पानी ही नहीं मिला या जिनको मिला भी वे बहुत कम खेत ऐसे हैं, जिनको आवश्यकतानुसार पानी मिल सका है। इस तरह नहरों के गलत प्रबन्ध की वजह से तमाम की तमाम फसल बर्बाद हो गयी है और किसानों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है। इन दिनों एक तरफ तो रबी की फसल खराब हो रही है और दूसरी तरफ गल्ले के भाव में भी कुछ गिरावट आयी है। ऐसी स्थिति में किसानों के ऊपर बड़ा संकट है। सरकार ने २५ प्रतिशत वाले अधिभार के संबंध में कहा था कि पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से देश की रक्षा के लिये यह किया जा रहा है। उस समय विरोधी पक्ष की ओर से सरकार को सुझाव दिया गया था कि उस बिल इस बात को जोड़ दिया जाय कि जिस समय यह खतरा दूर हो जायगा उस समय इसे हटा दिया जायगा, तो हमारे माननीय माल मंत्री ने जबानी तौर पर यह आश्वासन दिया था कि आप इस बात पर यकीन रखें कि जब यह स्थिति नहीं रहेगी तो इस अधिभार को हटा दिया जायगा। आज वह स्थिति नहीं है लेकिन बदकिस्मती यह है कि फिर भी उसे नहीं हटाया जा रहा है। संकटकालीन स्थिति को समाप्त करने के लिये बड़े-बड़े जिम्मेदार आदमियों ने, और भूतपूर्व न्याय मंत्री श्री अशोक सेन जैसे लोगों ने भी इस बात को कहा है कि अब संकटकालीन स्थिति खत्म होनी चाहिये और वैसे सरकार भी इस बात को मानती है, कि ताशकन्द घोषणा के बाद अब संकट काफी कम हो गया है।

दूसरी बात यह है कि अब किसानों के ऊपर सवाया अधिभार लगाये रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये सरकार को उसे फौरन ही वापस लेना चाहिये। सिंचाई के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था बहुत जरूरी है जिससे जिसको जितना जरूरत हो उतना पानी दें जिस तरह से शहर के लोगों को आप उनकी जरूरत के मुताबिक पानी देते हैं। जिस तरह से शहरों में पानी का मीटर लगा रहता है और उससे मालूम हो जाता है कि किसने कितना पानी खर्च किया उसी तरह से सिंचाई के लिये जितना पानी दिया जाय उसके लिये भी कोई हिसाब रखने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जो जितना पानी ले उसको उतने ही का दाम देना पड़े। आज हालत यह है कि कोई पानी चाहे ले या न ले लेकिन सरकार उससे सिंचाई का पैसा जरूर वसूल करती है, इससे किसान बहुत तंग व दुखी हैं। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि आज फसल की हालत खराब है और गल्ले का भाव भी गिर रहा है, ऐसी स्थिति में मैं फिर सरकार से अपील करता हूं कि वह २५ प्रतिशत वाले अधिभार को तुरन्त हटा ले क्योंकि अगर इसे नहीं हटाया गया तो हम समझते हैं कि अन्न उत्पादन के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और प्रदेश के अन्दर शान्ति व व्यवस्था भी नहीं रह सकेगी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात की ओर संकेत कर भी दिया है कि अगर सरकार ने इसे नहीं हटाया तो वह किसानों से इसके लिये शान्तिपूर्ण संघर्ष करने के लिये कहेगी।

इसी प्रकार से शहरों के अन्दर भी आपने भूमि भवन कर की दर को पहले से और बढ़ा दिया है। भूमि भवन कर की वसूली संबंधी जो पिछली बार के आंकड़े हैं, उनको देखने से

मालूम होता है कि वसूली तो बहुत कम हुई है और बाकी सारे के सारे भूमि भवन कर बकाया पड़े हैं। श्रीमन्, इस बार जब कि उसकी दर और बढ़ा दी गयी है तब तो इस साल करोड़ों रुपये बकाया रहेंगे और आम जनता उसे देने में असमर्थ रहेगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि ये दोनों इजाफे जो उसने किये थे, उन्हें तुरन्त खतम कर दें। मैं यही कहना चाहता था।

*श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने सन् १९६६-६७ का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। पिछले पाकिस्तान युद्ध में हमारे प्रदेश के जिन लोगों ने अपनी बहादुरी प्रदर्शित की है और अपना बलिदान किया है, अपना उत्सर्ग किया है, उनका मैं अभिवादन करता हूं। इस बहादुरी के लिये भारत सरकार ने जिन लोगों का सम्मान किया है वह ठीक ही है और हमारी सरकार ने उन लोगों को जो आर्थिक सहायता दी है वह भी बिलकुल ठीक है और उसके लिये मैं उस शासन को धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां के क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को सरकार द्वारा जो १० हजार रुपया नकद और ५०० रु० प्रतिवर्ष दिया गया है, वह भी ठीक है। उसके साथ में चाहूंगा कि इन लोगों को कोई स्थिर संपत्ति, मकान या जमीन की कुछ सहायता दी जाती तो अच्छा था। मैं शासन का ध्यान इसी तरफ खींचना चाहूंगा कि प्रथम काशमीर युद्ध में इस प्रदेश में नायक यदुनाथ सिंह को परमवीर चक्र मिला था। वह हमारी तहसील का मामला था, लेकिन कोई आर्थिक सहायता आज तक नहीं दी गयी। यह हमारे लिये बड़े अभिमान का विषय है। चौथा नम्बर भारत में और इस प्रदेश में पहला नम्बर नायक यदुनाथ सिंह का था जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। उनके परिवार के लोग यहां आयें (व्यवधान)--जिला शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद। हमारे यहां के करीब-करीब ६ हजार नौजवान आज पिछली लड़ाई के समय में युद्ध में खड़े हुये और दुशमनों से लड़ते रहते हैं। मैंने एक पुरानें योद्धा का नाम बताया है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने अपने बजट में जो कृषि को प्राथमिकता दी है वह ठीक ही है, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि पर निर्भर करता है। हम लोग जो छोटे काश्तकार हैं, जो छोटे काश्तकारों में रहते हैं, हमारा निश्चित मत है कि छोटी सिंचाई की योजना बड़ी योजनाओं से ज्यादा अच्छी हैं। मैंने अपने गांव में देखा है, अपनी तहसील के गांव में, कि किसी किसी गांव में ४०-४०, ५०-५० कुएं लोगों ने रहट के बना लिये हैं और वहां ज्यादा हरियाली और खुशहाली है वहां की अपेक्षा जहां छोटे कुएं नहीं हैं। ट्यूबवेल और नहर का कोई प्रबन्ध नहीं है, क्योंकि दो परसेंट ही सिंचित एरिया है, लेकिन इन छोटी-छोटी योजनाओं के अन्तर्गत हजारों की संख्या में कुएं बने हैं। मैं चाहता हूं कि देहाती इलाके में सरकार विद्युत् का प्रसार कर दे हम बाकी काम अपने आप कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि ट्यूबवेल या नहर ही बनावें क्योंकि ट्यूबवेल में जो गड़बड़ी पड़ गयी है उससे आधे से अधिक बेकार पड़े हैं, वहां करप्शन है, वक्त पर पानी नहीं मिलता है। तो हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसलिए हम अपने कुएं बना लेना चाहते हैं और अपने रहट से ही काफी काम चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन छोटे ट्यूबवेल और रहट लगाने वालों को ५० प्रतिशत छूट दे दे। रेशियो तय करने की जरूरत न हो, ५० फीसदी के हिसाब से एक निश्चित रकम एक दम छूट में दे दी जाय और जो अपना ट्यूबवेल लगाना चाहें उनको भी सुविधा देनी चाहिये।

अभी मैं बीसलपुर तहसील में गया था, वह मेरा एरिया नहीं था, लेकिन मैं अचानक पहुंच गया था। वहां जमीन पड़ी थी बी० डी० ओ० ने उसको तुड़वाकर गेहूं बुवा दिया जाय जो कि ब्लाक की बेकार जमीन थी और अपने मकान के पीछे उन्होंने सब्जियां लगवा दीं और अपने ए० डी० ओज० को मजबूर किया कि सब्जियां लगायें। थोड़े दिन विरोध हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशवसिंह]

लेकिन इस वक्त करीब ५०० एकड़ जमीन में उस तहसील में सब्जियां बोयी हुई हैं और हर वक्त सब्जी मिल सकती है। तो ऐसे अधिकारियों को जो छोटे छोटे पदों पर काम करते हैं, उत्साह दिखाते हैं उनका अवश्य ही उत्साह-वर्धन सरकार को करना चाहिये। हमारे यहां सरकार ने जो चकबन्दी का कार्य किया वह बहुत अच्छा है। चूंकि चकबन्दी में करप्शन की बहुत गुंजायश रहती है इसलिए, यह बड़ी खुशी की बात है कि, सरकार ने उसमें बहुत ही ईमानदार अधिकारियों को रखा है और उनका कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है। मैं सरकार का ध्यान एक नयी दिशा की ओर खींचना चाहता हूं। जिन गांवों में चकबन्दी नहीं हुई है और जहां के कागजात दुरुस्त नहीं हो पाये हैं वहां कागजात की दुरुस्ती का काम भी चकबन्दी विभाग को सौंप दिया जाय। इस कार्य में प्रगति होगी। तहसील से कागजात दुरुस्त करवाने में बहुत खर्चा पड़ जाता है और समय भी बहुत लगता है। वहां करप्शन भी बहुत है। इसलिये मैं चाहता हूं सरकार मेरे इस सुझाव पर ध्यान दे।

कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को सरकार ने तकावी दी है। वे गांव अब बीरान हो गये हैं। फिर भी उनसे तकावी का रुपया वसूल किया जा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार ऐसे लोगों से जो वीरान हो गये हैं, तकावी का रुपया माफ कर दे।

एक सुझाव मैं शिक्षा विभाग के संबंध में देना चाहता हूं। देहात में जो जूनियर और हायर सेकन्ड्री स्कूल हैं उनको वहां के अच्छे-अच्छे फार्म्स जो आधुनिक उपकरणों आदि से सुसज्जित हों, तथा जो आत्म निर्भर भी हों, के साथ अटैच कर देना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि स्कूल के बच्चों को कृषि से संबंधित प्रारम्भिक शिक्षा मिला करेगी और वे कृषि की प्रणाली को देख सकेंगे।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र में, मिल एरिया को छोड़ कर, दूसरे क्षेत्र में गन्ना कृषकों को अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिये और उनको अधिक से अधिक लाइसन्स देने चाहियें। अगर सरकार इस खांडसारी के व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं देगी तो यह व्यवासय इस प्रदेश से समाप्त हो जायगा। अधिकाधिक टैक्स लगाना भी इस व्यवसाय के हित में न होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देखना यह है कि यह बजट हमारी आसानी के लिये बना है या हमारी मौत के लिये बना है। इन आंकड़ों के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की गयी है कि हम आजाद हैं। अब उस आजादी को देखते देखते हम यह कहेंगे कि इससे बेहतर तो हमें गुलामी अच्छी थी। इस बजट में मान्यवर, १८ वर्षों के बाद कृषि पर ध्यान दिया गया और हम यही कहेंगे कि गरीब पिछड़े हुए किसान के रोंगटे आज तक हरे नहीं हो सके हैं। इस सौ साल की गुलामी के बाद भी हम क्या कहें। जिन अल्फाजों में सदस्यों ने दोहराया आंकड़े-वांकड़े दिये उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर हम इस बजट का अध्ययन करें तो इससे हमको कोई राहत नहीं मिलती और यह भी कहते हैं कि "शमा जलने लगी और आने लगे परवाने, वैसे तो अच्छा है, अन्जाम खुदा जाने"। हमारे यहां चिराग तो दोपहर को जल रहे हैं। और एक गरीब किसान की क्या कहें, मुझे रोना आता है जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और वे रोते-रोते यह कहते हैं कि मिट्टी का तेल अठारह वर्षों की आजादी के बाद भी नसीब नहीं है। एक किसान जिसने मुझे चुनकर यहां भेजा

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको मैं यही कह सकता हूं कि तुम मिट्टी के तेल के लिये भी मुहताज हो, यही नहीं बल्कि मैं भी मुहताज हूं। स्टोव के लिये मिट्टी के तेल की जरूरत है तो वह भी मुझे मयस्सर नहीं। ठीक है। अब आगे चलता हूं।

मान्यवर, जैसा कि हर सदस्य जानता है और मैं भी चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो नीति है, जो पंचवर्षीय योजनायें हैं और आज खुदा जाने कि किन अल्फाजों में कहता जाऊं तो दिमाग के सुधार के लिये मैं कहूं कि कोई अच्छा बजट पेश किया जाय तो बेहतर हो। एक दफे किसान आजमाता है, दो दफे आजमाता है, तीन दफे आजमाता है, चौथी दफे आजमाकर और पांचवीं दफे आजमाकर भी हम मुहताज ही मुहताज हैं, क्या यह कहना गलत है कि हम गुलाम ही रहते तो अच्छा था। मुर्दा जो होता है अगर उसके बाल उखाड़ लिये जायं तो वह हल्का नहीं होता। हमारे ऊपर तो पहिले से ही इतने टैक्सेज लग चुके हैं, जिसकी वजह से हर किसान की कमर टट गई है और इससे मैं यही आशा करता हूं कि एक किसान की उन्नति के लिये इस बार कृषि की ओर जो ध्यान दिलाया गया है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं और आगे यह कहूंगा कि जिन चीजों को दोहराते दोहराते और सुनते सुनते हमारे कान पक गये हैं मगर मुझे यही लगता है कि गरीब वहीं का वहीं है, उसको कपड़ा और खाना नसीब नहीं है। और ज्यादा किन शब्दों में कहूं। मैं मुख्तसर में यही कहुंगा कि इस बजट को वाकई में असल रूप देकर हमारी सरकार अगर किसान को राहत पहुंचायेगी तो उसका बड़ा भला होगा।

श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह अलग बात है कि मैं तीन दिन से परेशान हो रहा था इसी सिलसिले में। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी मार्फत सरकार से दो तीन गुजारिशें करनी हैं। एक तो है पी० आर० सी०, पे रेशनेलाईजेशन कमेटी। मुझे तो असैम्बली में आये चार ही साल हुए हैं पर जो २०–२२ साल से असेम्बली में हैं उनका कहना है कि उन्होंने गवर्नमेन्ट की इतनी बड़ी हिमाकत नहीं देखी थी जितनी बड़ी पी० आर० सी० की रिपोर्ट है। इस सिलसिले में मैं किसी क्लास के लोगों को मुतमईन नहीं पाता हूं और सबसे ज्यादा खासतौर से पी० सी० एस० काडर में। पी० सी० एस० वाले यह कहते हैं कि न हम काले फीते लगा सकते हैं, न हम कोई स्ट्राईक या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बल्कि हमने अपनी मांगें अपने चीफ सैक्रेटेरी के सामने रख दीं और अपने प्रैसीडेन्ट और सैक्रेटरी के सामने। हम देखते हैं कि हमारी मांगों पर सही तौर पर विचार न हो सकने का वजह सिर्फ यह थी कि हमार कोई मिनिस्टर नहीं था। चीफ मिनिस्टर ही हमारा मिनिस्टर था और वे कैबिनेट में हमेशा के मुत बिक हमारी मांगें नहीं मनवा सके जितनी मनवाना चाहिये और अगर कोई मिनिस्टर और होता तो वह उनकी मांगे मनवा ले जाता। पी० सी० एस० क्या हैं यह तो सभी जानते हैं सारा निजाम ही उन्हीं से चलता है। अभी थोड़े दिनों पहले टीचर्स का स्ट्राइक चला था, उसका सारा इतजाम इन्हीं लोगों ने किया और इम्तिहान ठीक तरह से हो गये। कहीं नहर टूट जाय, कहीं कोई बाकआ हो जाय तो उसका इन्तजाम तो विभाग की तरफ से होगा ही लेकिन उस वक्त फौरी इन्तजाम करके लोगों को कोई सुकून पहुंचा सकता है तो वह पी० सी० एस० ही है। पी० सी० एस० में १० फीसदी और आई० सी० एस० में दस फीसदी, इस तरह से २० फीसदी प्रमोशन ही इन लोगों को मिल पाते हैं। लेकिन दूसरी सर्विसेज में इतनें ही दिनों में ७५ फीसदी प्रमोशन मिल जाते हैं। यह बड़ी ज्यादती है। मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करें। केबीनेट में यह तय हुआ था कि इन लोगों को इतने इतने प्रमोशन दिये जायं लेकिन राममूर्ति जी ने कह दिया कि जो सीनियर आफीसर्स Deputation पर D. P. O. रहेंगे उनको यह भी सहूलियतें दी जायेंगी। इससे बहुत दिक्कत हो जायगी। यह चीज नहीं होनी चाहिये।

दूसरी चीज पुलिस के बारे में है। डी० एस० पी० लोग भी अपने आप को मुतमईन नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में एक कोई मिस्टर लाल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने

[श्री मुहम्मद रफी खां]

कह दिया है कि इन लोगों को आई० पी० एस० म प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब तक तो उन लोगों को प्रमोशन का लालच होता था इसलिये कुछ ईमानदार भी होते थे। लेकिन अब वे सोचते हैं कि हमें चाहे २० साल हो जायं एस० पी० से हमें आगे प्रमोशन नहीं होगा। इसको भी देख लिया जाय।

लेबर मिनिस्टर साहब से भी मुझे कुछ थोड़ी शिकायत है। एक ज्वाइन्ट डायरेक्टर, श्री एस० एन० एस० सिनहा थे उनको बिला वजह रिटायर कर दिया गया है। ऐसे सीनियर आफीसर को बिना किसी चार्ज के लगाये रिटायर कर दिया जाना मुनासिब नहीं है। इससे हमारी सर्विसेज के दिल में खिचाव पैदा हो सकता है और यह शक हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। यह मुनासिब नहीं है। हुकूमत तो बदलती रहती है लेकिन कोई भी पार्टी हो उसको इन्हीं से काम लेना पड़ता है। अगर इस तरह से गवर्नमेंट के अफिसरों को नालायक करार दिया जायगा, तो किसी प्रकार भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है।

शाजहांपुर म्युनिसिपेल्टी का इन्तजाम बहुत खराब है। ४ साल से उसके ले लिये जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर बरेली डिवीजन भी लिख रहे हैं लेकिन उसको सुपरसीड नहीं किया गया है। सड़क वहां नहीं हैं, अस्पताल में दवा वहां नहीं है, कोई पुल अगर टूट जाय तो ५ साल में जाकर बनेगा। ट्यूबवैल्स सब से कम हैं वहां, इंडस्ट्रीज तो हैं ही नहीं। अगर आप देहात में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शहर में कर दीजिये।

इर्रीगेशन मिनिस्टर से किसी टयूबवेल का लगवा सकना तो दूर रहा मुझे चार साल हो गये, एक चार इंच का कुलाबा भी नहीं लगवा पाया हूं। उनके यहां कोई एक नौटियाल साहब हैं। सुना है वही सब काम करते हैं। वे कुछ लेते भी हैं। मालूम नहीं मिनिस्टर साहब का भी उसमें हिस्सा है या नहीं। कुछ कहते हैं तो मिनिस्टर साहब सुनते नहीं है। मालूम नहीं होता कि उनके काम करने का ढंग क्या है। मेरे खयाल में मिनिस्टर नौटियाल साहब की मारफत रिश्वत खाते हैं अगर शान्ति प्रपन्न जी उनके साथ मिनिस्ट्री में न होते तो इन मिनिस्टर साहब से सब मेंम्बर लोग चिपट जाते, कि यह गलती है, वह गलती है।

अब एटा वाले मामले के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। सरकार की तरफ से कुछ ब्रेवरी की पेंशन दी जाती हैं जो डकैतों के मुकाबले में लोग मारे जाते हैं उन को आप जो एक्सट्रा आर्डिनरी पेंशन देते हैं उससे उनके वारिसान को कुछ सकून तो होता है लेकिन गांव प्रधान या जो व्यक्ति डाकुओं को मारें उनको भी हौंसला बढ़ाने और जान को खतरे में डालने के लिये कुछ बहादुरी के वास्ते पेन्शन देना चाहिये ताकि लोगों का हौंसला बढ़े। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यान दिया जाय।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन ६६–६७ के बजट को हमने और माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किया, उसको पढ़ा और सुना इस में कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया है और इसी आधार पर यह कृषि वर्ष कहा जा सकता है लेकिन कृषि वर्ष मानने में जो कमी है वह यह है कि वास्तव में जो कृषि करते हैं उनके सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और कृषि पर ही बल दिया गया है। कृषि उत्पादन के संबंध में १५ वर्ष में जो ३ योजनायें समाप्त हुई हैं, उनमें जो नीतियां अपनाई गई थीं उनके खिलाफ अब ऐसा मालूम होता है कि सरकार, अपनी पिछली नीतियों को बदलकर अब एक सही नीति पर आई है और अब वह सर्वप्रथम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रायरटी कृषि को ही देना चाहते हैं। वह आज १५ साल बाद सही रास्ते पर आये हैं। हमारा आरोप है कि १५ वर्ष तक अपनाई गई गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप मुखमरी, परेशानी और बेरोजगारी बढ़ी है और इन गलत नीतियों की जिम्मेदारी इस कांग्रेस सरकार पर ही आयद होती है। इस कृषकवर्ग का बजट तो कहा गया है लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें कृषकों के सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी ओर इस संस्था की पुरानी सहानुभूति है जिस के आधार पर कृषकों ने जो शक्ति कांग्रेस सरकार को दी है और जिसके बल पर आपने अंग्रेजों को यहां से भगाया और स्वतन्त्रता प्राप्त की। इस संबंध में अंग्रेजों के काल में जो कांग्रेस का विचार था और उस समय के नेताओं की जो नीति थी वह यही थी कि किसानों की हालत सुधारी जाय, लगान में कमी कराई जाय और इसी तरह से उस समय प्रस्ताव पास किये गये। सन् ३१ में कराची में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था जिस में कहा गया था कि "कृषकों के द्वारा जो लगान या मालगुजारी दी जाती है उसमें काफी कमी की जाय और जिन आराजियों को लाभ न होता हो उनका लगान आवश्यक समय तक के लिये माफी किया जाय। इस माफी के कारण जहां आवश्यकता हो छोटे जमीदारों के साथ रियायत की जाय। "उस के बाद कृषि सुधार कमेटी ने भी इस चीज को दोहराया और कहा कि लगान का उचित सिद्धान्त यह होना चाहिये कि लगान के रूप में काश्तकार को केवल उस रकम का एक अंश देना पड़े जो अपने निजी पारिवारिक खर्चों तथा उत्पादन की लागत का खर्च पूरा करने के बाद उसके पास बच रहे। यह आवश्यक है कि लगान के मौजूदा बोझ को घटाया जाय और अलाभकर आराजियों को लगान से बरी कर दिया जाय। इस तरह के प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने पास किये थे और उन नेताओं का विचार था कि इस तरह की सहूलियतें छोटे किसानों को दी जायं। मैं चाहता हूं कि इन के मौजूदा लगान में कमी की जाय। लेकिन देखा जा रहा है कि इस तरफ सरकार ने अपना कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे तो खुशी जब होती और इस बजट का आदर होता जब कि कृषकों की हालत सुधारने के लिये कोई एक नया कदम उठाया गया होता। तभी मैं इसको कृषि का युग समझता। मान्यवर, आवयकता इस बात की है और मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में अगर देखा जाय कि कृषकों पर जो २५ प्रतिशत सर्चार्ज लगाया गया है अगर आप वास्तव में प्रजातंत्रीय ढंग से चीजों पर चलते हैं तो जितने भी माननीय सदस्यों ने सदन में भाषण दिये उनमें से अधिकांश का यह मत है, अगर खुले आम छूट दी जाय, तो सबका यह मत है कि २५ प्रतिशत जो सर्चार्ज लगाया गया है, उसे शीघ्र समाप्त किया जाय। मैं आपके द्वारा, श्रीमन, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि....

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब मैं बोल रहा था और बोलते-बोलते समय समाप्त हो गया था तो क्या उस समय मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया था? श्रीमन्, इससे एक कन्फ्यूजन मेरे और अध्यक्ष जी के बीच में उत्पन्न हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। इस संबंध में मुझसे बात कर लीजियेगा। हाउस में यह सवाल नहीं उठेगा। आप कृपया बात कर लीजियेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज प्रातः माननीय सदस्य ने जब सदन का त्याग किया तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि कितनी देर के लिये वे सदन छोड़ रहे हैं। यदि उन्होंने पूरे दिन के लिये सदन का त्याग किया था तो माननीय सदस्य अब क्यों यहां पर बैठे हुए हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक निकाले नहीं जायेंगे, तब तक बैठे सकते हैं।

श्री रामअधार कनौजिया—

मान्यवर, शहर में जिसकी आमदनी ३,६०० रु० से अधिक है, उसके ऊपर इन्कम टैक्स पड़ता है। तो उसी प्रकार से किसानों पर भी मालगुजारी निर्धारित करें जिनकी आमदनी अपने परिवार के खर्चे को निकालकर, ३,६०० रु० आये उसे पर ही लगान निर्धारित किया जाय। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

उपाध्यक्ष महोदय, कई रोज से यहां पर बजट के ऊपर साधारण चर्चा चल रही है और बहुत से माननीय सदस्यगण ने काफी दिलचस्पी लेकर बहुत से विषयों पर रोशनी डाली है। मैं इसके लिये उनकी आभारी हूं। इन चार दिनों में अनेक विषयों के बारे में कहा गया है। इन समालोचनाओं में हर बार ग्रुपपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, इन्एफिशियेन्सी, करप्शन या ऐसी सारी बातें होतीं रहती है। अभी थोड़े दिन पहले जब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में, मैंने उत्तर दिया था, उस समय मैंने काफी आंकड़ों के आधार पर अपनी बातों को सदन में रखा था। फिर उनको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझती हूं। लेकिन मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाउंगी। इस वर्ष जो हमने आपके सामने बजट रखा है उसमें हमने प्रयास किया है कि जो बजट हो वह एक बैलेन्स्ड बजट हो। जो हमारा बजट सामने आये वह बैलेन्स्ड बजट हो। हर दफा यह शिकायत की जाती थी कि डेफिसिट बजट लाते हैं और उस के कारण और भी इन-फ्लैशन बढ़ता है, दिक्कतें बढ़ती हैं। इस समय हम लोगों ने प्रयास किया कि डेफिसिट बजट न हो, एक बैलेन्सड बजट हो। आप चाहे जितनी समालोचना करें लेकिन एक शब्द कम से कम यह कहा जा सकता था कि इस दफा का बजट बैलेन्स्ड है। इस का भी हमने प्रयास किया कि कोई नये टैक्स न लगायें जांय और ऐसा इस बजट में आप पायेंगे भी। * यह अंतिम साल है पांचवे साल का और इस में देखना है कि पांचवे साल में हम कुछ कर पाये या नहीं। अचीवमेंट को अगर देखें तो सारी समालोचना के बावजूद भी अगर अंतिम साल में जो हम खड़े होते हैं, तो मालूम होता है कि कुछ न कुछ काम हमने किया है। अक्सर ऐसा होता था कि हम खर्च भी अपना पूरा नहीं कर पाते थे। मगर इस समय न केवल खर्च किया बल्कि काम भी बहुत आगे बढ़ा है। पंचवर्षीय योजना का जो ५०२ करोड़ का टार्गेट था उस के बजाय ५६० करोड़ का काम हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है।

दूसरी शिकायत यह रही कि खर्चे में कमी की जाय। न केवल हमने इस साल बजट बैलेंस्ड किया है बल्कि ७ करोड़ की बचत करवाने का प्रयास किया है। जिस के लिये सारे वक्त हम लोग यहां निन्दा सुनते हैं वह एरियर्स की वसूली, अक्सर कहा जाता है कि इतने एरियर्स हैं कि जिनको वसूल नहीं करते और सरकार की मित्रता, रिश्ता, नाता बड़े बड़े लोगों से लगा हुआ है। तो इस साल प्रयास करके पिछले साल से १ करोड़ रु० ज्यादा एरियर्स का वसूल हुआ है। तो यह आसान काम नहीं होता है। जब किसी से कर्जे की वसूली लेनी होती है तब इधर उधर, दोनों तरफ के लोग आते हैं और कहते हैं कि इस को जरा सा समय और दे दो, इन्स्टालमेंट बांध दो। तो दया के कारण कुछ न कुछ मोहलत लेनी पड़ती है, जिसके कारण वसूली में कुछ देरी होती है। कोई हमारी जान पहचान का आ गया या ठाकुर साहब की जान पहचान का आ गया और कहने लगा कि इंस्टालमेंट बांध दो तो फिर कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इसलिये वसूली में कुछ दिक्कतें पड़ती है। मगर इस के बावजूद भी १ करोड़ रु० ज्यादा की वसूली हुई। चाहे आप कितनी ही आलोचना सरकार की करें, कहें कि गवर्नमेंट नालायक है, कुछ काम नहीं करती और जो भी विशेषण लगाना चाहें, मगर जो एक झलक दिखाई देती है, उसको तो कम से कम एडमिट करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में डिटेल में बाद में जाऊंगी, मैं सोच रही थी कि आज क्या कहूं। मुझे यह ख्याल हुआ कि मुल्क आज एक कठिन समय से गुजर रहा है, देश आजाद होने के बाद देश को बनाने का एक महान प्रयास चल रहा है, देश को नये ढांचे में ढालने का प्रयास चल रहा है। प्रजातन्त्र हमने कायम किया है, हमने हर बालिग को मताधिकार दिया है। कोई समझ सकता है कि इस का कुछ महत्व नहीं है, मगर यह एक बड़ी रिवोल्यूशनरी चीज है जो घास काटने वाली स्त्री है जिस को इसकी अहमियत मालूम हीं है, उसको भी मत देने का अधिकार मिला हुआ है। एक ब्राड बेस्ड डेमोक्रेसी को कायम करना और चलाना कोई आसान बात नहीं है। डेमोक्रेसी के प्रेशर्स को आप सब समझते हैं और उस के प्रेशेर्स के कारण कुछ न कुछ असर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। हम लोग यह भी प्रयास कर रहें हैं कि इकोनोमिक स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन लायें। तो बड़ी भारी ट्रांजीशन की स्टेज है। एक फ्लश के अन्दर से हम लोग गुजर रहें हैं उस समय किस तरीके स देश को आगे बढ़ायें इस का जिम्मेदारी सरकार की तो है, लेकिन अपोजीशन वालों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है क्योंकि देश हम सब का है। इस समय किस चीज की कमी है? प्रयास हम लोग कर रहें हैं, मगर कोई चीज की कमी जरूर है जिसकी झलक सारे वक्त दिखाई देती है। मेरी राय में जो झलक दिखाई देती है वह है क्राइसिस आफ कांफीडेंस। कानफीडेंस के बल पर मुश्किल के समय भी देश आगे खिच जाता है। लेकिन अगर कनफीडेंस न रहे तो पैर लड़खड़ाता है। तो जो सही काम होता है, उस तरफ कदम आगे नहीं बढ़ता। प्रान्त में, देश में रीजनलिज्म का झंडा बुलन्द है, लिंगुइज्म का झंडा बुलन्द है और प्रदेश अपने भिन्न भिन्न हितों की बात करते हैं। यहां रोजाना लड़कों के झगड़े दिखाई देते हैं। यह सब क्राइसिस आफ कांफिडेंस की वजह से है। पढाने वालों को लड़कों को संभालने का कांफिडेंस हो और पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों पर कांफिडेंस हो। सरकारी कर्मचारी काले बिल्ले लगा रहें हैं और भाषण कर रहें हैं। हम जो उनके हित के लिये कर रहें हैं उसे वह नहीं समझ रहें हैं। लोग काम करते करते मर जाते हैं, पब्लिक के लिये जो काम किया जाता है लोगों को उस पर कांफिडस नहीं है। सब जगह कांफिडेंस का अभाव है। नया प्रजातन्त्र बन रहा है, नई नई पार्टीज बनकर निकल रही है। जहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी होती है जो अपोजीशन पार्टीज में बैठते हैं उनका भी दोष निकालने का काम होता लेकिन कहां निकालें और कहां न निकालें यह भी सवाल है। इधर की भी गलतियां हैं। एक वातावरण कमजोरी का है। नई डेमोक्रेसी में जिस चीज को हम तैयार कर रहें हैं, जिस चीज को बनाना चाहते हैं उससे बनाने का जो वातावरण है उसका अभाव है।

रूस के ३० साल ले लीजिये। क्रान्ति के बाद पहले टोटेलेटीरियन गवर्नमेंट थी। अमेरिका में भी अर्ली डेज में झगड़े थे। जो जैसा चाहे एक्सप्लायट करे। वहां कोई मारेल्स नहीं थे। हर एक अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था। हम भी देश को बनाना चाहते हैं लेकिन कांफिडेंस कैसे पैदा हो। मुकाबला कीजिये इसका। जब हम संग्राम में थे, उस समय दिक्कतें तो थीं लेकिन एक कांफिडेंस था। हम कितने ही कमजोर थे लेकिन दिल के अन्दर शक्ति थी। वह शक्ति कैसे आई? डेडीकेटेड लीडरशिप से आई। उस पर भरोसा था। नोवाखाली जब हम गये वहां कत्ल हो रहे थे, लोग बरबाद हो रहे थे, जो आदमी जाते थे उनके सर उतार लिये जाते थे लेकिन गांधीजी ने कहा जाओ तो चले गये और दिल में भरोसा था कि गांधीजी हमारे पीछे हैं। हमको कोई छू नहीं सकता। तो एक साइकालोजिकल एटमासफियर था। इस तरह की डेडीकेटेड लीडरशिप हो तो हिन्दुस्तान आगे बढ़ सकता है। हमारे मन में जो भावना है उसे सबके सामने रखनी चाहिये कैसे इसको किया जाय। लेकिन सब लोग इसमें कसूरवार हैं, दूसरे भी कसूरवार हैं। हम लोग ईमानदार चीज नहीं परखते। होता यह है कि अपनी गलत बात हो तो सही है और दूसरे की सही बात भी गलत है। नई डेमोक्रेसी है, नई डेमोक्रेटिक परम्परायें हम बनाना चाहते हैं, स्वस्थ डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

गलतियों में ही हमको शामिल किया जायगा या अन्य बातों में भी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

समस्या सही हो या गलत हो एक मसला छिड़ गया है। कितने आदमी हैं जो उसे सही कहने के लिये तैयार हैं, अप्रिय सत्य बोलने की हिम्मत कितने लोग करते हैं। लोग चीप पापलेरिटी गेन करना चाहते हैं इस लिये अप्रिय सत्य नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) गवर्नमेंट तो नालायक है, उसको मैं जीरो से शुरू कर रही हूं। मगर मैं यह दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से वातावरण बनता है। कौन लोग अप्रिय सत्य बोलने के लिये तैयार हैं। कोई ईश्यू ले लीजिये तो मालूम हो जायगा।

फिर एक बात है जो मुझे बहुत तकलीफ देती है। चार पांच साल से मैं यहां पर हूं। यह बड़े खेद की बात है कि हम लोग जो जिलों में पोलिटिशियन्स हैं उनका इन्वाल्वमेंट विद क्राइस है। इस सेंस में कि जो हमारा सपोर्टर है। (व्यवधान) मैं अपने को सब से पहले कहती हूं और मैं हूं क्योंकि मैं आप सब लोगों की प्रतिनिधि हूं। हमारा जो सपोर्टर है अगर वह कोई गलती कर देता है तो हम लोगों की यह कोशिश होती है कि उसको किसी न किसी तरह से बचाया जाय। यह सोचने की बात है। इसीलिये हम लोगों ने आज देश में ऐसा वातावरण बना दिया है। ऐसा वातावरण हम लोगों ने सारे देश में बना रखा है जिससे यह एक स्टेट जो बन रही है वह बनन में कोई शक्ति नहीं पाती। इसलिये छोटी मोटी समालोचनायें तो होती रहती हैं वह करें। लेकिन जो सब से बड़ी बीमारी है उस को देखें और उसको सुधारें। हम कई इलेक्शन लड़ चुके हैं।

अब मैं कांग्रेस पार्टी के लिये कहूंगी कि अब तक हम अनुशासन में बचे हुये थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस ताकत से गांधी जी ने इसको बनाया है उसको हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन अब हम लोगों को अपने मेरिट्स पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिये किसी देश को यदि बनाना है तो उसका कैसा वातावरण बनाना है और क्या मर्यादायें रखनी हैं इसके ऊपर सब लोगों को सोच विचार करना होगा। अभी अखबारों में पढ़ने को मिला कि एक दूसरे प्रांत में क्या तमाशा हो रहा है, यहां तो होता ही रहता है। मैं कहूंगी कि यह सब चीजें नहीं होनी चाहिये। इससे कोई बचता नहीं है। अगर एक जगह पर होता है तो सब जगह हो सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

डर लगता है क्योंकि आप कह देती हैं कि हम बंगालिन हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आज तो मुझे बड़ी शर्म है। यह कैसे किया जाय केवल देश के लिये मैं कह रही हूं। कुछ दिन की बात है। इसके बाद तो इलेक्शन होंगे और न जाने कौन आयेगा और कौन नहीं आयेगा। यह एक ऐसा समय है जब हम असेस करें कि हमें क्या मर्यादायें डालनी हैं, क्या परम्परायें डालनी हैं, यह सोचने विचारने का समय है। इसलिये थोड़ी सी भावना मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। जब आजादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी तो उस समय देश की हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन देश में एक कांफीडेंस था। लेकिन आज वह कांफीडेंस नहीं है। कौन इसे हटा रहा है? हम लोग ही इसको शेक कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सभी बुराई ही बुराई है। यह ठीक नहीं है। जब मिस मेयो हमारे देश में आई थीं तो लिख कर गई कि हिन्दुस्तान जो बुराई ही बुराई है तो इस पर उनको ड्रेन इंसपेक्टर की उपाधि मिली थी। ड्रेन इंसपेक्टर तो गन्दगी ही गन्दगी देखेगा। हम लोगों का ऐसा एटीट्यूड होना चाहिये कि वही चीज को आगे बढ़ाये और गलत चीज को खत्म करेंगे। हम देश को आगे बढ़ाने के लिये बैठे हैं। इसलिये सही चीजों को आगे बढ़ाये। सब से पहले हमारे में यह प्राइड होना चाहिये कि यह हमारा देश है यह आउटलुक ले कर चले तो नया वातावरण पैदा हो सकता है। एक बहुत पुरानी लकड़ी है जिससे मुझे बार-बार मारा जाता है कि मिसेज कृपालानी बिलकुल ब्यूरोक्रेसी के पंजे में प्रिजनर है, जैसे नकेल खींच कर ब्यूरोक्रेसी चलाती है वैसे चलती है। वैसे केवल तनख्वाह बढ़ाने के वास्ते कुछ

भाषण हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन क्या है। ब्यूरोक्रेसी कोई हव्वा तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये तनख्वाह पाये हुये हैं लोगों को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो चुने लोग आते हैं, जो मंत्रिमंडल चलाते हैं, वह राजनीति के लोग हैं, वह नीति का निर्धारण करते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी अपने ढंग से, सोशलिस्ट पार्टी अपने ढंग से और कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से चलायेगी। हम लोग नीति निर्धारण कर देते हैं, और डाइरेक्शन देते हैं। उसके अन्दर ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है। जैसे पब्लिक से सलाह लेकर काम करना है वैसे ही दूसरी तरफ मुलाजिम हैं, जिनको सरकार का काम चलाने का एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिक्यूटिव फंकशंस उन पर हैं। उनसे भी सलाह लेना है क्योंकि हमारा आयडियलिस्टक आउटलुक हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का एक्सपीरियंस हैं। दोनों तरफ से सलाह ले कर काम करना है।

(इस समय ३ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुये।)

दुबे जी ने मेरे एक लफ्ज को टिवस्ट कर दिया। लाजीक में मैंने पढ़ा है कि फैलेशस आर्गूमेंट को कैसे चलाया जाता है। किसी व्यक्ति के "मुंह में कोई लफ्ज डाल दे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ब्योरेक्रेसी रिजेंट कर रही है। मैंने यह कहा था कि उन लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है। जब एक तरफ पब्लिक और दूसरी तरफ सरकार के लोगों का कान्फ्राटेशन होता है तो दूसरी तरफ का वर्जन आता है। हो सकता है कि दोनों तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो या दोनों तरफ से कुछ अंन्डरस्टेटमेंट हो। दोनों के बीच में हम लोगों को फैसला करना पड़ता है कि किस रास्ते पर चलें। जब पुलिस एक जगह पर गयी और मार खाई तो वह अपना वर्जन जरूर देगी। यह भी सोचना चाहिये हमारी नीतियों को इम्पलीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। पुलिस अगर कहीं जायेगी और उस पर मार पड़ेगी तो पुलिस की अपनी साइड है। उसको भी हक है यह कहने का कि यह हमने किया। उनको अनहर्ड कंडेम कर दें? अगर सुन कर फैसला करें तो हम उसके पंजे में हैं। यह सही बात नहीं है। आज के एडमिनिस्ट्रेशन का केवल पुलिस फंक्शन नहीं है। इसका बड़ा भारी डेवलपमेंट फंक्शन है। पुलिस डिपार्टमेंट ग्राम सुधार के काम को आगे बढ़ा रहा है। इतना जबरदस्त डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आज ब्युरोक्रेसी के लोगों को कभी कभी पब्लिक को साथ ले कर काम चलाना पड़ता है। डी० पी० ओ० जो काम करता है, बी० डी० ओ० जो काम करता है, उनको पीपुल का लीडर बन कर काम करना पड़ता है। मुश्किल रोल प्ले करना पड़ता है। सारे वक्त खाली गाली खाते है। लेकिन केवल गाली दी जाय तो जैसे अंग्रेजी की कहावत है Spare the rod and spoil the child उसके उल्टा भी है If you are beating the child all the time you would not build the child.

तो डेमोक्रेसी में इन्हें भी कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कहने का हक होता है, क्यों वह रिस्क भी उठाते है। पीटे जाते है तो बोलने का भी उन्हें हक है। उसके बाद उनकी बात सुनने का भी हमको हक है और हमें एड वाइस देना भी उनका हक है। और कभी कभी हम भी उन्हें एंडवाइस देते है। यदि यह बात बुनियादी तौर पर समझ ली जाए तो ऐसी बातों के लिये हमें गालियां ही न दी जाएं भ्रम दूर हो जाए और सारी बात साफ हो जाए।

मैं गांव से गल्ला इकठा करने के बारे में सोच रही थी, कम्पलसरी लेवी की बात सरकार सोच रही थी। इस पर हमें उनकी भी राय लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको इन सारी बातों का समय समय पर अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं उन अफसरों से पूछ रही थी, जिन्होंने सन् ४८ में किया था, कि उन्होंने उस समय कैसे किया था। हमारा फर्ज है कि हम उनकी राय सुनें और उनके एक्पीरियंस का फायदा उठाकर अच्छा से अच्छा काम करके दिखायें। लीडर आफ अपोजिशन न थोड़ी योजना की बात कही। मैं उनसे हिन्दी के शब्द सीखती हूं। थोथे लीडर आफ दी आपोजीशन की थोथी बात सुनी। उन्हों कहा एचीवमट कुछ नहीं हुआ है। मैंने एचीवमेंटस् की फेहरिस्त पहले मर्तबा भी पढ़ी है। उसकी लिस्ट में दुबारा पढ़ दूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

रहने दीजिए, उसे पढ़ने के लिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री ने केन्द्रीय गवनमेंट पर कोई जोर नहीं डाला है, इसलिये यहां कि लिये बहुत कम धन एलाट होता है। हमने तो किया ही, मैं कहती हूं कि उत्तर प्रदेश के ४३१ मेम्बर भी जोर डालते तो कोटा एलोकेशन और बढ़ता तो बहुत अच्छा होता। अब पहले की स्थिति नहीं है, आप पहले के बनिस्बत बढ़ रहा है। इससे आप देखें फर्स्ट प्लान में पर कैपिटा सेन्ट्रल एसिस्टेंस १४ थी, सेकेंड प्लान में १८ और थर्ड प्लान में ४७ हो गयी। इसी तरह से आप पर कैपिटा आउट ले देखें, जो पहली प्लान में २४, दूसरी में ३४ हुई और तीसरी में बढ़ कर ६८ हो गया। इस प्रकार से वह बढ़ता ही आगे को गया। जो टोटल एलाकेशन है, उसे देखें, वह फर्स्ट प्लान में १५३ रहा, दूसरी में २३३ और तीसरी प्लान में ५६० हो गया। इसे आप जानते है और इसको देखने से यह स्पष्ट है यह ट्रेंड बढ़ता ही गया है।

इस तरह से फाइनेंन्स कमीशन से जो हमें डवोलूशन मिलता है, उसे देखें तो वह भी बढ़ता गया है, जो उसे मिलता है हमेशा उसका यदि हम मुकाबला करें तो यह मालूम होता है कि वह बढ़ा है। हमें थर्ड कमीशन में १४८ करोड़ रुपया मिला और इसमें ३७३ करोड़ मिला है। यह भी कम है। मैं यह नहीं कहता कि यह सफीसियन्ट है। यह और स्टेटों के मुकाबले कम है, लेकिन जहां न हो वहां हम आगे बढ़े है। यह जो मिला है वह बिना लड़ाई झगड़ा किये, मुकदमा सामने किये हुए, मुफ्त में नहीं मिला है। इसके लिये हमने और हमारे अधिकारियों ने बड़ा प्रयास किया है। यह एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई नहीं, उसकी एक्टिवनेस और एफीशिएन्सी है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

यह तो आप लाई है, उसमें मेहता जी है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसमें मेहता जी नहीं है, वह प्लानिंग कमीशन में है। फिर माननीय सदस्यों द्वारा इर्रीगेशन के बारे में बड़ी आलोचना की गयी। उसे भी यदि आप देखें, तो उसकी भी स्थिति सेटिसफैक्टरी है। पहली प्लान में इर्रीगेशन पोटेंशियल ९२.८४ लाख एकड़ था दूसरी में १११.९० लाख एकड़ था और १९६४–६५ में १२५.०३ लाख एकड़ हो गया। आशा है १९६५–६६ में १३१.५९ लाख एकड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से इर्रीगेशन कम्बाइन्ड्स वेनल्स पहली प्लान में २२१२३ माल थे, दूसरी में २५९१५ माल थे और १९६५–६६ तक २९४०० होंगे।

तो जिस भी क्षेत्र में आप देखें, आप देखेंगे कि उन्नति अवश्य हुई है, हम प्रोटेस कर रहे है। अब आप पावर को देखें पावर में भी डेवलपमेंट हुआ है। पावर पर पहली प्लान में २३.३१ करोड़ रुपया खर्च हुआ। दूसरी प्लान में ५६.७५ करोड़ रुपया खर्च हुआ और तीसरी प्लान में १०७.६० रु० करोड़ के एलाटमेंट से बढ़कर १५० करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इससे यह साफ है कि यह सारी चीज हुई है, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते है। हमारा पावर की कैपेसिटी फर्स्ट प्लान में २१५ मेगावट थी, जो सेकंड प्लान में बढ़कर २९३ मेगावाट हो गयी और थर्ड प्लान में ९१० हो गयी। इसी तरह से फर्स्ट प्लान में नं० आफ लोकल्टीज जो है वह २३ है सेकेंड में २११ हो गयी और थर्ड प्लान में बढ़कर ५००० हो गयी। इन चीजों के होने के बावजूद इतनी प्रोग्रेस होने के बाद हम इसकी तरफ से कैसे इनको भुला सकते है हमें मानना ही चाहिये। पर कैपिटा इन्कम का भी यहां पर बहुत मजाक उड़ाया गया सन् १९६४–६५ के स्टेट इन्कम इस्टीमेट के अनुसार यह ८.६ परसेन्ट बढ़ी है। इसी तरह से स्टेट की इन्कम जो १९६०–६१ में १८३० करोड़ थी वह अब १९६४–६५ में बढ़कर करीब २०५५ करोड़ हो गयी है।

इसी तरह से हमारी एग्रीकल्चर की भी हालत पिछले साल काफी सुधरी है। मैं यह नहीं कहती यह सब हमारे प्रयत्नों से सिर्फ हुआ। इसमें ज्यादातर क्रेडिट ईश्वर का है, जो मौसम वगैरह ठीक रहा। लेकिन इस साल बहुत ज्यादा परेशानी है फर्टीलाइजर हमें नहीं मिला। जितनी जरूरत हमें थी उतना नहीं मिला। इसके बावजूद प्रोडक्शन बढ़ता चला गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसके बावजूद भी प्रोडक्शन बढ़ा। नवलकिशोर जी ने मजाक उड़ाया, उनसे बाद में कहूंगी हमारे और वित्त मंत्री जी के आंकड़ों को समझने में उनको कुछ गलती हो गयी, वित्तमंत्री जी ने ट्यूबवेल्स से सिंचाई के आंकड़े दिये थे और मैंने कैनाल से। यही कन्फिलक्ट था दूसरा नहीं है।

फिर एफीशियेंसी की बात है। उसको जांचने का तरीका क्या है। टापहैवी एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन इंएफीशियेंसी और पता नहीं क्या-क्या कहा गया। मैं पर कैपिटा एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च ऐज कम्पेयर्ड टु अदर स्टेट्स जिसके लिये नेकराम जी कह रहे थे वह बताना चाहती हूं। महाराष्ट्र में वह ६.५, मद्रास में ५.२ बंगाल में ५.४ आन्ध्र प्रदेश में ४.६ और यू०पी० में ४। सबसे कम।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

ऐचीवमेंट्स भी तो बताइये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वह भी फिगर्स मेरे पास हैं, सेविंग्ज के हैं, मैं सब बता रही हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जरा गुजरात के भी फिगर्स दे दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। वह छोटा सा सूबा है, हमारे दो चार जिलों के बराबर हैं। बड़ों बड़ों की मैंने बता दी जो हमारे बराबर थे या हमसे कुछ छोटे थे। तो करप्शन तो हम में से हर एक आदमी में है। अब है तो जायें किधर ? यह मैं उसी स्पिरिट से बोल रही हूं जिस स्पिरिट से मैंने पहले कहा था। पूरा समाज करप्ट तो ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोग सफेदचादर पहनकर आ जायं वह तो किसी प्रकार हो नहीं सकता है। हां, उसको कंट्रोल करने के लिये क्या कुछ किया गया, यह देखने की बात है। हमने एक विजिलेंस कमीशन कायम किया है और उसकी रिपोर्ट आ गयी है और वह उसी सेशन में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े आफिसर्स की जो पेटीशंस डिपार्टमेंट में आती हैं उसकी फिगर्स मैं आपको सुनाती हूं :— जनवरी सन् ६५ में ५३ कम्प्लेन्ट्स थीं, फरवरी में ४९ थीं, मार्च में ५१, अप्रैल में १७ मई में १४ जून में १२, जुलाई में १०, अगस्त में १३, सितम्बर, में ९.५, अक्टूबर में १९, नवम्बर में ११ और दिसम्बर में ४। तो बहुत बड़ी चीज है यह लेकिन जहां कुछ हो जाय वहां तो क्रेडिट गवर्नमेंट को मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट ने जो चौकन्नापन रखा है उसको ऐडमिट नहीं किया जायगा लेकिन खराबी है तो गवर्नमेंट को कहना चाहिये वह तो ठीक है ही। लेकिन मैं यह दिखाना चाहती हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ किया भी है।

अब जो एक मोस्ट अनपापुलर डिपार्टमेंट है पुलिस उसके संबंध में दो चार बातें कहना चाहती हूं। पुलिस में खराबी है। ठीक है। एक बुरी परम्परा पड़ी हुई थी। अब उसको बिलकुल स्वच्छा और सरविसिंग एजेंसी के रूप में लाने में समय लगता है। स्वच्छ

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

वातावरण बनाने में काफी समय लगता है। मैं ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं जानती लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री को देखती हूं तो उसमें राबर्ट फील के समय से वह परम्परा बढ़ी और वह सर्विसिंग एजेंसी बनी और डिमोक्रेटिक परम्परा की ओर धीरे धीरे बढ़ी। इसी तरह से मैं यहां भी कहना चाहती हूं कि जो नये रेक्रूट आये हैं उनके आउटलुक में परिवर्तन हुआ है। जहां गलती होती है वहां सस्पेंड करना, उनको जेल में डालना उनपर मुकदमा चलाना लेकिन बार-बार जो विरोधीदल के नेता जी कह देते हैं वह क्लेशपूर्ण है कि सुचेता कृपालानी उनको आउटराइट सपोर्ट करती हैं। जब वह अच्छा काम करते हैं तब भी उनकी तारीफ न करें तब काम नहीं चल सकता। जब कुम्भ मेले में वी०आई० पीज० को बचाने के लिये वह डंडा खाते हैं तब भी उनकी तारीख न की जाय तो वह अनुचित होगा। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। हमारे एक कांस्टेबिल ने जो कुम्भ मेले में ड्यूटी पर था और ट्राफिक कंट्रोल कर रहा था वह थोड़ा गलती कर रहा था। कोई आदमी दूसरी तरफ से आ रहा था तो उसने उससे कहा कि यह आदमी गलत तरीके से जा रहा है। उस सिपाही ने कहा कि मैं यहां पर १६ घंटे से खड़ा हूं इस तरह से हमारे ६–७ हजार सिपाही दिन रात खड़े रहकर अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया है। इनमें हमारे दो सिपाहियों का हार्ट फेल होकर मृत्यु भी हो गया है लेकिन किसी ने उनके लिये यहां पर दो शब्द भी नही कहा है। पुलिस का कोई आदमी उनके लिये रोने को नहीं आया। कोई उनके घर के आदमी को आंसू पोछने के लिये नहीं गया। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लोगों को डिफिकल्ट काम करने पड़ते हैं। और डिफिकल्ट कंडीशन में काम करने पड़ते हैं। इसमें बहुत लोग मरते हैं और बहुत घायल होते हैं तो यह सब बातें होती हैं जो देखने की हैं। पुलिस का एक पुराना दृष्टिकोण है, जिसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ। उसी की झलक कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। जितना हम चाहते हैं अभी तक उतनी प्रगति नहीं हुई है। इसी वजह से कहीं कहीं पर सिचवेशन को एक्सप्लायट किया जाता है। पुलिस ने बहुत अवसरों पर बहुत अच्छी सर्विस दी है। टीचर्स की स्ट्राइक के वक्त में इम्तिहान का चलाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हमने उनकी मदद से उस काम को अच्छी तरह से चलाया। लड़ाई के वक्त में पुलिस ने देश की बहुत अच्छी सेवा की है। देश के अन्दर अमन चैन को कायम रखा है। जगह जगह उसने अमन चैन रखकर प्रदेश में अच्छा काम किया है। हमारे विरोधी दल के राजा साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का पुलिस क्या पहरा दिया उधर से चीनी आ रहे थे और तिब्बती आ रहे थे। मैं राजा साहब को सारी बातें तो बतला नहीं सकती हूं लेकिन मैं उनको बताऊं कि हिन्दुस्तान में एक चीनी पकड़ा गया है और उस चीनी को पकड़ने का श्रेय सारा उत्तर प्रदेश की पुलिस को है। कुम्भ मेले की बात मैं दोबारा नहीं कहना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरी जगह से भी लोगों की चिठ्ठी आ रही है और उसमें पुलिस की तारीफ की गई।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी माल बिकता है मगर उसके लिये पुलिस क्या कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नेफा और हिन्दुस्तान के अन्दर मित्रता का सम्बन्ध है। वहां से कस्टम के लिये कुछ चीजे खुली हुई हैं, जिनके रोकने में कठिनाई कुछ होती है लेकिन फिर भी हम रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है उसके लिये कोशिश कर रहे हैं फिर भी परेशानी होती है।

यहां पर बर्डन आफ टैक्सेशन के बारे में बहुत बातें कही गई। इसको मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं परन्तु सभी प्रांतों के आंकड़े पर कैपिटा टैक्सेशन के हमारे पास है जो सन् १९६५ से ६६ के हैं। वह इस तरह से हैं:—

महाराष्ट्र २५.४, पंजाब १९.७, वैस्ट बंगाल १८.१, केराला २०.८, मद्रास २०.४, आंध्र १६.९, आसाम ९.९, गुजरात १९.१, राजस्थान १५.०० और उत्तर प्रदेश १०.५। सिवाय आसाम के और कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर उत्तर प्रदेश से कम हो। फिर यहां पर विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि बजटिंग ठीक नहीं होता है और उसमें वैरियेशन होते हैं। यह बात हो सकती है। डेवलपिंग एकानामी में एक्चुअल बजटिंग करना बड़ा मुश्किल है। उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। प्राइस फलेक्चुएट करती रहती हैं। इस बजट से इसमें कठिनाई होती है। मैं इसलिये इसको स्पीड कर रही हूं कि अगर दूसरी स्टेट से मुकाबला किया जाय तो आपको बहुत ज्यादा अन्तर नजर नहीं आयेगा। परसेंटेज आफ वैरियेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसीट्स भी आप देख लीजिये। १९६५–६६ में आंध्र में १५.२ प्लस बम्बई में माइनस ५.८, गुजरात में प्लस १३.१ मध्य प्रदेश में प्लस १०.६ महाराष्ट्र में १० मद्रास में प्लस ८, वेस्ट बंगाल में प्लस ७, राजस्थान में प्लस ७.७ और उत्तर प्रदेश में प्लस, ५। इसी तरह से एक्सपेंडिचर में और भी ज्यादा फलक्चुयेशन्स हुये हैं। आंध्र में प्लस ६.३ बम्बई में माइनस ६.६, गुजरात में प्लस ९, मध्य प्रदेश में प्लस २.३, मद्रास में प्लस ५.५ वेस्ट बंगाल में ६.६ प्लस, राजस्थान में ४ और उत्तर प्रदेश में माइनस २ तो कहने का तात्पर्य यह है प्रयास किया जाता है कि जहां तक हो सके फलक्चुयेशन्स न हों, लेकिन यह होना लाजमी है। उसे एडजस्ट किया जाता है।

मैं एक दो बातें और बजट के संबंध में कहना चाहती हूं। मैंने प्रयास किया था कि बजट में से कुछ पैसा निकाला जाय जिस का फायदा जनता को सीधे सीधे हो सके। आप जानते हैं कि प्रदेश के अस्पतालों का इंतजाम खराब है, उनमें बहुत जगह बहुत कमियां हैं। उसके लिये हम ने एक अलग रकम रखी है। और जो दो पैसे का टिकट लगाया है, उस से जो पैसा इकट्ठा होगा उस में उतना ही पैसा मिला कर, जो कि सेंटर से मिलेगा हम अस्पतालों के लिये इक्विपमेंट खरीदेंगे और मैं समझती हूं कि उससे इंम्प्रूवमेंट होगा।

अब मैं सरकारी मुलाजिमों के बारे में दो चार शब्द कहना चाहती हूं। हम सब उनसे हमदर्दी रखते हैं और इसलिये सरकार ने उन के फायदे के लिये पे रेशनलाइजेशन कमेटी भी बिठाई थी जिस ने १९६५ की महंगाई को ध्यान में रखते हुए उन के लिये अपनी सिफारिशें दी हैं और उन को हम लोग जल्दी ही देख कर फाइनलाइज कर रहे हैं। अनामेली कमेटी को हम देख रहे हैं। और उस पर निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं है। हमने अंतिम निर्णय दो दिन पहले ले लिया है और उस का जी०ओ० जल्दी ही सब जगह पहुंच जायगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूं जो कि मैंने सदन से छिपा रखी थी। हम ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और इसलिये भी कि हम को फाइनेंस कमीशन से जितना पैसा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है, ११७ की जगह ८३ या ८४ लाख ही मिला है, यह फैसला किया है कि एक हजार से ऊपर जिन की तनख्वाह है उस को हम कोई वृद्धि नहीं देंगे, उन के लिये नो अपर रिवीजन आफ सैलरी। यह ठीक है कि ऐसे लोगों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, और वे आंख लगाये बैठे थे, लेकिन मैं आशा करती हूं कि जिस मकसद से हम ने यह कठिन फैसला लिया है, उसे वह ध्यान में रख कर स्वीकार करेंगे। राजा साहब से मैं चाहती हूं कि यह वही लोग हैं, वही ब्योरो क्रेट्स हैं जिन के लिये वह कहा करते हैं कि वे सरकार पर हावी हैं। यह भी ठीक है कि उन्होंने इस को आसानी से स्वीकार कर लिया हो, लेकिन आशा है कि वे इसे मानेंगे।

एक सदस्य—

आई० ए० एस० अफसरों का किस ने बढ़ाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उस का अनुमोदन हम ने नहीं किया। वह सेंटर ने किया है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

डी०ए० देने के लिये बाहर और यहां बराबर मांग हो रही है। मैंने उन लोगों को बतलाया कि डी०ए० देने में हमें क्या दिक्कत है। रेशनलाइजेशन कमेटी ने १९६५ की महंगाई को ध्यान में रखकर ही अपनी रेकमेंडेशन दी हैं। इसके अलावा यह बात भी है कि डी० ए० जितना बढ़ाया जाय महंगाई उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं चाहती हूं कि उन को रियली कुछ मदद मिले और वह तभी होगा जब कि उन को सस्ती चीजें मिल सकेंगी। इस बारे में दूकान हम खोले हैं और हम सोच रहे हैं कि और आगे इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं जिससे सच्ची मदद मिले।

मेरे पास समय कितना है?

श्री अध्यक्ष—

आप बोलिये, टाइम का कोई प्रश्न नहीं है, आपके लिये टाइम लिमिट नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

क्योंकि आप लोग बोर हो जायेंगे। खैर, तो नवल किशोर जी और बहुतों का क्रिटिसिज्म था कि इर्रीगेशन में खर्चा बहुत हुआ है और रिजल्ट्स कुछ नहीं हैं। मैं आंकड़े दिखा रही हूं जो ऐवरेज ईल्ड इन पाउंड्स पर एकड़ है, इससे पता लगता है कि ईल्ड बढ़ा है, घटा नहीं। राइस में ४.८७ पाउन्ड से लेकर वह ६.७१ है। व्हीट में ७.२३ से ७.९२ पर एकड़ हो गया। बारले ७.७७ से ७.६५ हो गया। ज्वार ७.७३ से ५.०६ हो गया, कुछ कम है। ग्राम में थोड़ा सा बढ़ा है ५.५३ से ५.५६ हो गया। तो यह उनकी आंकड़े वाली बात थी नवल किशोर जी की।

एक बात उन्होंने कही कि कोआर्डिनेशन कम है। उन्होंने कुछ लोकनाथन कमेटी से कोट किया। सही बात है। आज हिन्दुस्तान गवर्नमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक जो बुनियादी बेफ्लिंग समस्या है वह कोआर्डिनेशन की है। वहां भी कमी है, यहां भी है। क्योंकि बड़े बड़े विराट डिपार्टमेंट्स बन गये हैं कि एक से दूसरे में कोआर्डिनेशन लाना मुश्किल है। फिर भी ऐग्रिकल्चर के लिये हमने एक कोआर्डिनेशन सबकमेटी कर दी है और उन्होंने कई फैसले बड़े अच्छे लिये हैं। टेक्निकल एजूकेशन में सारी एजूकेशन का कोआर्डिनेशन किया है और उसमें प्रगति की है। ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स में जरूरत है, यह क्रिटिसिज्म मैं मानती हूं जितना और हो सके उतना करने का प्रयास हम करते हैं।

एक महानुभाव माननीय सदस्य ने सुचेता कृपालानी के ऊपर दो-चार बातें क्रिटिसिज्म की कहीं। मोदीनगर में एक कारखाना दो दिन बन्द नहीं हुआ था लालबहादुर जी की मृत्यु पर कोई ऐक्शन ले रहा था और मैंने रोक दिया कह कर, क्योंकि मोदीनगर में कोई सुचेतानगर है। यह सुनने के बाद मैंने मोदीनगर से पूछा कि उनका कारखाना बन्द था या नहीं बन्द था और बन्द था तो किस लिये और खोला तो किस लिये? उस पर क्या ऐक्शन हुआ है, उसको पहले मैं सुन लूं और सुचेतानगर की जो बात हुई (एक आवाज—सुचेतापुरी है) जो भी हो। हमको उन्होंने एक दिन पहले लिखा था ऐसा आपके नाम से कर रहे हैं, आप आकर उद्घाटन कीजिये। मैंने कहा कि मुझे यह इस ढंग का चीप मेमोरियल चाहिये नहीं। मेरी मृत्यु के बाद अगर मैं चीफ मिनिस्टर न रहूं और फिर इस प्रकार का काम किया जाय तो मैं समझूंगी कि मेरा सच्चा आदर है। आज कोई मेरे नाम में करे तो उसका मतलब दूसरा ही होगा। तो न तो मैं उस फंक्शन में गयी और न मैंने सहमति दी लेकिन मना किया और फिर भी कोई करता है तो उसके इस काम के लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जो भी माननीय सदस्य कहते हैं तो झूठ बात कहकर किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। सदस्य यहां जिम्मेदारी की हैसियत से बैठते हैं, उनको झूठ नहीं कहना चाहिए। सुचेता कृपालानी पर चूंकि बेईमानी का इल्जाम लगाना मुश्किल है, तो थोड़ा टेढ़े तरीके से ही लांछन

लगायें। तीर तिरछा ही मारा जाय, मुमकिन है लग ही जाय। खैर वह लगा नहीं। मुझे तो मालूम भी नहीं था।

एक वंडरफुल शिकायत यह की गयी कि अब्दुल हमीद की वाइफ के साथ हमने इज्जत के साथ बर्ताव नहीं किया। एक दिन मेरे घर पर उसकी वाइफ तथा २-३ पुरुष आये थे और हमने बातचीत की। फोटों का उनको शौक था हमने फोटो भी खिचवाया। १० हजार रुपया उनको एक दिया। ५०० रुपया प्रतिवर्ष एक दिया जायेगा जो ३० साल तक मिलता रहेगा। उनके बच्चों की फ्री पढ़ाई का भी प्रबन्ध कुछ लोगों ने किया है। अगर कोई गलती हुई है तो वह अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको यह सोचना चाहिये कि खाली अब्दुल हमीद ही नहीं मरा है, और भी बहुत से लोग मरे हैं। यह ठीक है कि अब्दुल हमीद को परम वीर चक्र मिला। उसके लिये वह हमारे माथे पर हैं, जितना हो सकता है वह किया गया है। इसलिये मेम्बरों के द्वारा गलत बात कहना ठीक नहीं है। थोथी बात कहने से कोई फायदा नहीं होता।

मेरे डिस्क्रीशनरी फंड के बारे में कहा गया। डिस्क्रीशनरी फंड उन लोगों को दिया जाता है जो डिस्ट्रेस में होते है। आज मंहगाई ऐसी बढ़ी हुई है कि हजारों फैमिली डिस्ट्रेस में है। मैं ट्यूजडे और फ्राइडे को जब बैठती हूं तो आप उस दिन आकर देखिये कि किन किन लोगों को उस फंड से पैसा दिया जाता है और किस किस प्रकार के लोग आते हैं, कोई विडो आती है तो कोई बीमार आता है, कोई किसी परेशानी में आता है। बहुत से उधर के मेम्बरान भी आते है, कहते है हमारे क्षेत्र का यह दुखी आदमी है, उसको भी मैं दे देती हूं। मैं कोशिश करती हूं कि जो जरूरतमंद लोग हो उनको कुछ राहत मिले। १० हजार के करीब विद्यार्थियों को मिला है, ३२ हजार भिन्न-भिन्न इन्सीट्यूशन्स को मिला है, बीमारों को करीब २ हजार के मिला है, रिफ्यूजियों को ८ हजार मिला है, जो लोग आग वगैरह से गांव में जल जाते हैं, उनको करीब ५ हजार मिला है, कुछ गरीब परिवारों को मिला है। इसमें कोई रकम ऐसी नहीं है जो मैंने अपने किसी रिश्तेदार या नातेदार को दे दी हो या अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को दे दी हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

इसके लिये आप स्टेट रिलीफ फंड बना दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप क्या यह समझते हैं कि सुचेता कृपालानी के द्वारा वह दिया जायेगा तो गलत लोगों को मिलेगा और अगर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बटेगा तो ठीक रहेगा। फिर कोई बीमार आता है। उसे फौरन सहायता की जरूरत है। कैसे उसको तुरन्त सहायता मिल सकेगी। अभी तो हम कह देते है, इसको १५ रुपया दे दो।

मुजफ्फर हसन जी वाली जांच के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। मैं शर्मिन्दा हूं कि इसमें किन्हीं कारणों से इतना समय लग गया। मैं आशा करती हूं कि अब जल्दी ही इसकी रिपोर्ट मेरे पास आ जायेगी। लेकिन एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहती है। हर एक की बात में तो इतना वजन नहीं होता, मगर जब नेता विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उसमें वजन होता है। जे० के० टंडन को पेट्रोल पम्प देने तथा मोटर देने की बात कही गयी। मैं बताना चाहती हूं, उनके लड़के को पिट्रौल पम्प आज नहीं १२ साल पहले मिला था। अब मुजफ्फर साहब ने इन एन्टीसिपेशन आफ दिस इन्क्वायरी दे दिया यह मुझे मालूम नहीं है। और मोटर जो दी गई है, मोटर का एप्लीकेशन हमारे पास सब लोगों का साल-साल डेढ़ २ साल से पड़ा हुआ है और उसी के अनुसार जब मौका लगता है दो-दो, चार-चार, किसी को दी जाती है। जे० के० टन्डन को अप्वाइंट करने का किसी को ख्वाब में भी आइडिया नहीं था। दो जजेज को दिया गया था। बंगला में कहावत है कि "उदरपिंडी, बदर घाड़े" यानी इसका सिर, उसका पैर, उसका हाथ लगा दिया। फिएट जब दी गई तब जजेज

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

की एप्लीकेशन कन्सीडर की जा रही थी। उसको अप्वाइन्ट करने के बाद कई बात सोची गई। मगर उसको तोड़मरोड़ कर यह लगाना कि 'फेवरेबल रिपोर्ट लगाने के वास्ते पेट्रोल पम्प दिया गया। मैं इतना ही प्लीड करती हूं कि गवर्नमेन्ट इतनी नालायक है। इससे ज्यादा एड्जेक्टिव मेरे पास हिन्दी में नहीं है। मैं ज्यादा कुछ प्लीड नहीं कर सकती। दसों हमारी मिस्टेक हैं, जिन्हें हम ठीक नहीं कर सके। हमने प्रयास किये उसके लिये। मगर यह सब जो गलत बातें उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं यह बुरी चीज हैं और अशोभनीय है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो मैंने कहा था इसका तथ्य मैं रक्खूंगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि यह जो फन्ड है, जिसके लिये आज बहस भी होने वाली है, इस में दो चार बातें कहना चाहती हूं। इसमें मैं बहस पर नहीं रह सकूंगी नहीं तो मैं रहना पसन्द करती। इस फन्ड की कैसे शुरूआत हुई। 'क्लाउड आफ सस्पीशियन', हर एक को बेईमान समझ कर बात करना ठीक नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

महोदय, ये हैं पोलिटिकल रीजन्स, जिसमें बेईमानी समझी नहीं जाती।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आई चैलेन्ज एनीबाडी टू प्रूव इट.....

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कोई काम सरकार को नहीं करना चाहिये, जिससे भविष्य में सन्देह हो सके कि नेकनीयती से या बदनीयती से इस्तेमाल हुआ होगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जब चीन की लड़ाई शुरू हुई, उस समय हर एक स्टेट ने अपने आप ही पैसा या फण्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्योंकि उस समय सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इन्स्ट्रक्शन्स नहीं आये थे इसलिये चीफ मिनिस्टर डिफेन्स फन्ड से पैसा इकट्ठा करना शुरू हुआ। शुरू होने के बाद ही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इन्स्ट्रक्शन्स आये कि इसके लिये अपना फन्ड कर दिया जाय और सारा फन्ड दिल्ली भेज दिया जाय। उस समय जब इन्स्ट्रक्शन्स आयीं तो साढ़े पांच करोड़ रुपया इस फन्ड में था। डेढ़ करोड़ रुपया गुप्ता जी ने यहां रख कर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का परपज यह है कि जो सोलजर और पुलिस—पुलिस इसलिये रक्खा गया कि पुलिस भी सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स होती है। इन लोगों के हित के लिये जो एक्टीवीटीज हैं उनके काम में वह लगाया जाय। इस ट्रस्ट के गवर्नर प्रेसीडेन्ट हैं, मेम्बर्स कौन-कौन हैं वह सब आप को मालूम है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमको नहीं मालूम है वह बता दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वह सब पता चल जायेगा। इसमें एक आफिसर आफ दि स्टेट्स आफ दि ज्वाईन्ट सेक्रेटरी शैल एक्ट ऐज सेक्रेटेरी.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा कहना है कि जो मुख्य प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

अगर वे बैठ जायं तो आप बोलिये।

(श्री बैजनाथ सिंह वैद्य के कुछ कहने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय बैजनाथसिंह जी भी प्रोटेस्ट कर रहे ह ....

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का अफसर उसका सेक्रेटरी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

एप्वाइंटमेंट उनका ट्रस्ट ने किया था....

श्री अध्यक्ष—

जब मुख्य मंत्री बैठ नहीं रही हैं तो आप नहीं बोल सकते। वह नहीं ईल्ड कर रही हैं, तो आप कृपया बैठ जायं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसमें यह है कि उसके एकाउन्ट्स वर्ष में कम से कम एक बार, आवश्यक वाउचर्स के साथ, एग्जामिनर आफ लोकल फन्ड्स एकाउन्ट्स, यू० पी०, आडिट करेंगे। यह आडिट के बारे में है। जो डिसबर्समेंट होता है, मिलीटरी को जो चीज पहुंचाया जाता है, मिलीटरी परसोनेल का एप्लीकेशन्स जी० ओ० सी० यू० पी० एरिया द्वारा वैट होता है। उनका रिप्रजेंटेटिव कमेटी में बैठता है। पुलिस का भी रिप्रजेंटेटिव कमेटी में होता है। सेंट्रल गवर्नमेन्ट के नालेज में यह है। यह बात सही है कि उन लोगों ने पसन्द नहीं किया कि इस तरह से यू० पी० करे। सेंट्रल गवर्नमेन्ट का स्टेट गवर्नमेन्ट के साथ यह इन्तजाम है कि जो विडोज वगैरह को दिया जाता है उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट के पास वह अपने नेशनल डिफेंस फंड से १ लाख रुपया रखते हैं और जैसे ही खबर आती है दूसरे ही दिन हम लोग चेक भेज देते हैं। रकम भी उन्होंने बांध दी जिसे हमने कुछ बढ़ा दिया। चूंकि हम लोगों ने यह रकम रखी और ट्रस्ट फंड बना, तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा कि आयन्दा हम नेशनल डिफेंस फंड से १ लाख रुपया खर्च न करें। ट्रस्ट का पैसा बाकायदा इस्तेमाल होता है। बाकायदा उसका एकाउन्ट रखा जाता है। प्रापर प्रोसीज्योर से उसका सैंक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है, जब ट्रस्ट बन गया है, तो हम उनसे १ लाख रुपया पाते थे वह नहीं पावेंगे और वह यहां से खर्च किया जायगा। विडोज स्टूडेंट्स, वगैरह सबको इसी फंड से देना है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अध्यक्ष महोदय, मेरे चले जाने के बाद सुना है कि आपने प्रोसीडिंग्स मंगवाई और उसमें से पढ़ा था कि कल मैंने अपना भाषण समाप्त कर दिया था। वह बात गलत है। भाषण मैंने बिल्कुल खत्म नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रीसीडिंग्स देखी। उनमें यह लिखा हुआ है कि "इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।"

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

यह बिलकुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

उनके वाक्य हैं: "आपका समय समाप्त" यह इसमें लिखा है।

(वित्त-उप मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब मैंने मंत्री जी को बुला लिया है। फिर देखा जायगा।

*वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के बोल लेने के बाद कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है कि मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत पड़े। लेकिन मैं १ या २ बातों की तरफ जरूर माननीय सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा।

माननीय विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि बजट रखने के पीछे भावना यह होती है कि टैक्स लगाने के लिये गुंजाइश बनाई जाय। उनका ऐसा खयाल है। टैक्स लगाना बड़ा अप्रिय कार्य होता है। कोई जनतंत्रीय सरकार, जब तक टैक्स लगाना बहुत जरूरी न हो, अपने को अप्रिय बनाने के लिये टैक्स लगाना नहीं चाहेगी। आज के जमाने में अगर जब योजनाएं चल रही हों तथा जितने खर्च की जरूरत पड़ती है हमारे साधन उतने नहीं हैं कि उनको हम पूरा कर सकें। इसलिये जब आमदनी और खर्च में फर्क होता है, वह जरूरी हो जाता है कि उसका गैप पूरा करने के लिये बकाया की वसूली की जाय, खर्चे में कमी की जाय और यदि आवश्यकता हो, तो नये टैक्स लगाये जावें और उसके पीछे कोई दूसरी भावना नहीं है, इसलिए कि हमको प्लान के टार्गेट भी पूरे करने होते हैं, इसलिये यह ध्यान रखना होता है कि किसी भी सेवा के लिये हमने कितने धन की व्यवस्था की है और धन की कमी की वजह से हमारे प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने में हमें कोई कठिनाई तो नहीं होगी। हो सकता है सामान न मिलने के कारण, विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण, ट्रेन्ड पर्सोनेल की कमी की वजह से कोई काम पूरा न हो सके। हमारे अनुमान में और एक्चुअल में फर्क पड़ ही जाता है। उसके लिये यह कहना सही नहीं है कि यह फर्क टैक्स लगाने के लिये ही रखा जाता है। सभी दूसरी स्टेट्स में और केन्द्रीय सरकार के बजट में भी ऐसा ही होता है।

मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि तीसरी प्लान में हमारा कुल राजस्व व्यय १८७.९० करोड़ होने वाला था। इसमें से जो हमने इस योजना काल में टैक्स लगाये वे ९० करोड़ रुपये के थे, जब कि हमने सेंटर से यह जिम्मेदारी ली थी कि १०९ करोड़ रुपये के टैक्स हम लगायेंगे। इसके अलावा सेंटर की ग्रान्ट्स से हमें जो प्राप्त हुआ है वह केवल ८५.८६ करोड़ रुपया था। इस प्रकार कुल १७५.८६ करोड़ रुपया आया और खर्च हुआ १८७.९० करोड़ रुपया। इस तरह से १२.०४ करोड़ रुपये का फाजिल खर्चा हुआ जिसको हमने मौजूदा जो हमारे रिसोर्सेज थे उनसे उनको पूरा किया।

इसी तरह से माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात और कही कि यह सूबा दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर वे आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखते तो वे खुद ही मान जाते कि उनका कथन सही नहीं है, सत्य से परे है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मंत्री जी की बात सदन में अच्छी नहीं लग रही है। आपकी शान में माननीय बैजनाथ सिंह जी ने जो कुछ कहा है, उससे सब को क्षोभ है। आप उनको दंड दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप मेरे लिये छोड़ दीजिये। इस समय माननीय वित्त उप-मंत्री भाषण कर रहे हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह सारे सदन का अपमान है। मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

चाहे आप उनको क्षमा कर दें, अथवा माननीया मुख्य मंत्री उनको क्षमा कर दें, लेकिन यह मैं जानता हूं कि अगर ऐसे शब्द इधर का कोई माननीय सदस्य प्रयोग कर देता तो उसको आपने निकाल दिया होता। कई बार ऐसा हुआ है और इधर के माननीय सदस्यों को आपने निकाला है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको यह दिखलाना चाहता था कि उन के शब्द यह हैं। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने कहा कि यह आप को सम्बोधित कर के सरकारी अधिकारियों को खुश कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। फिर अन्त में माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अब अपका समय समाप्त, अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे। लेकिन बैजनाथ सिंह का कहना यह है कि यह झूठ लिखा है।.....

श्री बैजनाथ सिंह बैज—

उस समय सदन में पचासों सदस्य थे और कई माननीय मिनिस्टर भी मौजूद थे और मैंने सब के सामने दस बार इसरार किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा है, मुझे समय और दें, ५ बजे समय समाप्त हो रहा था लेकिन मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था। मेरी लास्ट स्पीच थी, समय सदन का खत्म हुआ था केवल।

श्री अध्यक्ष—

बैज जी, यह सीधा सा सवाल है कि चूंकि यह स्पष्ट नहीं लिखा था कार्यवृत्त में कि आपका समय समाप्त हो गया, इसलिये मैंने आपको बुला लिया था लेकिन उसके बाद सचिव ने मुझे बताया कि नहीं, उन का समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद फिर जो आपत्ति हुई तो मैंने कहा कि अगर आप का समय समाप्त हो चुका है.....

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह बैज—

अध्यक्ष महोदय, आप ने.....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इन्होंने सदन का.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब आप ने कहा कि हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है तब मैंने कलकी कार्यवाही मंगाई और देखा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और उस पर माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आप का समय समाप्त। वह इस कार्यवाही में भी लिखा है, अब मैं आप की बात को सही मानू या इसमें जो लिखा है उस को सही मानू ?

(श्री रामायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उमाशंकर प्रसाद—

मैं श्रीमन्, यह चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक आग्रह सुन लें....

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है वह सुन लें पहले, उसके बाद श्री रामायण राय जी बोलें। मेरा निवेदन है कि अब यह निर्णय हो गया कि आप ने कह दिया कि वह गलत कह रहे हैं और उस पर भी वह आप को इस तरह से अपशब्द कह रहे हैं तो कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं हुई और अगर इधर का कोई सदस्य इस तरह से व्यवहार करे तो क्या हो। बहुत से मौके आये हैं कि ऐसे अवसरों पर आपने हमारी तरफ के सदस्यों को नहीं बोलने दिया है, हमको भी आपने नहीं बोलने दिया तो फिर रामायण राय जी कैसे बोलेंगे....

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह बैज—

मैंने किन्हीं असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं कह रहा हूं कि इस तरह से अगर सरकारी दल के सदस्यों का व्यवहार होगा तो काम नहीं चलेगा और न सदन की मर्यादा रहेगी। आप इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री उमाशंकरप्रसाद—

माननीय बैज जी ने बात सुनी नहीं और कहना शुरू कर.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि छोटी सी बात पर एक इतनी बड़ी बात हो गई, बैज जी नाराज हो रहे हैं लेकिन उन का कहना यह था कि हमारा भाषण नहीं समाप्त हुआ था केवल समय समाप्त हुआ था, इसी पर उनका गुस्सा है। फिर भी मैं उनके लिये खेद प्रकट करती हूं और यह मामला अब समाप्त किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीया मुख्य मंत्री को खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्यों ने भी कई बार जब अपशब्दों का प्रयोग भूल से भी किया है तो सम्बन्धित सदस्य ने ही माफी मांगी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के खेद से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि जो व्यक्ति इससे सम्बन्धित है, उसकी जगह पर दूसरा आदमी माफी मांगे क्या यह उचित है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन केवल यह है कि माननीय बैजनाथ सिंह जी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे किसी भी प्रोसीडिंग्स के भाग से या उसके किसी अंश से अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं क्योंकि प्रोसीडिंग कोई ब्रह्मा का वाक्य नहीं है। जब तक उसे माननीय सदस्य न देख लें और करेक्ट न कर दें तब तक अधिकृत नहीं मानी जाती है। आपकी आज्ञा उन्हें शिरोधार्य होनी चाहिये लेकिन माननीय बैजनाथ जी ने जो बंगाल एसेम्बली वाली बात कही है, वह अत्यन्त अशोभनीय है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और जो उन्होंने कहा, उससे सब को तकलीफ हुई है, माननीय सदस्यों को तकलीफ हुयी है, माननीया सुचेता जी को हुयी है और जनता को हुयी है और मैं समझता हूं कि उन्हें सदन में खेद प्रकट करना चाहिये। इस पर मैं आप की, श्रीमन्, व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे जो विचार हैं, उन को मैंने रखा, लेकिन यह विषय इतना अप्रिय है कि इस पर अब कोई बात नहीं करनी चाहिए। जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा उन का यह कहना है कि कार्यवाही का अभिलेख गलत है तो भी जिस तरह से बैज जी ने कहा मैं समझता हूं कि वह अशोभनीय है और अनुचित है। माननीय बैजनाथ जी को इस तरह नहीं कहना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, वह केवल अशोभनीय ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे लिये यह कहना कि वह अशोभनीय है, काफी है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री बैजनाथसिंह बैज—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे और आप के बीच में कुछ गलतफहमी हो गयी थी, जिसके कारण आप को कष्ट हुआ है, मैं उस को वापिस लेता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह माफी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

सभ्य समाज में इतना कहना ही काफी है।

(कुंवर श्री पाल सिंह के खड़े होने पर)

अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं इतना ही कह रहा था कि इस बात पर माननीय वित्त मंत्री जी भी वापस ले लें।

(हंसी)

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से या दूसरी बाडीज से, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से या लाइफ इन्स्योरेंस कार्पोरेशन से जो हमने लिया है वह ५३९ करोड़ ९५ लाख रुपया है और जो कमपेंसेशन बांड्स, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट्स बांड्स, एनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट बांड्स यह सब हैं इनकी कुल लायबिलिटी.....

(व्यवधान)

तो वह जो इस तरह की लायबिलिटी है, इसमें से जो ७५ करोड़ २ लाख रुपया है यह कमपेंसेशन बांड्स वगैरह का है वह तो भूमि सुधार के सिलसिले में था और दूसरे जो मेजर्स इस सदन की आज्ञा से लिये गये, उन के लिये जिम्मेदारी आयी है उस सिलसिले में सालाना किश्तें देनी होती हैं और बराबर उस का इंतजाम होता रहता है और दिया जाता है। बाकी जो लायबिलिटी प्रावीडेंट फंड की वजह से ६२ करोड़ ३५ लाख रु० की है, उस के सिलसिले में गवर्नमेन्ट एक बैंक की तरह से काम करती है और रुपया जमा कर देती है। और जब देना होता है तो निकाल कर देती है। तो सरकार की जिम्मेदरी यह जो बाजार से कर्जा लिया जाता है या गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी संस्थाओं से कर्जा लिया जाता है वह कुल मिला कर ६२६ करोड़ ४२ लाख रु० होता है। यह जिम्मेदारी हमारी है। इस रुपये में से ४०९ करोड़ २ लाख रु० का जो सरकार ने कर्जा दे रखा है वह है जिस पर सरकार को सूद मिलता है। इसके अलावा ८८ करोड़ ४१ लाख रुपया सिंकिंग फंड और दूसरे रिजर्व फंड्स में लगा हुआ है। इसका भी सूद मिलता है। इस तरह से ५०७ करोड़ ३३ लाख रुपया ऐसा है जिस पर सूद मिलता है। वह हमारे असेट्स हैं और....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

साहू जैन को १ करोड़ कुछ लाख रुपया जो आप ने दिया है वह भी इसमें है और क्या उसका सूद मिलता है या नहीं?

श्री जयराम वर्मा--

साहू जैन को डाइरेक्ट सरकार नहीं देती है। वह फाइनेंशियल कारपोरेशन देता है।

श्री ऊदल--

यहां से भी दिया गया है। उस पर कितना सूद आप को मिलता है।

श्री जयराम वर्मा--

वह सब सूद का रुपया है, बिना सूद का कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी आप बीच में न बोलें।

श्री जयराम वर्मा--

३१ मार्च, १९६६ तक जो प्लान के ऊपर कैपिटल ऐक्सपेंडिचर हो जायगा वह ३९८ करोड़ ८ लाख रु० होगा। जितना खर्च होगा उतने असेट्स हमारे होंगे। तो ५०७ करोड़

३३ लाख रु० और संस्थाओं को कर्जा दिया गया है जिस से सूद मिलता है। इस तरह से हमारे असेट्स ९०५ करोड़ के हो जाते हैं और लायबिलिटी ६२६ करोड़ ४२ लाख रुपये की होती है। तो हम कोई दिवालिया नहीं होने जा रहे हैं। हालांकि यह स्टेट उद्योग के मामले में पिछड़ी हुई है, इस की आर्थिक स्थिति दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में खराब है लेकिन जो इस देश की विकसित स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात उनके मुकाबले में हमारी स्थिति फाइनेंशियली साउन्ड है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

अब थोड़े शब्दों में चूड़ी उद्योग के बारे में, जिस पर टैक्स लगाया गया है और जिस का जिक्र कई माननीय सदस्यों ने किया है और माननीय गोविन्द सहाय ने कुछ कहा, कहना चाहता हूं। पहले सादी चूड़ी पर ६ स ७ परसेंट टैक्स लगता था और उसको अलंकृत करने में २२ परसेंट लगता था। यह खबर सही है कि अब तक जो तरीका था वह यह था कि सिर्फ सादी चूड़ी पर, चाहे यहां बने या बाहर से आये, ७ प्रतिशत एक पदीय बिक्री-कर था। जो बाहर से लाते थे वह इम्पोर्टेड जब हो जाती थी उस पर सेल्स टैक्स लगता था। और इस प्रदेश में जो चूड़ी बनती है तो यहां के मैन्यूफैक्चरड की पहली बिक्री पर ७ परसेंट टैक्स लगता था। लेकिन यह जो व्यापारी खरीद कर चूड़ी को अलंकृत करते थे और बेचते थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अलंकृत करने में थोड़ा सा खर्च होता था लेकिन कीमत ३ गुनी हो जाती थी और उस पर कोई सेल्स टैक्स अभी तक नहीं लग रहा था। जब कमेटी नियुक्त हुई सारी स्थिति को देखने के लिये और उसने दौरा किया तो कमेटी के सामने यह सुझाव आया एक पदीय टैक्स लग रहा है उसे बहु पदीय कर दिया जाय और बजाय ७ परसेंट के ३ परसेंट बहुपदीय कर दिया जाय जो कि अलंकृत और सादी दोनों पर लग जाता है। जो छोटे छोटे बेचने वाले हैं वे भी अब उससे बच नहीं सकते थे। उन पर भी बोझ पड़ जाता है इसलिये कमेटी की राय में यह सुझाव मुनासिब मालूम पड़ा। कमेटी यह समझती थी कि जो सादी चूड़ी मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं उस पर टैक्स लगे और जो व्यापारी खर्च करके थोड़ी सी इनकी कीमत बढ़ा लेते हैं उन पर कोई टैक्स न लगे यह मुनासिब बात नहीं है। इसलिये कमेटी ने यह सिफारिश की कि अलंकृत चूड़ी और सादी पर अलग-अलग सेल्स टैक्स लगाना चाहिये। यह कमेटी की सिफारिश थी। कमेटी की सिफारिश को सरकार ने मान लिया। सरकार ने यह समझा कि यह बात सही है, दोनों जगह टैक्स लगना चाहिये। सादी और अलंकृत चूड़ी पर जो सेल्स टैक्स ७ परसेंट की दर से लग गया था, कमेटी की राय अब कुछ और हुई तो उसे मान लिया गया। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है न कोई परेशानी हो रही है क्योंकि बम्बई में चूड़ी बनती है। इसलिये कम्पीटीशन का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही सवा ५ बजे तक चलेगी।

श्री जयराम वर्मा—

गरीब लोग सादी चूड़ियां पहनते हैं और अमीर लोग अलंकृत चूड़ियां पहनते हैं इसलिये खर्चा ज्यादा अमीर लोगों पर पड़ेगा। नेकराम शर्मा जी ने कुछ आंकड़े उद्धृत किये थे और उन्होंने यह कहा था पूंजी व्यय के लिये बहुत सा रुपया ले लिया जाता है, बजट में प्राविजन हो जाता है, खर्च नहीं हो पाता है और बेकार का सूद देना पड़ता है। सन् ६१-६२ और सन् ६२-६३ के आंकड़े दिये गये और बताया कि १२० करोड़ ७३ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी और ८४.३ करोड़ रुपये बचे पर सूद बेकार देना पड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल कर्ज पर सूद लगता है। यह जरूरी नहीं है कि जितने धन की व्यवस्था बजट में की जाय वह उतना ही बना रहे, तरमीम न हो। उन्होंने ३ साल के आंकड़े दिये हैं और कहा कि १२० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से ८४.३ करोड़ रुपया खर्च हुआ। सन् ६१-६२ की उन्होंने मिसाल दी। हमारे पास जो प्राप्ति हुई वह ४१ करोड़ ७५ लाख रुपये की थी और लोन्स

[श्री जयराम वर्मा]

एन्ड एडवांसेज की रिकवरी से ४ करोड़ ४१ लाख रुपया प्राप्त हुआ। इस तरह से ४६ करोड़ १६ लाख रुपया प्राप्त हुआ और ५० करोड़ ६७ लाख रुपया खर्च हुआ यानी ४ करोड़ ५१ लाख रुपये की कमी हुई। इसी तरह सन् ६२–६३ में भी जो प्राप्ति थी १५१ करोड़ ९० लाख रुपये थी और खर्चा हुआ ५१ करोड़ ८९ लाख।

श्री अध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी, मालूम होता है कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, आलोचना करने की दिलचस्पी रहती है, लेकिन उसका जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, आलोचना की बात नहीं है बल्कि वित्त मंत्री जी को पहले बोलना चाहिये था। मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद नहीं बोलना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—

बकाया के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। खासतौर से सेल्स टैक्स के बारे में काफी कहा गया है। खयाल ऐसा है कि तस्वीर बड़ी खराब है लेकिन ऐसी नहीं है। ३१ मार्च, १९६५ तक कुल कितना टैक्स एसेस हुआ वसूल हुआ या बाकी रह गया यह देखना है। सेल्स टैक्स का कुल १९० करोड़ रुपया असेस हुआ जिसमें से १७७ करोड़ कुछ लाख रुपये की वसूली हुई और करीब १२ करोड़ ७३ लाख रुपया बकाया है। यानी ज्यादा से ज्यादा ७ प्रतिशत है और माननीय सदस्य समझते हैं कि बहुत बकाया है और गवर्नमेंट पूंजीपतियों की तरफदारी करती है और वसूल नहीं करती है। यह बकाया १९४८ से है। अगर राइट आफ हो गया होता तो शायद बकाये की रकम बहुत कम दिखाई देती। आज तक कुल २५ लाख रुपया राइट आफ हुआ होगा। अब देखा जा रहा है कि जो वसूल होने लायक नहीं है, उसको राइट आफ किया जाये। अभी हालत यह है कि व्यापारी अपने पास रुपया नहीं रख सकता है क्योंकि बकाया पर नोटिस आफ डिमांड के यदि ६ महीने बाद वह रुपया देता है तो उसको १८ प्रतिशत का सूद देना होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मालगुजारी का भी कुछ बकाया है ?

श्री अध्यक्ष—

जिसकी बात वे कह रहे हैं, कहने दीजिये, मालगुजारी बाद में देखी जायेगी।

श्री जयराम वर्मा—

जब कोई तफलीफ हो जाती है तो मालगुजारी माफ की जाती है। वह जो ड्यू है, उसमें से घाटा दिया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अक्सर माननीय सदस्य आया करते हैं कि वसूली स्टे कर दी जाय। मेरे पास भी लोग आते हैं। जब माननीय सदस्य आते हैं तो उनका कुछ खयाल करके किस्त करनी ही पड़ती है फिर जब वह बड़े-बड़े व्यापारियों को लेकर आते हैं तो क्यों कहते हैं वसूल नहीं होता जब किसान से वसूली होती है तो कहते हैं कि रोक दीजिये। फिर सदन में आकर शिकायत करते हैं कि इतना बकाया क्यों है। १–४–१९६५ को टोटल एरियर्स १२ करोड़ ७५ लाख थे। उसमें से वसूल होने वाली रकम है ३ करोड़ ९२ लाख। उसमें बहुत सी रकम अदालतों से रोक दी जाती है। २ करोड़ ७२ लाख रुपये की रकम स्टे कर दी गयी। कुछ एक महीने की मियाद होती है। इसमें से काफी रुपया ऐसा है जिसमें कि वह एक महीने के अन्दर की रकम है। कुछ रुपया ऐसा है जो वसूल होने लायक नहीं है, वह २ करोड़ २९ लाख है। जो वसूल होने लायक है वह ३ करोड़ ९२ लाख रुपया बचता है। कोई बहुत रुपया तो है नहीं।

श्री बलवानसिंह--

मालगुजारी तो ज्यादा वसूल कर लेते हैं। वह क्यों बकाया है ?

श्री जयराम वर्मा--

वसूली की कार्यवाही की गयी। यह वसूल होती है बकाया मालगुजारी की तरह से। डी० एम०, कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू को पावर्स दी गयी है और उनसे वसूल करने की ताकीद की जाती है। डिप्टी कमिश्नर को पावर दी गयी है कि रिसीवर बैठा कर वसूल करें। वह भी कार्यवाही की गयी है। अगर आदमी कम हों तो आदमी लगा कर वसूल करें। जितनी कार्यवाही हो सकती है की जा रही है। १९०-१९१ करोड़ असेस हुआ १९४८ से ३१ मार्च १९६५ तक जिसमें से लगभग १७८ करोड़ रुपया वसूल हुआ है। बाकी १३ करोड़ रुपया बकाया है। इस तरह से बकाया केवल ७ प्रतिशत आती है।

श्री झारखंडेराय--

प्रश्न यह है कि लाखों किसानों का लगान का या दूसरा बकाया वसूल हो जाता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों से उनकी बकाया बारह-बारह वर्ष से नहीं वसूल होती है। तो कौन सा लेकुना है। यह हम लोगों को हेडेक हो गया है।

श्री जयराम वर्मा--

उसमें कानूनी गुंजायश है। किसान हाई कोर्ट में पहुंच कर मालगुजारी का स्टे नहीं करवा सकता। यह जो हमारी अथारिटी है, उनके यहां पहुंचते हैं। अभी मैंने उनको पावर इसकी नहीं दी है, लेकिन बार-बार मांगी जाती है। उसके बाद वह हाई कोर्ट से जाकर स्टे आर्डर ले आते हैं क्योंकि वह वहां तक पहुंच जाते हैं वहां उनका जाना बिलकुल आसान है। तो हम क्या करें, हम मजबूर हो जाते हैं। जो हम करेंगे वह नियम के अन्तर्गत ही तो करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन हाई कोर्ट से जो आर० के० नेहरू का मामला था उस पर जो उसका निर्णय हुआ उस पर आपकी कौन सी मजबूरी आ गयी थी।

श्री अध्यक्ष--

आप आज बोल चुके है, क्या अभी आपकी तबियत नहीं भरी है ?

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा--

जो टैक्स नहीं देते हैं, जो डिफाल्टर्स है उन पर लाखों, हजारों रुपया जुर्माना भी होता है, हो चुका है न देने के बारे में। उसमें हमारी तरफ से हर प्रकार की कोशिश की जा रही है, यह नहीं है कि कोई कोशिश नहीं की जा रही हो। जो १३ करोड़ ३४ लाख का इजाफा हुआ है, आमदनी में, उसमें ८ करोड़ रुपया टैक्स का भी आया हुआ शामिल है। यह वही टैक्स है जो पिछला पड़ा हुआ था और वसूल नहीं हो रहा था। जितना माननीय सदस्य सहयोग देंगे, उतना अधिक एरियर्स वसूल होगा, उतनी अधिक हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। यदि माननीय सदस्य सहयोग अधिक से अधिक देते रहे, किसी की वसूली रोकने के लिये या समय बढ़ाने के लिये सिफारिश न लाया करें तो यह हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग होगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल हो जायगा और हमें अपने अन्य विकास कार्य के लिये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ में नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि जरा अच्छी तरह से सोच कर वह अपनी बातें कहें। ऐसी बातें न कहें, जिससे गलत प्रभाव पड़े।

(सरकारी पक्ष से मेज थपथपाई गयी)

(व्यवधान)

[श्री जयराम वर्मा]

प्रजातंत्र को चलाने के लिये, समाजवाद को चलाने के लिये इस बात की सख्त जरूरत है कि जो जनता के प्रतिनिधि है उनका विश्वास जनता के ऊपर बढ़े, उनका स्थान कुछ ऊंचा हो किन्तु यदि इस तरह के टेढ़े सीधे उन पर आरोप लगाये जायंगे तो उनकी तस्वीर ठीक नहीं बनेगी। घर की तस्वीर जब खराब होगी तो बाहर की तस्वीर भी खराब बन जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

एक चीज मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। अब आईटम नं० ११, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष निधि के बारे में चर्चा होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष निधि से रुपया निकाल कर ट्रस्ट बनाने तथा व्यय करने के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मेरा निवेदन यह है कि सदन में जो प्रस्तुत विषय है, वह उस डेढ़ करोड़ रुपये से सम्बन्ध रखता है, जो इस देश की गरीब जनता का है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं डेढ़ करोड़ रुपये की सूचना उन्हें कहां से मिल गयी?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप बैठ जाइये। मैं आपको अभी बताता हूं। माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, मुख्य सचिव....

श्री कल्पनाथसिंह--

आप मुझसे बैठ जाने के लिये कहने वाले कौन हैं, आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझ से बैठने को नहीं कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव ने सदन के उत्तरों में जो जवाब दिया है, उसमें यह लिखा हुआ है। तारखंडेराय जी का प्रश्न था।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् ६३ से सरकार इस चीज को छिपाने की बराबर कोशिश कर रही थी और जब वह रहस्य आज सदन में खुल गया है तो देखिये सरकार के छोटे-छोटे सदस्य किस प्रकार बौखला गये हैं और बार बार बाधा डाल रहे हैं कि कैसे इसका पता चल जाता है।

श्री कल्पनाथसिंह--

जिस प्रकार की शब्दावली मे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वह वापस लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं उसको वापस लेता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

ये छोटे-छोटे सदस्य शब्द क्या संसदीय हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि उन्होंने वापस ले लिया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

आप माननीय सदस्य से कहें कि वे अपने भाषण में साधारण शिष्टता का व्यवहार करें।

श्री अध्यक्ष--

उसको जरा आप सुनिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं इस परेशानी का कारण समझता हूं। यह रुपया जो था वह केन्द्रीय सरकार ने इस सरकार को सैनिक परसानेल्स को सुविधा देने की दृष्टि से दे दिया। लेकिन इस सरकार ने करोड़ों रुपया निकाल कर कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथ में दे दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार आज जो राजनीतिक पेंशन सैकड़ों लोगों को दे रही है, उसम से क्या वह उन गरीब दुधमुंहे बच्चों को जो हमारे उन सैनिकों के पुत्र हैं, दे रही है और क्या वह उनके प्रति भी अपने को उत्तरदायी नहीं समझती ? आज यह सरकार अपने को उस काम से बचा रही है। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो १० रोज बाद सरकार को छोड़ देने वाला है और उस समय जो इस प्रदेश का मुख्य मंत्री था, मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं एक व्यक्ति की हैसितसे उसको खर्च करने के लिये निकाल लेता है और वित्त मंत्री कैलाश प्रकाश जी को उसमें नामिनेट करता है। वह सवा करोड़ इनकी जेब में भी रख देने का प्रयत्न करता है। आज जो मूल प्रश्न इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है, वह यही है कि इस नामांकन में जो किया गया था क्या वह उचित था ? स्वयं चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री चन्द्रभानु गुप्त को नामिनेट करें और अपने मित्र कैलाश प्रकाश को नामिनेट करें और यही नहीं वह सब इस रुपये को अपने प्राइवेट बैंक्स में जमा करते हैं। इनको लज्जा नहीं आती इस तरह से प्राइवेट ट्रस्ट करके सरकारी रुपये का गबन करते हुए....

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या लज्जा शब्द संसदीय है।

श्री अध्यक्ष--

लज्जा कोई ऐसा शब्द नहीं है। टम्बेश्वर जी, अब आपके दो मिनट रह गये हैं। पांच मिनट में समाप्त करना है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, यह व्यक्तिवाद का ज्वलन्त प्रमाण है। किस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है, यह स्पष्ट है। यह सारा कार्य योजना बद्ध रूप में किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकारी कोष जो सुरक्षा के लिये जनता से लिया गया और उनके अधिकार में दिया गया ऐसे जो आप हर जिले में अपना ट्रस्ट कायम कर लें और सारा सरकारी धन ट्रस्ट के अधिकार में दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने एक और मौलिक तरीके से जानबूझ कर रुपये को दूसरी तरफ किया है। उस समय के मुख्य मंत्री ही उसके सेटलर हैं। उस ट्रस्ट में केवल

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

१ लाख रुपये की रकम है। बाकी डेढ़ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया ताकि मुख्य मन्त्री जी मुख्य मंत्री की हैसियत से उसमें कुछ न कर सकें और दूसरे व्यक्तियों के अधिकार में वह चला जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका आशय यह है कि जो रुपया इकट्ठा किया गया सरकार ने उसके लिये एक प्राइवेट बरसंस का ट्रस्ट बना कर उसे दे दिया ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

रक्षा कोष में ६ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उसमें ५,२६,८६,००० रुपये का एक अकाउन्ट है और १,६३,५४,११८ रुपये का एक दूसरा अकाउन्ट है। तो इस ६ करोड़ ९० लाख रुपये में से डेढ़ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध निकाल कर प्रान्तीय सरकार ने यह ट्रस्ट कोष स्थापित किया। इस कोष को व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये स्थापित किया गया। इस कोष को एक दल ने अपने गुट विशेष का स्वार्थ संचालन करने के लिये प्रयोग किया। इनमें से ५० हजार रुपया अपने एक मित्र को अनुदान दिया और एक क्षेत्र विशेष जिससे सम्बन्धित माननीय गुप्त जी स्वयं हैं, उसमें अधिक से अधिक रुपया लगाया गया। इस तरह से उस रुपये का दुरुपयोग किया गया। जो जनता का रुपया है, उसका इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह, मैंने जो चार्जेज लगाये हैं, उन पर विचार करके इस ट्रस्ट को जब्त करे।

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो बहस इस समय हो रही है, मुझे दुख हुआ यह देख कर जिस तरह से माननीय सदस्य ने इसकी शुरुआत की। बहरहाल यह जो ट्रस्ट कायम हुआ उसके सिलसिले में हर एक सदस्य को जानकारी हासिल करने का हक है। लेकिन पहले ही मोटिव एट्रीब्यूट करके अपनी स्पीच को शुरु कर देना कुछ शोभा नहीं देता। मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक तरह से लड़ाई के एरिया में है। काफी लम्बी सरहद हमारी चीन के साथ है। अपने प्रदेश को इस बात का गर्व है कि काफी बड़ी तादाद में लोग जिलों से अक्सर रिक्रूट किये जाते हैं जो आर्मी में काम करते हैं। इसके साथ-साथ हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारा जो बोर्डर है चीन से उसकी रक्षा हमारी पुलिस के जवान और अफसर करते हैं। हमारी पी० ए० सी० और स्पेशल पुलिस फोर्स उसकी रक्षा करती है। यही नहीं हमारी सरहद जो यू० पी० की है उसके अलावा दूसरी जगह भी हमारी पुलिस गई है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सुनना चाहते हैं तो खामोश होकर सुनिये। आप लोग बाद में प्रश्न पूंछ सकते हैं लेकिन बीच बीच में इस प्रकार से टोकना कोई लाभदायक नहीं है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वाकई यदि वह में पूरी जानकारी और इसकी अहमियत वे करना चाहते हैं और उसकी शसमंयत समझना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनें और अगर सिर्फ यह मन्शा है हाथ इधर उधर नचाकर लोगों को गुमराह करने के लिये कुछ शब्द कह दें तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रदेश के बोर्डर की रक्षा पुलिस करती है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी पी० ए० सी० और स्पेशल

पुलिस फोर्स कश्मीर में गयी दुश्मन से मुचहटा लेने के लिये और नेफा में गयी दुश्मन से मुचहटा लेने के लिये। हमारा प्रदेश एक खास हैसियत रखता है कि यहां से इतनी ज्यादा संख्या में लोग फौज और पुलिस में जाते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिये। जिस वक्त यहां पर चीन का हमला हुआ उस वक्त यहां पर चन्दा जमा होना शुरू हुआ। वह ो तरह से चन्दा जमा हुआ। चीफ मिनिस्टर का एक फंड था जिसमें चन्दा देना शुरू किया गया। इस फंड में वह चन्दा इकट्ठा होता रहा। उसके बाद नेशनल डिफेन्स फंड भारत सरकार द्वारा कायम किया गया। तो जब वहां से यह सूचना मिली कि यह फंड कायम हुआ तो यहां पर भी उस फंड में चन्दा इकट्ठा होता रहा। बहुत सी जगहों पर बहुत सी संस्थाओं ने और बहुत से व्यक्तियों ने इस बात की इच्छा प्रकट की कि हम अपना रुपया देना चाहते हैं लेकिन उस रुपये में से हमारे प्रदेश के जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे पुलिस के जवान और अफसर हैं वे वीरगति को प्राप्त हों, तथा जो घायल हों उनके और परिवार उनके डिपैन्डेन्ट को मदद दी जाय....यह भी इच्छा प्रकट की गयी....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नियम में स्पष्टीकरण के लिये आपको अवसर है, लेकिन अभी नहीं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि फिर किसी सफाई की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सुन तो लें। बहरहाल मैं हर तरह से सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। जो विचार विरोधी पक्ष ने व्यक्त किये हैं, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह ट्रक्ट कोई पोलिटकल रीजन्स से बनाया गया किन्हीं खास लोगों को इमदाद करने के लिये मुख्य मंत्री ने अपनी स्पीच में फरमाया था और अपोजीशन से प्रार्थना की कि एक जगह भी ऐसी साबित कर दीजिये कि जहां पर किसी व्यक्ति को उसका पैसा दिया गया हो और पोलिटिकल रीजन्स से दिया गया हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह तो इसी तरह आधे घंटे को टालेंगे। इनको टाइम लिमिट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

बीच बीच में ४ मर्तबा उन्हें रोका गया है। जब बोलने नहीं देंगे तो वे कहां से जवाब देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह मुझे बोलने से नहीं रोक सकेंगे, मैं काफी इतनी शक्ति रखता हूं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो ट्रस्ट कायम हुआ है, उसमें उसकी जो धारा १५ है, साफ लिखा है कि इस ट्रस्ट से उन्हीं लोगों को सहायता दी जायगी कि जो हमारी पुलिस के या फौज के जवानों के डिपेन्डेन्ट हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुये हैं या बहुत ज्यादा जखमी हुये हैं। तो मेरी समझ में वह वजह नहीं आती जो यह शुबहा किया जाता है कि पोलिटिकल रीजन्स से यह ट्रस्ट बनाया गया। हां, अगर वीरगति को प्राप्त जवानों के परिवार की सहायता करना पोलिटिकल रीजन है तो सरकार जरूर इस को मानने से मजबूर है। फिर उसमें यह दिया, हुआ है कि यह डेढ़ करोड़ रुपया नहीं आ जायगा, बदस्तूर कायम रहेगा। इसका जो ब्याज है उसकी आमदनी से हम इस तरह की मदद करेंगे—यह चीज खास तौर से गौर करने के काबिल है।

तीसरी बात, जब चायना की लड़ाई हो रही थी, जिस जमाने में ट्रस्ट कायम किया गया, तो हमारे प्रदेश के बहादुर सिपाही वीरगति को प्राप्त हुए और आफिसर भी हुये। उनको भारत

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

सरकार ने कुछ अनुदान दिये कि हजार रुपया अफसरों को, जी० सी० ओज० को ३०० रुपया और अदर रैंक्स को २०० रुपया। वह भारत सरकार से आता रहा। यह ट्रस्ट बन गया और चूंकि इसी मंशा से बना था जो जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो जितने बहादुर सिपाही और अफसर वीरगति को प्राप्त हुये तो भारत सरकार से यह रुपया उनके परिवार को नहीं दिया गया---बल्कि इस ट्रस्ट के द्वारा वीरगति प्राप्त अफसर व जवानों के परिवारों को रुपया भेजा जायगा तो चूंकि अपने प्रदेश से काफी लोग फौज में जाते हैं, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि एक ट्रस्ट कायम हो जाय तो हम इस पोजीशन में रहें कि जिन क्षेत्रों से वह लोग आते हैं वहां पर रुपया देते रहें। यह इसी प्रदेश की बात नहीं है, पंजाब में भी इसी तरह का ट्रस्ट है। तो अगर प्रदेश में एक अच्छा काम किया गया और माननीय गुप्ता जी ने इतना शानदार काम किया प्रदेश के लिये तो उनको तो माननीय सदस्यों को आभार प्रकट करना चाहिये, लेकिन अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्य गुप्ता जी के नाम से इतना घबड़ाते हैं माननीय सदस्य कि जो अच्छे काम उन्होंने किये हैं (व्यवधान) वह भी उन्हे बुरे नजर आने लगते है

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह 'घबराते' हैं जो कहा गया, यह गलत है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

'घबराते' हैं यह कहना अन-पार्लियामेन्टरी नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

हमको आपने ४ बार लाल बत्ती दिखाई, इनको नहीं रोकते.....

श्री अध्यक्ष---

आप तो बीच-बीच में बोल-बोल कर खुद समय ले लेते हैं।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

माननीय गुप्ता जी ने तो इतना शानदार काम किया है कि उसके लिये उनकी प्रशंसा करनी चाहिये। यही मुझे कहना था।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस मद के लिये वह रुपया लिया गया और जिसकी रसीद काटी गयी, उस मद में वह रुपया क्यों नहीं रखा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

इसे तो मैं अर्ज कर चुका हूं। उस वक्त एन० डी० एफ० शुरू नहीं हुआ था। बाद में जब भारत सरकार ने एन० डी० एफ० कायम किया तब वह इस प्रदेश में कायम किया गया

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या यह सही है कि इस फंड से जो रुपया खर्च किया गया वह उन्हीं लोगों पर खर्च किया गया और उन्हीं को दिया गया जो काश्मीर के मोर्चे पर या नेफा में लड़ाई के समय मारे गये थे या अपंग हो गये थे और कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई उसमें ५३४ सिपाही हमारे प्रदेश के वीर गति को प्राप्त हुये या जिनका पता नहीं है। उनको इस फंड से रुपया दिया गया। इस फंड से नहीं, बल्कि इस फंड

के ब्याज से दिया गया। फंड से नहीं। जो चाइना की लड़ाई में मारे गये, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी। यह जो कुछ रुपया खर्च किया गया वह सब ऐसे ही लोगों के परिवारों पर ही खर्च किया गया है जो वीरगति को प्राप्त हुये हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री महोदय, जिन-जिन लोगों को यह रुपया दिया गया है, उसकी फेहरिश्त सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस वक्त तो मेरे पास पूरी फेहरिश्त नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य उसको देखना चाहेंगे तो वह उनको दिखा दी जायेगी और मुझे विश्वास है कि उनको उसे देख कर पूरा यकीन हो जायेगा और कोई भ्रम नहीं रहेगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस पैसे को बांटने के लिये स्पष्ट नियम बने हुये हैं और इसमें किसी एक व्यक्ति की मनमानी का सवाल पैदा नहीं होता है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस पैसे को बांटने के लिये नियम बने हुये हैं। इस संस्थान के जो सेक्रेटरी हैं वह हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का एक उच्च अधिकारी रहता है और जो एप्लीकेशन्स आती हैं व जनरल आफिसर (कमांडिंग), यू० पी० अर्थात् जो मिलीटरी का सबसे बड़ा आर्गेनाइजर है, उसके द्वारा आती हैं और पुलिस से संबंधित जो परसोनल होता है वे आई० जी० पुलिस द्वारा आती हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधान मंत्री ने यह लिखा था कि चूंकि यह रुपया सरकार के कन्ट्रोल से बाहर चला जायगा इसलिये रुपया वापिस किया जाय केन्द्रीय सरकार को तथा इसको और जगह इस्तेमाल न किया जाय? यदि हां, तो सरकार ने क्यों नहीं किया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उनका क्या खत आया था यह मेरे सामने है नहीं। जो यह संस्थान कायम है उसी से जाहिर है कि केन्द्र को कोई एतराज नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चाइनीज एग्रेशन और पाकिस्तानी एग्रेशन दोनों में रुपया वही दिया गया जो एन० डी० एफ० में दिया हुआ है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जैसा मैंने अर्ज किया था कि चाइना के एग्रेशन के वक्त जो रुपया फौरन अफसरों या जवानों को जो वीरगति को प्राप्त हुये, दिया गया वह केन्द्रीय सरकार ने दिया। इस दफे केन्द्रीय सरकार ने हमको यह लिखा कि चूंकि आपका ट्रस्ट मौजूद है इसलिये सरकार का यह पैसा उसी ट्रस्ट से दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीफ मिनिस्टर फन्ड इकट्ठा करने की जो योजना की गई क्या इसको इकट्ठा करने में आपने केन्द्रीय सरकार की भी राय ली और दूसरी बात जो ट्रस्ट कायम किया इस ट्रस्ट को कायम करने भी आपने क्या केन्द्रीय सरकार की राय ली?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चाइना का एग्रेशन शुरू होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन आगे बढ़कर चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया। उसमें कन्द्रीय सरकार से कोई राय लेने की जरूरत नहीं। किसी अच्छे काम के लिये कोई राय लेने की जरूरत नहीं होती है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

श्रीमन्, प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

अलग से पूछ लीजियेगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

हमारे प्रदेश के जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गये हैं उनके आश्रित जनों के भरण पोषण के लिये या जो सिपाही मर गये हैं उनके परिवारों के पोषण के लिये यह पैसा काफी है या और भी जरूरत है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो ट्रस्ट कायम हुआ है, यह कितना पापुलर हुआ है यह इसी बात से समझ लिया जाय कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रार्थना पत्र मौजूद हैं अगर हम उन सब पर विचार कर सब को उचित मात्रा में धनराशि देना आरम्भ करते हैं तो शायद जो दो अगले वर्षों का ब्याज होगा वह भी पूरा हो जावेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि जब उत्तर प्रदेश में यह ट्रस्ट कायम किया गया तो तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखकर यह कहा था कि पूरे देश में राज्य सरकारों ने जो अलग से ट्रस्ट कायम करना शुरू किया है, यह सारा का सारा पैसा एक जगह केन्द्रीय सरकार को ट्रान्सफर कर दिया जाय। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि आप केन्द्रीय सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। क्या यह बात सही है ? और दूसरी बात यह है कि आपने मिलिटरी वालों पर कुल कितना खर्च किया और पुलिस के लोगों पर कितना खर्च किया ? इसके अलावा सड़कों और अस्पतालों पर भी इसमें से रुपया खर्च किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पाकिस्तान की लड़ाई में जो लोग वीरगति को प्राप्त हुये उनकी संख्या ५३४ थी जिसमें से पुलिस के ७—८ लोग ही थे, बाकी सब फौज के हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मेरे दो सवाल बिलकुल साफ हैं—

१—क्या उस समय इस ट्रस्ट के लिये तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कोई नाराजगी जाहिर की थी ?

२—इससे टोटल एमाउन्ट कितना दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रधान मंत्री ने क्या लिखा था उसके बारे में कोई जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सेंटर इस ट्रस्ट को पसन्द करता है या नहीं, वह तो इससे ही जाहिर है कि जब पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपने ट्रस्ट से

वीरगति प्राप्त लोगों के परिवारों को दीजिये। अगर एतराज होता तो ऐसा क्यों लिखते, बल्कि इस रुपये को ही मांग लेते।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, कुल धनराशि जो उन लोगों पर खर्च की गयी जो वीरगति को प्राप्त हुए वह है २,३८,२०० रुपया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि जो यह ट्रस्ट बनाया गया उसमें से २०–२५ लाख रुपया मोती लाल नेहरू ट्रस्ट को दे दिया गया और इस ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी कांग्रेस पार्टी के लोग ही क्यों बनाये, गये दूसरे माननीय सदस्यों को क्यों नहीं रखा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना–

मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट को इस से कोई रुपया नहीं दिया गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि—

१—क्या सरकार को अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि ट्रस्टियों के बहुमत में कोई परिवर्तन कर सकें ?

२—क्या सरकार को यह अधिकार भी नहीं रह गया है कि सरकार उस रुपये को इस ट्रस्ट से वापस ले ले ?

श्री दाऊदयाल खन्ना–

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि ट्रस्ट जो कायम किया है वह इसी सरकार ने किया है। श्री राज्यपाल उस के चेयरमैन हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह उसके मेम्बर हैं। तो सरकार ने जब एक चीज खुद ही कायम की है तो उसमें अविश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता.....

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार का इस डेढ़ करोड़ रुपये पर कोई अधिकार नहीं है और यह जो सदस्य ट्रस्ट के बनाये गये हैं, उन में क्या यह सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के द्वारा उस रुपये का इन्तजाम होता है। (व्यवधान) आप सब खड़े हैं लेकिन नियमों में है कि जिसने सूचना दी है और विवाद मांगा है अन्त में वही प्रश्न करें।

श्री दाऊदयाल खन्ना–

अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी तफसील में शुरू में ही सब बातें बता दी हैं और अब जो यह प्रश्न हुये उनमें भी मैंने हतुलइमकान इस बात की कोशिश की कि सदस्यों को इतमिनान हो जाय। और मुझे आशा है कि उनका काफी भ्रम दूर हो गया होगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि सरकार का कंट्रोल ट्रस्ट पर नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमारे जो अधिकारी हैं, उसके मेम्बर हैं, वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी उसके मेम्बर हैं.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह सब गलत है, मैं उन के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले उन को सुन तो लीजिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, संस्थाओं और व्यक्तियों को जो अनुदान दिये गये हैं उनकी सूची वह कब पेश करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वैसे तो श्रीमन्, आप आधा घंटे की जगह तीन घंटे और बढ़ा दें तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन अगर कोई और तफसील बाकी है और माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उसे उन को उपलब्ध करा दूंगा और मुझे विश्वास है कि उन को इससे विश्वास भी हो जायगा । इतने कम समय में जो मैं आप के सामने रख सकता था वह मैंने रख दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९६६ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर]

To

SMT. SUCHETA KRIPLANI,
MUKHYA MANTRI,
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH,
LUCKNOW,

MADAM,

Most respectfully I wish to bring to your kind notice the following few bare facts, which have destroyed the peace and tranquility in the Bakshi-ka-Talab area and people are facing a sense of insecurity, for your very sympathetic consideration and favourable orders :

(1) Ihat a Rice and Oil Mill is situated at the Aerodrome Road, Bakshi-ka-Talab. The surroundings of the said Mill are as below :

North—Gate.

East—Bakshi-Ka-Talab Inter College.

South—Boundary Wall.

West—Boundary Wall.

(2) That this Mill is owned by me jointly.

(3) That on Wednesday the December 15th, 1965 at about 12.30 noon the Principal and other authorities of the above Inter College initiated and collected the student force and asked them to attack upon the Mill and loot the property.

(4) That on such a daring day light attack, as asked by the Principal and the authorities, some of the students hesitated to follow their orders. On this there was a hot discussion amongst the Principal and the students. Some students were in favour of this attack while many of them bluntly refused to participate in this day-light robbery. But on continuous pressure and threat by the Principal and the authorities the students along with these authorities entered into the Mill premises and criminally attacked the personnel and property.

(5) That they all marched over the 8 Bigha wide grove of Dasehri Mango and virtually crushed and damaged all the plants. They also broke into 1,000 feet boundary wall all around and ultimately came into the Mill area.

(6) That these students and other persons, under the guidance and orders of these authorities including the Principal of the said college, after entering into the Mill premises and manhandling the persons present there, looted the property entirely. They looted and destroyed the following property :

Arhar Dal Bags 80, Chuni and Bhusi Bags, Mustard Oil Tins, Mungphali Oil Tins, Khali, Chairs and tables, Almirah, Telephone Electricity Meter, Furniture, Cash-Box, and all important documents of the Mill, empty Bags, tool-box, suit-cases, tin-sheets, and cement bags.

The attackers either totally damaged the above metioned items or removed many of them.

(7) They damaged and ruined the Motor and Starters and Mill Plants.

.(8) The heavy Tijori (Cash-Box) was also removed by the mob and left on road after trying upon it by hammers but failed to open the same.

(9) That on this the Munim of the Mill somehow managed to get out of the Mill and managed to phone the persons.

(10) That on information, P. A. C. force immediately rushed to rescue.

(11) That I also contacted the higher authorities on phone and contacted Police and told them the deteriorated position in this Mill. On this Police authorities and P. A. C. force reached the spot and controlled the situation.

(12) That both the P. A. C. and the Police force are simply a show and they are not trying to put their hands on the actual persons who are persons of repute and position.

(13) That property worth Rs. 31,000 has been destroyed which consists of goods worth Rs. 23,000 and other plants etc.worth Rs. 8,000.

(14) That the main cause of this damage arose due to the very fact of denial of giving some land to the college authorities

(15) That about three months back Shri C. B. Gupta, Chairman of the said Collge, along with other college authorities approached the Mill owner and asked to donate their land to the college. On refusal by the Mill owner Shri C. B. Gupta threatened to ruin the Mill and property and challenged to destroy even the name and sign of the Mill from that place. Such is the story behind this great destruction and lawlessness in the area.

(16) That just after this loot, 8 other shops of Shri Bhagwati Singh, were also looted.

(17) That the mob also attacked the Mill of Shri Ashaf Hussain and damaged the Factory badly.

(18) That such lawlessness and looting cases are a general feature of Bakshi-Ka-Talab which is an open-window for public and seat of learning.

Under the above mentioned circumstances and facts, it is requested that a judicial enquiry be made and the real culprits be taken into light of JUSTICE AND TRUTH so that the peace in the area may be restored and damaged property be taken back. It is, once again, prayed that authorities should be ordered to look into this case impartially and trace the goonda-elements and take into custody the persons who are responsible for this illegal activity.

Yours faithfully,
(Sd.) S. L. VERMA,
M. P.
New Delhi.

Dated 16*th December*, 1965.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर)

जिले का नाम		मंत्री		धनराशि
				रु०
१—देहरादून	..	विद्युत् उप मंत्री	..	२,५५,१५७.००
२—सहारनपुर	..	प्रधान मंत्री	..	२,५१,०००.००
३—बुलन्दशहर	..	प्रधान मंत्री	..	२०,०००.००
		(श्रम एवं सहकारिता मंत्री)		१,३५,४७७.००
		(उपमंत्री शिक्षा एवं चिकित्सा)		१०१.००
४—आगरा	..	सार्वजनिक निर्माण मंत्री		५६,९७२.००
		उप मंत्री, गृह एवं उद्योग		७,९८०.००
५—बरेली	..	मुख्य मंत्री	..	४,७५,७५८.४३
६—बदायूं	..	सहकारिता मंत्री	..	५६,०३३.५७
७—रामपुर	..	मुख्य मंत्री	..	१,६८,१३७.९५
८—शाहजहांपुर	..	विकास मंत्री	..	१,२३,६५८.००
९—फर्रूखाबाद	..	सहकारिता मंत्री	..	५१,००० .००
१०—इटावा	..	सहकारिता मंत्री	..	७२,०००.००
११—फतेहपुर	..	परिवहन मंत्री	..	१,५३,०००.००
१२—जालौन	..	सहकारिता मंत्री	..	३०,८०६.००
		शिक्षा मंत्री	..	२०,२०१.००
		वन मंत्री	..	१४,०२४.००
१३—हमीरपुर	..	परिवहन मंत्री	..	५९,१०५.००
		कृषि मंत्री	..	६,३५२.००
१४—बांदा	..	मुख्य मंत्री	..	१,०७,४५६.००
		सामुदायिक मंत्री	..	२४,६८०.००
		परिवहन मंत्री	..	१३,४६३.००
		कृषि मंत्री	..	१,१५७.००
१५—वाराणसी	..	मुख्य मंत्री	..	७,००,०००.००
१६—मिर्जापुर	..	प्रधान मंत्री	..	२,५१,००७.००
		मुख्य मंत्री	..	५,००,०००.००
१७—जौनपुर	..	गृह मंत्री	..	१,४७,७९६.२४
१८—गाजीपुर	..	सहकारिता मंत्री	..	५३,७९०.००
१९—देवरिया	..	समाज कल्याण मंत्री	..	४८,०००.००
		विकास मंत्री	..	५,०००.००

जिले का नाम		मंत्री		धनराशि
				रु०
२०—नैनीताल	..	मुख्य मंत्री	..	१,४१,५१,०.९५
२१—गढ़वाल	..	मुख्य मंत्री	..	३,२२ ७०३.५३
२२—लखनऊ	..	सहकारिता मंत्री	..	५१,००१.००
२३—उन्नाव	..	मुख्य मंत्री	..	१,५१,०००.००
		सहकारिता मंत्री	..	२२,०००.००
		परिवहन मंत्री	..	७,६३८.००
		समाज कल्याण मंत्री	..	२,००१.००
		कृषि मंत्री	..	४,५००.००
२४—राय बरेली	..	मुख्य मंत्री	..	२,१५,०००.००
		सहकारिता मंत्री	..	१,०२,०००.००
		गृह मंत्री	..	१०,०००.००
२५—सीतापुर	..	मुख्य मंत्री	..	३,३०,८६७.९९
२६—खीरी	..	मुख्य मंत्री	..	२,५१,०००.००
२७—फैजाबाद	..	कृषि मंत्री	..	१,४०३.००
२८—प्रतापगढ़	..	प्रधान मंत्री	..	२,३५,०००.००
२९—चमोली	..	शिक्षा मंत्री	..	२,८०५.००
३०—उत्तरकाशी	..	मुख्य मंत्री	..	७०,०००.००
३१—बिजनौर	..	मुख्य मंत्री	..	१,५१,०००.००
३२—गोरखपुर	..	मुख्य मंत्री	..	१,००,०००.००
३३—टेहरी गढ़वाल	..	मुख्य मंत्री	..	५१,०००.००

मत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का, उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

तालिका "क"

वर्ष १९६५-६६ में गन्ना पेरने के लिए शक्ति चालित कोल्हुओं के लाइसेंसों की जिलेवार संख्या

क्रम-संख्या	जिले का नाम	शक्तिचालित कोल्हुओं के लिये दिये गये लाइसेंसों की संख्या	क्रम-संख्या	जिले का नाम	शक्तिचालित कोल्हुओं के लिये दिये गये लाइसेंसों की संख्या
१	२	३	१	२	३
१	देहरादून	१८	२३	बाराबंकी	४
२	सहारनपुर	२५१	२४	लखनऊ	२
३	मुजफ्फरनगर	३७१	२५	हरदोई	८
४	मेरठ	२१५	२६	गोंडा	२
५	बुलन्दशहर	१७	२७	बहराइच	५
६	मथुरा	१७	२८	फैजाबाद	३
७	अलीगढ़	२८	२९	जौनपुर	२
८	आगरा	१	३०	सुल्तानपुर	१
९	मैनपुरी	३	३१	वाराणसी	६
१०	इटावा	२	३२	गोरखपुर	३
११	मुरादाबाद	२१९	३३	बस्ती	४
१२	बिजनौर	३१३	३४	देवरिया	६
१३	रामपुर	२४	३५	आजमगढ़	२८
१४	नैनीताल	९०	३६	बलिया	२७
१५	बरेली	३१	३७	गाजीपुर	२०
१६	बदायूं	१७	३८	इलाहाबाद	..
१७	एटा ..	८	३९	मिर्जापुर	१
१८	पीलीभीत	३४	४०	फतेहपुर	..
१९	फर्रूखाबाद	७०	४१	रायबरेली	२
२०	सीतापुर	४६	४२	प्रतापगढ़	..
२१	शाहजहांपुर	१२६	४३	कानपुर	४
२२	खीरी	४२	४४	उन्नाव	१
				महायोग ..	२,०७२

तालिका 'ख'

जिलेवार पावर क्रशरों के चलने की स्वीकृत तिथि का विवरण

जिलों के नाम				दिनांक जब से सुरक्षित क्षेत्र में शक्ति चालित कोल्हुओं को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई
१				२
मेरठ	..	..	..	
देहरादून	..	..	..	
बुलन्दशहर	..	..	..	२६-११-६५
सहारनपुर	..	..	..	
मुजफ्फरनगर		..	..	
बिजनौर	..	..	..	
एटा	..	..	..	
बरेली	..	..	..	
बदायूं	..	..	..	
रामपुर	..	..	..	
शाहजहांपुर	..	..	..	२५-११-६५
पीलीभीत	..	..	..	
मुरादाबाद	..	..	..	
हरदोई	..	..	..	
खीरी	..	..	..	
सीतापुर	..	..	..	
नैनीताल	..	..	..	

शेष जिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में शक्ति चालित कोल्हूओं के चलाने की तिथि पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

तालिका

वर्ष १९६५-६६ सीजन के लिए गन्ने की पेराई चालू करने की प्रत्येक चीनी मिल की तारीख

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	तिथि
१	इकबालपुर	२५-११-६५
२	डोइवाला	२९-११-६५
३	देवबन्द	२८-११-६५
४	लक्सर	२९-११-६५
५	सहारनपुर	२८-११-६५
६	सरसावा	३०-११-६५
७	मन्सूरपुर	१८-११-६५
८	खतौली	२५-११-६५
९	रोहाना	२२-११-६५
१०	शामली	१५-११-६५
११	सकौती टांडा	२-१-६६
१२	दौराला	२२-११-६५
१३	जसवन्त	२६-११-६५
१४	मोहिदीनपुर	२५-११-६५
१५	बेगमाबाद	२०-११-६५
१६	सिम्भौली	३०-११-६५
१७	मवाना	२२-११-६५
१८	बागपत	२१-११-६५
१९	बुलन्दशहर	१४-११-६५
२०	बाजपुर	३०-११-६५
२१	काशीपुर	२५-११-६५
२२	न्योली	२६-११-६५
२३	अमरोहा	२४-११-६५
२४	बिलारी	१८-११-६५
२५	बहेड़ी	२४-११-६५
२६	बरेली	२०-११-६५
२७	पीलीभीत	२६-११-६५
२८	मझौला	१९-११-६५
२९	धामपुर	२१-११-६५
३०	सिवहारा	१९-११-६५
३१	बिजनौर	१०-१२-६५
३२	रौजा	२९-११-६५
३३	राजाबुलन्द	१९-११-६५
३४	हरदोई	२५-११-६५

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	तिथि
३५	हरगांव	१९-११-६५
३६	महोली	२१-११-६५
३७	बिसवां	२५-११-६५
३८	गोला	११-११-६५
३९	ऐरा	१९-११-६५
४०	बाराबंकी	२४-११-६५
४१	बुढ़वल	१९-११-६५
४२	मसाधा	१४-११-६५
४३	शाहगंज	२८-११-६५
४४	खलीलाबाद	१९-११-६५
४५	मुन्डेरवा	१९-११-६५
४६	बस्ती	१-१२-६५
४७	बाल्टरगंज	२६-११-६५
४८	बभनान	३०-११-६५
४९	तुलसीपुर	२१-११-६५
५०	बलरामपुर	२१-११-६५
५१	नवाबगंज	२८-११-६५
५२	जरवलरोड	२८-११-६५
५३	परताबपुर	१७-११-६५
५४	बैतालपुर	२९-११-६५
५५	गौरीबाजार	२९-११-६५
५६	देवरिया	१९-११-६५
५७	कप्तानगंज	१४-११-६५
५८	खड्डा	३०-११-६५
५९	छितौनी	१९-११-६५
६०	लक्ष्मीगंज	१९-११-६५
६१	रामकोला (पी०)	२१-११-६५
६२	रामकोला (के०)	१९-११-६५
६३	पडरौना	२५-११-६५
६४	कठकुइयां	२९-११-६५
६५	सिवराही	१५-११-६५
६६	भटनी	२०-११-६५
६७	सरदारनगर	१९-११-६५
६८	पिपराइच	१९-११-६५
६९	घुघली	१५-११-६५
७०	सिसवाबाजार	१५-११-६५
७१	फरेन्दा	१२-११-६५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६११ पर)

जिला	मंत्री/अधिकारी जिसको दिया गया	दिनांक	धनराशि
देहरादून	विद्युत् उप मंत्री	५-११-६५	२,५३,५००.००
सहारनपुर (बड़की में)	स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री।	५-१२-६५	२,५१,०००.००
मुजफ्फरनगर (दिल्ली में दिया गया)	स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री।	२६-९-६५	१,११,१०१.००
मेरठ (दिल्ली में दिया गया)	स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री।	६-११-६५	१,११,०००.००
बुलन्दशहर	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	२८-१२-६५	१,०२,०५८.५६
मथुरा (दिल्ली में दिया गया)	स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री।	२-१०-६५	६८,५१४.०२
	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	८-११-६५	७१,०००.००
आगरा	राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	३-१२-६५	५०,०००.००
मैनपुरी	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	१-१२-६५	५२,७४१.२५
	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	२७-१२-६५	८४,५६५.०३
एटा	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	१-१२-६५	५१,००३.००
बरेली	मुख्य मंत्री	३-११-६५	४,७५,७५८.४३
बिजनौर	मुख्य मंत्री	१-११-६५	१,५१,०००.००
	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्	२८-११-६५	७५,०००.००
	राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	६-१२-६५	१,००,०००.००
बदायूं	सहकारी मंत्री	८-११-६५	५६,०३३.५७
मुरादाबाद	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्।	१७-११-६५	२,५०,०००.००
रामपुर	मुख्य मंत्री	१६-१०-६५	१,६८,१३७.९५
शाहजहांपुर	विकास मंत्री	१५-११-६५	१,२३,६५८.००
फर्रुखाबाद	सहकारी मंत्री	१५-९-६५	५१,०००.००
इटावा	सहकारी मंत्री	२१-१०-६५	५०,०००.००
फतेहपुर	परिवहन मंत्री	१-११-६५	१,१७,०००.००
	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्	१७-१२-६५	३,७६,६००.००
हमीरपुर	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्।	२३-११-६५	१,९२,६४६.१७

जिला	मंत्री/अधिकारी जिसको दिया गया	दिनांक	धनराशि
१	२	३	४
बांदा	मुख्य मंत्री	२३-११-६५	५१,०००.००
वाराणसी	मुख्य मंत्री	५-११-६५	७,००,०००.००
	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ।	९-१२-६५	३,००,०००.००
मिर्जापुर	मुख्य मंत्री	६-११-६५	५,००,०००.००
	स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री	१७-१२-६५	२,५१,०००.००
जौनपुर	गृह मंत्री	२१-११-६५	६१,११४.७४
	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	१२-१२-६५	५७,२३९.१९
	अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, नागरिक परिषद्	२९-१२-६५	६५,३७७.००
गाजीपुर	सहकारी मंत्री	२-१२-६५	५३,७९०.००
गोरखपुर	मुख्य मंत्री	१०-१२-६५	१,००,०००.००
	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्	२१-१२-६५	७५,०००.००
नैनीताल	मुख्य मंत्री	१८-१०-६५	१,४१,५१०.९५
	अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ।	२०-११-६५	१,,१५,२९५.००
गढ़वाल	मुख्य मंत्री	११-११-६५	३२२,७०३.५३
टेहरी गढ़वाल	मुख्य मंत्री	१३-११-६५	५१,०००.००
लखनऊ	सहकारी मंत्री	८-११-६५	५१,००१.००
उन्नाव	मुख्य मंत्री	३१-१०-६५	१,५१,०००.००
रायबरेली	सहकारी मंत्री	७-१२-६५	१,०२,०००.००
	मुख्य मंत्री	१४-१२-६५	१,८५,०००.००
सीतापुर	मुख्य मंत्री	२०-१२-६५	३,३०,८६७.९९
खीरी	मुख्य मंत्री	२०-१२-६५	२,५१,०००.००
फैजाबाद	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ।	७-११-६५	१,००,६४१.३२
	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	८-१२-६५	९०,०००.००
	अध्यक्ष उ० प्र० नागरिक परिषद् ।	१२-१२-६५	२,५१,०००.००
गोंडा	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ।	१२-१२-६५	३,००,३१०.०२
बहराइच	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ।	१२-१२-६५	५१,०००.००
प्रतापगढ़	स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री	१८-१२-६५	२,३५,०००.००
बाराबंकी	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद्	१२-१२-६५	५३,२५५.२५
उत्तरकाशी	मुख्य मंत्री	१४-११-६५	७०,०००.००

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१३ पर)

वर्ष १९६४-६५ तथा नवम्बर, १९६५ तक डिस्क्रेशनरी फंड से जिलेवार स्वीकृत धनराशि की सूची

क्रम-संख्या	जिला			स्वीकृत अनुदान की धनराशि	
				१९६४–६५	नवम्बर १९६५ तक
१	२			३	४
				रुपया	रुपया
१	देहरादून	..	..	१७५	१५०
२	सहारनपुर	..	..	३२५	२९५
३	मुजफ्फरनगर	..	..	१४०	१५०
४	मेरठ	..	..	३३५	६३५
५	बुलन्दशहर	..	..	७९०	१८०
६	अलीगढ़	..	..	३२५	३५०
७	मथुरा	..	..	२००	१,८५०
८	आगरा	..	..	१,३८५	४८५
९	मैनपुरी	..	..	२२०	१००
१०	एटा	..	..	५०	..
११	बरेली	..	..	२६५	..
१२	बिजनौर	..	..	२००	३०
१३	बदायूं	..	..	५०	..
१४	मुरादाबाद	..	..	४०	१४०
१५	रामपुर	..	..	..	..
१६	शाहजहांपुर	..	..	..	३०
१७	पीलीभीत	..	..	..	..
१८	फर्रुखाबाद	..	..	५०	..
१९	इटावा	..	..	१९०	२००
२०	कानपुर	..	..	१,१९५	१,५९५
२१	फतेहपुर	..	..	..	१४०
२२	इलाहाबाद	..	..	१३४०	८००
२३	झांसी	..	..	..	२४०
२४	जालौन	..	..	..	..

१	२			३	४
२५	हमीरपुर	..	..	..	..
२६	बांदा	..	..	२००	..
२७	बाराणसी	..	..	२,०५०	७६०
२८	मिर्जापुर	..	..	१४०	१४५
२९	जौनपुर	..	..	७८०	२३०
३०	गाजीपुर	..	..	१००	२४०
३१	बलिया	..	..	८०	४७०
३२	गोरखपुर	..	..	४५०	५६०
३३	देवरिया	..	..	३,२००	४,५४५
३४	बस्ती	..	..	४१०	४५०
३५	आजमगढ़	..	..	५१५	८७०
३६	नैनीताल	..	..	..	१९०
३७	अल्मोड़ा	..	..	८२५	४८०
३८	गढ़वाल	..	..	..	..
३९	टेहरी गढ़वाल	..	..	३०	५०
४०	लखनऊ	..	..	१५,१९०	१२,३३५
४१	उन्नाव	..	..	४००	४०५
४२	राय बरेली	..	..	१२०	५००
४३	सीतापुर	..	..	६५५	४५०
४४	हरदोई	..	..	६०	१००
४५	खीरी	..	..	५०	१००
४६	फैजाबाद	..	..	२४०	१६०
४७	गोन्डा	..	..	७६५	१३०
४८	बहराइच	..	..	..	३०
४९	सुल्तानपुर	..	..	२०	१६०
५०	प्रतापगढ़	..	..	६९५	२३०
५१	बाराबंकी	..	..	५८५	८१५
५२	पिथौरागढ़	..	..	१००	५०
५३	चमोली	..	..	..	२०
५४	उत्तर काशी	..	..	३०	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर)

घटना तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

श्री इकबाल अली अध्यक्ष नगरपालिका, सम्भल मुरादाबाद ने सम्भल थाने पर १२–६–६५ को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसी दिन रात को नौ बजे जब वह बोर्ड की चौकी का निरीक्षण करके रिक्शे पर लौटे जा रहे थे तो रास्ते में उन पर इसरार इलाही, इकराम इलाही, नवाब इलाही और हाफिज खलील नामक चार व्यक्तियों ने हमला कर दिया। इसरार इलाही ने चाकू से वार करने की कोशिश की किन्तु उन्होंने उसका चाकू छीन लिया। बाकी तीन अभियुक्तों ने उन्हें थप्पड़ लात और घूसों से मारा। शोर मचाने पर कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्हें घेरे में कर लिया। बाद में काफी लोग आ गये और उन्होंने अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की किन्तु अभियुक्त भाग कर अपने घर में घुस गये।

चारों व्यक्ति १८–६–६५ को गिरफ्तार किये गये। आवश्यक जांच के उपरान्त चारों अभियुक्तों का चालान १८–७–६५ को भा०दं०वि० की धारा ३३२/३२३ के अन्तर्गत कर दिया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१६ पर)

क्रम-संख्या	तिथि रात	श्री श्रीराम गोयल, थानाध्यक्ष सरायं आकिल, प्रयाग		श्री बाबूलाल यादव, स०इं०होयम थाना सराय आकिल, प्रयाग		श्री स्वामीनाथ तिवारी, स०इ० होयम थाना सराय आकिल, प्रयाग	
		विवरण कार्य	विवरण रात्रि निवास	विवरण कार्य	विवरण रात्रि निवास	विवरण कार्य	विवरण रात्रि निवास
१	२२/२३-७-६५	विवेचना मु०अं०नं० १०१ धारा ३९५/३९७भा०दं०वि०	ग्राम नौबस्ता	सहायता विवेचना मु०अं०नं० १०१धारा ३९५/३९७भा० द० वि०	ग्राम नौबस्ता	सहादत मु० धारा १२५ डी० आई० आर०बनाम मोती आदि सदर	उपस्थिति सदर
२	२३/२४-७-६५	विवेचना मु०अं०नं०८३धारा ३०२भा०दं०वि०	ग्राम लौबपुरा	उपस्थित	उपस्थिति थाना	गश्त ग्राम हसनपुर, मुस्तफाबाद सरैया, रसूलपुर टप्पा	गस्त रात्रि में
३	२४/२५-७-६५	उपस्थित	उपस्थिति थाना	उपस्थित आये गश्त व तामील कागजात धारा ८७/८८ जा० फा०से आये	उपस्थिति थाना	सहादत धारा २५ आर्म्स ऐक्ट बनाम शिवसूरत	उपस्थित थाना
४	२५/२६-७-६५	गश्त ग्राम बसुहार, बैरगांव घासीराम का पुरवा में जांच की	गश्त रात्रि	गश्त ग्राम बसुहार, बैरगांव, घासीराम का पुरवा	गश्त रात्रि	गश्त ग्राम तराना तरनी, बहुगरा, बेनीराम कटरा कूरा	गश्त में
५	२६/२७-७-६५	गश्त ग्राम कस्वा सराय आकिल घोसिया फकीराबाद	गश्त में	उपस्थिति	उपस्थिति थाना	पैरवी मु०अ०नं०७३ धारा ३८० भा०द०वि०बनाम बच्चू	उपस्थिति थाना

६	२७/२८-७-६५	उपस्थित	उपस्थिति थाना	सहावत मु०आ०नं०४३ धारा ३७९ भा०द०वि०सदर में	उपस्थिति थाना	गश्त ग्राम महासुर, कोली, जुगराजपुर, अतुरसइया	गश्त में
७	२८/२९-७-६५	गश्त ग्राम चिन्तापुर हररामपुर नवौली रेक्सराई परउवा कटरा	गश्त में	गश्त ग्राम बसुहार, म्योहर बटबंघुरी, करारी	गश्त में	गश्त ग्राम म्योहर, बसुहार, अरका, फतेहपुर कौजू	गश्त में
८	२९/३०-७-६५	गश्त ग्राम पिंढ़रासहावनपुर, बैनी रामकटरा, सराय आकिल	गश्त में	गश्त ग्राम बंघुरी, रसूलीपुर, बैरगांव, घासीराम का पुरवा, नौबस्ता	गश्त में	उपस्थित	उपस्थिति थाना
९	३०/३१-७-६५	गश्त ग्राम कस्बा सरायआकिल गाडा बन्दी कस्बा सराय आकिल	गश्त में	उपस्थित	उपस्थिति थाना	पैरबी, मु०धारा ३७९ भा० द०वि०बनाम सुखदेव	उपस्थिति थाना

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर)

सेवा में,

माननीय श्री राममूर्ति जी,
मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

बड़े खेद एवं क्षोभ के साथ मुझे निम्नलिखित तथ्य आपके जानकारी में उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाना हैं। जिनका संबंध अभी हाल में ही नियुक्त फतेहपुर जिले के जिला नियोजन अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी जी से है जिन्होंने संभवतः १० मई, १९६५ को ही इस पद का कार्यभार संभाला है किन्तु इतने अल्प काल में ही जो भ्रष्टाचारी, गुटबन्दी एवं जातीयता के आधार पर किये जाने वाले पक्षपातपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रवैये तथा नियम विरुद्ध कार्यवाहियों के लिये जनता के सामने खुले रूप में बदनाम होकर आ चुके हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उस जिले के विकास कार्यों पर भी हो रहा है क्योंकि जहां अधीनस्थ कर्मचारियों में प्रोत्साहन और प्रेरणा के स्थान पर पक्षपात तथा भ्रष्टाचार को पनपाया जायेगा वहां उनके बुझे हुये दिल और दिमाग कहां तक जनता को विकास कार्यों के प्रति रुचि जगा सकेंगे और कितना जन सहयोग प्राप्त करने में सहायक हो सकेंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। फलस्वरूप जिला फतेहपुर के विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण अपनी गलत कार्यवाहियों से उक्त अधिकारी महोदय को प्रसन्न करने में ही अपने कार्य की सफलता मानने लगे हैं न कि जनसंख्या तथा विकास कार्यों की पूर्ति में। इन्हीं कारणों से जन साधारण में भी विकास कार्यों एवं शासन के प्रति एक उपेक्षा का वातावरण बनता जा रहा है तथा सहयोग के स्थान पर असंतोष एवं कटुता को ही अधिक प्रश्रय मिल रहा है। जिनकी पुष्टि आपको निम्नांकित तथ्यों से भली प्रकार हो जावेगी—

(१) शासकीय आदेशों के विरुद्ध अनियमित ढंग से चपरासियों की नियुक्ति, उनसे अनियमित कार्यों का लिया जाना, मरजी मुताबिक कार्य न करने पर, उन पर गालियों एवं अपशब्दों से प्रहार करना तथा नौकरी से हटाने की धमकी देना और अकारण उनका स्थानान्तरण करना:—

१—१० मई, १९६५ को जब से तथा कथित जिला नियोजन अधिकारी महोदय ने कार्यभार संभाला है, निम्नांकित १० चपरासी उनके आवास स्थान पर उनकी निजी सेवा में तैनात रहते हैं, जिनसे खाना बनाने और कपड़े धोने से लेकर जूतों पर पालिश कराने तक का कुल काम लिया जाता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनकी नियुक्तियां विभिन्न कार्यालयों में दिखाकर उनका वेतन वहां से निकाला जाता है जब कि वास्तविकता यह है कि वे कभी वहां नियुक्त नहीं किये गये बल्कि हर समय अधिकारी महोदय की सेवा में ही रत रहते हैं।

चपरासी अथवा पत्रवाहक का नाम	विभाग जहां उनकी नियुक्ति दर्शा कर वेतन निकाला जाता है।
१—श्री राधा कांत	जिला नियोजन कार्यालय
२—श्री घनानन्द	जिला नियोजन कार्यालय
३—श्री शीतल हरिजन	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय
४—श्री सुन्दर	अल्प सिंचाई योजना विभाग
५—श्री राम किशन	जिला नियोजन कार्यालय

६—श्री बद्री	जिला परिषद्
७—श्री जिया लाल	विकास खंड कार्यालय, तिलियानी
८—श्री राम स्वरूप	" " "
९—श्री पुरुषोत्तम (अर्दली)	कलक्टरेट
१०—श्री भगवान सिंह	विकास खंड कार्यालय, अमौली।

२—क्रम सं० १० पर उल्लिखित उपरोक्त श्री भगवान सिंह की नियुक्ति अनियमित ढंग से सेवा योजन कार्यालय से नाम मांगे बिना ही विकास खंड कार्यालय, अमौली में पत्रवाहक के पद पर ७ मई १९६५ से ही कर ली गई जिसे अधिकारी महोदय अपनी पूर्व नियुक्ति के स्थान से अपने साथ लाये थे, जिससे वे अपनी निजी कार के ड्राइवर का काम लेते हैं और जो नियुक्ति की तिथि से अन्यत्र नियुक्त होते हुए भी बराबर उनके आवास पर ही रहा, जिसे अब सुविधा की दृष्टि से १७ जुलाई, ६५ को अमौली से तिलियानी विकास खंड में स्थानान्तरित कर लिया गया है क्योंकि तिलियानी विकास खंड का कार्यालय फतेहपुर शहर में ही स्थित है।

३—इसी प्रकार सेवा योजन कार्यालय से नाम मांगे बिना ही अथवा किसी प्रकार साक्षात्कार किये बिना ही सर्व श्री रज्जन व राम किशन की नियुक्तियां चपरासी अथवा पत्र वाहक के पदों पर कर ली गई जब कि पंचायत राज विभाग से सेवा विमुक्त क्रमशः आठ और छः साल पुराने चपरासियों सर्वश्री बचनू और मत्ता के नामों पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित नीतियों और आदेशों की उपेक्षा करके मनमानी नियुक्तियां कर ली गई हैं।

४—श्री घनानन्द, चपरासी को जो उनकी निजी सेवा में था, मरजी मुताबिक नियम विरुद्ध कार्य न करने पर अप्रसन्न होकर जिला नियोजन कार्यालय से उसका स्थानान्तरण विकास खंड, धाता को कर दिया जो संभवतः विभागीय आदेशों के विरुद्ध भी है।

(२) भ्रष्टाचारी उपायों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से अनुग्रह धन के रूप में सामग्री की पूर्ति—

श्री सफदर अली, नाजिर, जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों द्वारा निम्नांकित सामग्री की पूर्ति कराई गई जिसके मूल्य का कोई भुगतान नहीं किया गया और जिसके पीछे कुछ विशेष कारण छिपे हुये हैं जो स्थानीय जांच के समय प्रकाश में लाये जा सकते हैं—

१—श्री राम गोपाल बाजपेई, क्षेत्र विकास अधिकारी, मलवां द्वारा जून, ६५ में ३ मन गेहूं तथा २० जुलाई, ६५ को २० सेर दाल की पूर्ति।

२—श्री दूबे, क्षेत्र विकास अधिकारी, हंसवा द्वारा जून, ६५ में ३ मन गेहूं की पूर्ति।

३—श्री चन्नू, क्षेत्र विकास अधिकारी, बहुआ द्वारा जून, ६५ में एक गाड़ी लकड़ी तथा २ सेर घी की पूर्ति तथा जुलाई, ६५ विकास खंड मुख्यालय के दौरे के समय स्वयं २ सेर घी की प्राप्ति।

४—विकास खंड, एरावां के जीप ड्राइवर से उसकी निजी बैलगाड़ी द्वारा एक गाड़ी लकड़ी मंगवा कर प्राप्त करना।

५—श्री कुरील, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खंड अमोली से उनके विरुद्ध चल रही एक जांच के सिलसिले में स्वयं विकास खंड मुख्यालय पर दौरे के समय ४ सेर घी प्राप्त करना।

६—श्री हरिश्चन्द्र रस्तोगी, क्लर्क, जिला नियोजन कार्यालय द्वारा ४ पलंगों और उनके लिये निवाड़ की पूर्ति जो श्री बेनी माधव गुप्ता, निवाड़ मरचेंट, फतेहपुर के माध्यम से पूर्ण की गयी।

(३) सरकारी जीप तथा पेट्रोल का निजी कार्यों के लिये दुरुपयोग :—

(१) जी०टी० रोड स्थित, फतेहपुर के पेट्रोल पंप से जीप में प्रयोग के नाम पर सरकारी परची पर ३० लिटर पेट्रोल का क्रय किया जाना जिसका प्रयोग अधिकारी महोदय ने अपनी निजी कार में ७ जुलाई, ६५ को कानपुर जाने तथा ८ जुलाई, ६५ को वहां से लौटने के लिये किया ।

(२) दिनांक २० जुलाई, ६५ को अधिकारी महोदय, सरकारी जीप से कानपुर गये तथा दि० २० से २६ जुलाई, १९६५ तक जीप का प्रयोग कानपुर में निजी कार्यों की पूर्ति के लिये किया गया जब कि उसका माइलेज सरकारी कार्यों की पूर्ति में दर्शाया गया है ।

(३) प्रत्येक मास में अमावस्या तथा एकादशी को तथा श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को विकास खंड, मिटोरा का दौरा दर्शाकर उनकी माता जी को गंगा स्नान कराने के लिये जीप का दुरुपयोग किया गया ।

(४) जातिवाद के आधार पर शासकीय हितों के विरुद्ध होते हुए भी पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियां करना तथा लोक प्रिय कार्यकर्ताओं को स्थानान्तरित करके जाति विशेष के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सत्ता बढ़ाने के लिये मनमानी करना:—

विकास खंड, खजुहा के अन्तर्गत एक जाति विशेष के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य समस्त जातियों के कार्यकर्त्ताओं का स्थानान्तरण एवं उनके स्थान पर केवल जाति विशेष के लोगों को ही नियुक्त करना जनता के बीच में चर्चा का एक विषय बन गया है। उस क्षेत्र के कर्मठ ग्राम सेवकों तथा पंचायत मंत्रियों को जनता के हितों और उनकी आवाज के विरुद्ध उस क्षेत्र समिति के प्रमुख महोदय के इशारों पर जो सौभाग्य से उसी जाति विशेष के सदस्य हैं। उन कार्यकर्ताओं का स्थानान्तरण किया जा रहा है जबकि उन्होंने उन क्षेत्रों में प्रशंसनीय विकास कार्य करके जनप्रियता प्राप्त कर ली थी, उनके विरुद्ध कोई शिकायत होने का तो प्रश्न ही नहीं था। इस प्रकार इन जनप्रिय और कर्मठ कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण से क्षेत्र का जनता में क्षोभ एवं असंतोष की लहर व्याप्त है जिसका कुप्रभाव निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास कार्यों पर पड़ेगा और अन्य सहयोगी कर्मचारियों में भी उससे निराशावादिता (disappointmen) की भावना को बढ़ावा मिलगा तथा उनके बीच अनैतिक भावनायें (Immoral feelings) घर कर रही है जिसका शीघ्र उपचार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त समस्त सूचनायें विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, तथ्यों से पूर्ण है। अतः जांच के पश्चात् उन पर तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकारी महोदय का जिलाधीश महोदय के साथ कतिपय आधारों पर गहरा गठ बंधन है जिनके इशारों पर ही जिले में आज जनहित के विरुद्ध जातिवाद और पक्षपात का नारा बुलन्द किया जा रहा है। अतः संबंधित जिले के जिला अधिकारियों से इस जांच को कराये जाने पर वास्तविक तथ्यों के प्रकाश में आने की संभावना कम है। अतः मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इस जांच को या तो आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास के कार्यालय के किसी उच्चाधिकारी को सौंपा जाय अथवा मंडलीय उप विकास आयुक्त महोदय से इसकी जांच कराई जाय तभी वास्तविक तथ्य प्रकाश में आ सकेंगे।

आशा है कि आप उपरोक्त तथ्यों का यथाशीघ्र जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

ह० राम किशोर वर्मा,

एम०एल० ए०।

३ जुलाई, १९६५।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

विवरण-पत्र

२८ करोड़ रुपये में से तीनों जिलों में ३१ दिसम्बर, १९६५ तक बनी सड़कों का व्योरा

क्रम-सं०	मार्ग का विवरण	किये गये कार्य का विवरण	लम्बाई (मीलोंमें)
१	अश्व मार्ग (सा०नि० विभाग)	सुधार तथा पुनर्निर्माण	९५–२१/२
२	मोटर मार्ग (सा० नि० विभाग)	सुधार तथा पुनर्निर्माण	११४–११/२
३	अश्व मार्ग (सा० नि० विभाग)	नये	९४–७
४	मोटर मार्ग (सा० नि० विभाग)	नये	३०३–१
५	मोटर मार्ग (वन विभाग)	नये	१२३–००
६	मोटर मार्ग (वन विभाग)	सुधार तथा पुनर्निर्माण	३०१–३
७	अश्व मार्ग (वन विभाग)	नये	८८–१
८	अश्व मार्ग (अन्तरिम जिला परिषद्)	सुधार	४००–००

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

तालिका

रूप पत्र बावत जो गन्ना क्रय केन्द्र किच्छा तहसील में स्थित है और उनका आकार दैनिक इंडेंट तथा गन्ना सप्लाई जो दिनांक १ फरवरी, १९६६ तक हुई है

चीनी मिल का नाम	गन्ना क्रय केंद्र का नाम	आफर (लाख क्विंटल में)	प्रतिदिन का इंडेंट क्विंटल में	१-२-६६ तक जो गन्ना सप्लाई अन्य विवरण हुआ। (क्विंटल में)
एल० एच० शुगर फैक्टरी, पीलीभीत	किच्छा	१.८७	१०००	६१,८३४.६१
	गोकुलनगर	०.३७	५००	१७,८०८.९२
	कनकपुर	०.७५	४५०	१८,२५०.२६
सहकारी चीनी मिल, बाजपुर	कनकपुर	..	४००	८,४९१.४०
	द्रपुर सेंटर	३.३८	१५००	९५,६२५.३६
	रुद्रपुर गेट	०.७५	५००	३९,२१०.३८
सहकारी चीनी मिल, मझोला	पिपलिया	१.१२	८००	४३,७७८.९६
	बब्बरपुर	१.४९	११००	४५,८६४.७५
	सितारगंज	०.९३	८००	३६,२७६.८१
केसर शुगर वर्क्स लि०, बहेड़ी	वरा	०.९३	५००	३९,९१३.०५
	शक्ति फार्म	०.८४	६००	२८,२६३.२०
	मलवारा	१.१२	७००	५२,७२६.१७
एल०एच० शुगर फैक्ट्री, काशीपुर	दरऊ	०.३०	३००	८,२४३.१२
मवाना शुगर वर्क्स, मवाना।	प्राग फार्म	१.१२	१०००	३२,०६८.१०

टिप्पणी:—अभी हाल में गन्ना आयुक्त ने उक्त केंद्रों के सुरक्षण में गन्ने की स्थिति का पुनर्निरीक्षण करके अलाटमेंट में कुछ परिवर्तन किये हैं जो इस प्रकार हैं:—

(१) किच्छा, गोकुलनगर व कनकपुर केन्द्र पीलीभीत मिल से निकाल कर मवाना मिल को दिये गये।

(२) रुद्रपुर केन्द्र में उस समय उपलब्ध गन्ने का अर्ध भाग मवाना मिल को दिया गया।

(३) पिपलिया और बब्बरपुर केंद्र मझौला मिल से निकालकर बहेड़ी मिल को दे दिये गये।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

सूची १

क्र०-सं०	नाम	जिला जिसमें जिलाधीश थे	जिलाधीश के बाद किये कार्य का पद	वर्तमान पद
१	श्री कृपानाथ धुसिया, आई०ए०एस०	मैनपुरी	उप विकास आयुक्त बरेली ।	निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा उप-सचिव, हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग, इसके अतिरिक्त उपसचिव, मुख्य सचिव शाखा । (इस समय ये नेशनल डिफेंस कालेज नई दिल्ली में शिक्षण के लिये गये हैं तथा ड्यूटी पर माने जा रहे हैं।)
२	श्री प्रताप सिंह, आई०ए०एस०	शाहजहांपुर	उप विकास आयुक्त, फैजाबाद ।	उपसचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ।
३	श्री राम दास सोनकर, आई०ए०एस०	मैनपुरी	अतिरिक्त निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
४	श्री बंगल प्रसाद वरुण, आई०ए०एस०	हमीरपुर	—	उप परिवहन आयुक्त, (प्रशासन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ । (इस समय ये नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कम्युनिटी डेवलपमेंट हैदराबाद में शिक्षण हेतु गये हैं ।)
५	श्री नन्दलाल कुरील, पी०सी०एस०	हमीरपुर	—	इस समय ये छुट्टी पर हैं ।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

सूची २

क्र०-संख्या	नाम	वर्तमान पद (१-२-६६ को)
१	श्री छेदी लाल	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्टील तथा माइंस मंत्रालय।
२	श्री अच्छूतानन्द दास	उप सचिव, भारत सरकार, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय।
३	श्री कृपानाथ धुसिया	निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा उप सचिव, हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग, इसके अतिरिक्त उपसचिव, मुख्य सचिव शाखा (इस समय ये नेशनल डिफेंस कालेज, नई दिल्ली में शिक्षण हेतु गये हैं और ड्यूटी पर माने जा रहे हैं)
४	श्री प्रताप सिंह	उप सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय।
५	श्री राम दास सोनकर	निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
६	श्री दंगला प्रसाद व ण	उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ (इस समय ये नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट में शिक्षण हेतु गये हैं)
७	श्री रमेश चन्द्र	जिलाधीश, प्रतापगढ़।
८	श्री माता प्रसाद	सहायक कमिश्नर, नैनीताल।
९	श्री सुधीर कुमार विश्वास	सहायक मैजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
१०	श्री रोशन लाल	सहायक कमिश्नर, बहराइच।
११	श्री अजीत कुमार दास	सहायक मैजिस्ट्रेट, बलिया।
१२	श्री स्वर्न दास बागला	नेशनल एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षण पा रहे हैं।
१३	श्री राम कृष्ण	नेशनल एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षण पा रहे हैं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०-२२३ एल० ए०—१९६६—८६२।